Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

मार्च 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- जल की कमी की समस्या को संबोधित करना 3
- जलवायु हेतु वित्तपोषण में आत्मनिर्भरता 4
- सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर करने का उपाय 6
- कपास क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास 8
- प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सुरक्षित करने की कोशिश 10
- भारत में अनुसंधान और विकास की कमी 12
- भारत में अनुसंधान और विकास की कमी 13
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण 15
- भारत के किसानों की आय दोगुनी करना 17
- आयुर्वेदिक चिकित्सकों की चुनौतियाँ 18
- भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली में बदलाव 20
- उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण 22
- राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व 24
- डेटा गवर्नेंस शासन-प्रणाली 26
- भारत और AUKUS साझेदारी 28
- वैश्वीकरण का विविधीकरण 30
- फेक न्यूज पर अंकुश 31
- विश्व के महासागरों की रक्षा हेतु संधि 33
- सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कदम 35
- बीमा उद्योग का पुरुद्धार 37
- मानव विकास में असमानताएँ 39
- छोटे जल निकायों का पुनरुद्धार 40
- मीडिया का पूर्वाग्रह और लोकतंत्र 43
- लैंगिक वेतन अंतराल की समस्या से निपटना 45
- डिजिटल युग में दूरस्थ कार्य 47
- हरित हाइड्रोजन - जीवाश्म ईंधन का विकल्प 48
- खाद्य सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा 51
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 55

नोट :

जल की कमी की समस्या को संबोधित करना

संदर्भ

चूँकि भारत की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और अधिकांश लोग अभी भी कृषि कार्य से संलग्न हैं, जल की कमी की समस्या और चिंताजनक बन सकती है। अमेरिका में अवस्थित **विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) की एक रिपोर्ट (वर्ष 2015) के अनुसार**, भारत में रहने वाले लगभग 54% लोग पहले से ही जल की कमी का सामना कर रहे हैं।

- इसी प्रकार, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि उपलब्ध प्रति व्यक्ति औसत जल वर्ष 2030 तक 1588 क्यूबिक मीटर से घटकर आधे से भी कम रह जाएगा। वर्ष 2016 में विश्व बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन और जल की स्थिति पर किये गए एक अन्य अध्ययन ने चेतावनी दी थी कि जल की कमी वाले देश वर्ष 2050 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6% तक खो देंगे।
- चूँकि देश के कई हिस्सों में सिंचाई की कमी बढ़ती जा रही है, किसानों को फसलों की खेती में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; कुछ राज्यों में किसानों द्वारा फसल खराब होने की स्थिति में आत्महत्या जैसे चरम कदम तक उठाए गए हैं। ऐसी घटनाएँ देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
- चूँकि हमारे देश का समग्र आर्थिक विकास अभी भी कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है (जो जल की खपत में लगभग 90% हिस्सेदारी रखता है), भारत के लिये अन्य देशों की तुलना में जल की कमी को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत में जल की कमी के प्रमुख कारण

- **जल संग्रहण में परिवर्तन:** यद्यपि बड़े सिंचाई बाँधों की संख्या वर्ष **1960** में **236** से बढ़कर वर्ष **2020** में **5,334** तक पहुँच गई है, ग्रीष्मकाल के दौरान बाँधों की सकल जल उपलब्धता घट जाती है।
  - अध्ययन दिखाते हैं कि गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी बारहमासी नदियाँ गर्मियों के दौरान कई जगहों पर सूख जाती हैं।
  - आकलन किया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र (जिन्हें विश्व में सबसे भूजल समृद्ध नदी बेसिन माना जाता है) में भूजल के स्तर में प्रतिवर्ष **15-20** मिमी की गिरावट आती है।
  - जलग्रहण क्षेत्र में मानव गतिविधियों और अन्य हस्तक्षेपों के कारण बड़े एवं मध्यम बाँधों के जल संग्रहण क्षेत्र में गाद का जमाव बढ़ गया है, जिससे कुल जल संग्रहण कम हो रहा है।
- **कृषि संबंधी मांग:** जल संसाधन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि तेज़ आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण देश की कुल जल की मांग वर्ष 2050 तक उपयोग के लिये उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो सकती है।
- **अधिक जल-गहन फसलों की खेती:** आय और बाज़ार से संबंधित कारणों से हाल के वर्षों में अधिक जल-गहन फसलों की खेती की प्रवृत्ति बढ़ी है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 1990-91 और 2020-21 के बीच जल-गहन फसलों गन्ना, धान और केले के तहत शामिल बुवाई क्षेत्रों में क्रमश: 32%, 6% और 129% की वृद्धि हुई।
  - इससे हाल के समय में जल की मांग में तेज़ वृद्धि हुई है।
- **असमान वितरण:** देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों का असमान वितरण भी एक प्रमुख समस्या है। कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं जबकि कुछ अन्य में जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है।
- **भूजल का अतिदोहन:** कृषि, उद्योगों और घरेलू उद्देश्यों के लिये भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर में कमी आई है।
  - इससे लोगों के लिये अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये भी जल तक अभिगम्यता रखना कठिन हो गया है।
- **प्रदूषण:** नदियों, झीलों एवं अन्य जल निकायों के प्रदूषण ने पेयजल, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिये जल का उपयोग करना कठिन बना दिया है।
  - उद्योग और शहरी क्षेत्र अनुपचारित अपशिष्ट को जल निकायों में बहा देते हैं, जो न केवल जल को प्रदूषित करता है बल्कि इसकी उपलब्धता को भी कम करता है।

संबंधित कदम

- **राष्ट्रीय जल नीति, 2012**
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**
- **जल शक्ति अभियान – 'कैच द रेन' अभियान**
- **अटल भूजल योजना**

भारत जल संरक्षण के मुद्दे को कैसे संबोधित कर सकता है?

- **वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना:** भारत को प्रत्येक वर्ष, विशेष रूप से मानसून के मौसम में भारी मात्रा में वर्षा जल प्राप्त होता है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, महज एक दिन में, वर्ष 2005 में मुंबई ने 950 मिमी, वर्ष 2015 में चेन्नई ने 494 मिमी और वर्ष 2017 में माउंट आबू ने 770 मिमी वर्षा प्राप्त की थी। नवंबर 2022 में तमिलनाडु में सिरकाज़ी में एक दिन में 420 मिमी वर्षा प्राप्त हुई थी।
- भारत वर्षा जल संचयन प्रणालियों को लागू करके बाद के उपयोग के लिये वर्षा जल को एकत्र और भंडारित कर सकता है। छत पर वर्षा जल संचयन, अंत:स्रवण गड्ढों और पुनर्भरण कुओं जैसी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर इसे संभव किया जा सकता है।

- **छोटे जल निकायों का रखरखाव:** भारत में तालाबों, झीलों और पोखरों जैसे छोटे जल निकायों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, जो भूजल का पुनर्भरण करने और सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - 5वीं लघु सिंचाई गणना में उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल 6.42 लाख छोटे जल निकाय मौजूद हैं। उचित रख-रखाव के अभाव में इनकी भंडारण क्षमता घटती जा रही है।
  - इसके परिणामस्वरूप, पोखरों द्वारा सिंचित क्षेत्र वर्ष 1960-61 में 45.61 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.68 लाख हेक्टेयर रह गया है।
  - इन छोटे जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं रखरखाव से भारत जल के संरक्षण और आस-पास के समुदायों के लिये जल की उपलब्धता में सुधार लाने में मदद कर सकता है।
- **गाद हटाना:** भारत में कई नदियों, झीलों और तालाबों में गाद का जमना एक प्रमुख समस्या है।
  - समय के साथ गाद/तलछट एवं मलबे जल निकायों के तल पर जमा हो जाते हैं, जिससे उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है और जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
  - भारत गाद और मलबे को हटाकर जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुनर्बहाल कर सकता है तथा जल की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है।
- **कुशल सिंचाई अभ्यासों को लागू करना:** भारत में कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस परिदृश्य में, सरकार को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई विधियों को बढ़ावा देना चाहिये, जो जल की बर्बादी को कम कर सकता और फसल पैदावार में सुधार ला सकता है।
- **जल-कुशल तकनीकों को अपनाना:** सरकार को लो-फ्लो शौचालयों, जल-कुशल वाशिंग मशीन एवं डिशवॉशर जैसी जल-कुशल तकनीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये, जो जल के उपयोग में पर्याप्त कमी ला सकते हैं।
- **जागरूकता का प्रसार:** सरकार को जल संरक्षण के महत्त्व और जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाना चाहिये।

जलवायु हेतु वित्तपोषण में आत्मनिर्भरता

संदर्भ

जलवायु वित्त (Climate finance) उन वित्तीय संसाधनों को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को संबोधित करने के लिये आवंटित किये जाते हैं। इसमें जलवायु शमन और अनुकूलन उपायों का समर्थन करने वाले वित्तीय साधनों एवं तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। निम्न-कार्बन और जलवायु-प्रत्यास्थी अर्थव्यवस्थाओं की ओर देशों के संक्रमण तथा पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिये जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण है।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल बनने और सतत विकास को आगे बढ़ाने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिये यह वित्तपोषण आवश्यक है ।
- जलवायु वित्त कार्य समूह (Climate Finance Working Group) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिये 118 ट्रिलियन रुपए की आवश्यकता है, जिनमें 64 ट्रिलियन रुपए उपलब्ध हैं जबकि 54 ट्रिलियन रुपए अप्रतिबंधित हैं। इस अंतराल को घरेलू और विदेशी ऋण के माध्यम से पूरा करना होगा। भारत के विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) और वाणिज्यिक बैंकों को घरेलू धन जुटाने एवं विदेशों से संसाधन प्राप्त करने में योगदान देना होगा।
- जलवायु वित्त की चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत को पश्चिमी देशों द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के बजाय अपनी स्वयं की रूपरेखा और विभिन्न प्रकार की वित्तपोषण प्रणालियाँ विकसित करने की आवश्यकता है।

जलवायु वित्तपोषण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **पश्चिम से धन की कमी:** विकसित देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अधिकांश भाग के लिये ऐतिहासिक रूप से ज़िम्मेदार हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की स्थिति बनी है।

नोट :

- लेकिन विभिन्न विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहे हैं।
- इसने एक महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण अंतराल को जन्म दिया है और विकासशील देशों के लिये जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन उपायों को लागू करना कठिन हो गया है।

- **वित्त तक पहुँच का अभाव:** कई विकासशील देश और छोटे द्वीप राज्य दुर्बल वित्तीय प्रणाली, अपर्याप्त नियामक ढाँचों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तपोषण तक व्यापक पहुँच नहीं रखते हैं।
- **वित्तपोषण की उच्च लागत:** जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिये प्राय: उल्लेखनीय अग्रिम लागत और दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जिन्हें सस्ती दरों पर प्राप्त करना कठिन सिद्ध हो सकता है। यह निवेशकों को, विशेष रूप से विकासशील देशों में, ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण से हतोत्साहित कर सकता है।
- **अनिश्चितता और जोखिम:** नियामक एवं नीतिगत रुपरेखा, बदलती प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में व्याप्त अनिश्चितता के कारण जलवायु संबंधी निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। इससे निवेशकों के लिये अपने निवेश पर संभावित रिटर्न का सटीक आकलन करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव:** कई विकासशील देशों में प्रभावी जलवायु परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता की कमी है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में देरी और अक्षमता की स्थिति बन सकती है।
- **राजनीतिक और नीतिगत बाधाएँ:** राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जैसी राजनीतिक एवं नीतिगत बाधाएँ जलवायु वित्तपोषण प्रयासों में बाधक बन सकती हैं।
- **निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी:** जलवायु वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र का निवेश महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सीमित बाज़ार प्रोत्साहन, नियामक ढाँचे की कमी और जलवायु जोखिमों के बारे में सीमित जागरूकता जैसे विभिन्न कारकों के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है।

संबंधित पहलें

- **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC):** इसे वर्ष 2015 में भारत के उन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया था जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):** इसे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था और इसे उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर एक आरंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।
  - यह एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित होता है जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव होता है।
  - इसे जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करने का कार्यभार सौंपा गया है।
- **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAF):** इसकी स्थापना वर्ष 2014 में 100 रुपए के कोष के साथ की गई थी जहाँ लक्ष्य था आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच की खाई को दूर करना।
  - यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत संचालित है।

जलवायु वित्तपोषण के लिये आगे की राह

- **DFIs से संसाधन जुटाना:** कम व्यावसायिक अपील के कारण बैंकिंग प्रणाली द्वारा जलवायु शमन एवं अनुकूलन निवेशों को वित्तपोषित करने की संभावना नज़र नहीं आती, इसलिये जलवायु वित्त को शामिल करने के लिये प्राथमिकता क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - हालाँकि दीर्घावधिक संसाधनों को विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) से जुटाने की आवश्यकता होगी क्योंकि एक बड़ा वित्तपोषण अंतराल मौजूद है।
    - DFIs ने पूर्व में घरेलू निधियों से प्रतिस्पर्द्धा और उच्च हेजिंग लागतों (hedging costs) के कारण विदेशी मुद्रा ऋणों से परहेज रखा है।
  - जलवायु निवेश के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिये DFIs को प्रोत्साहित करने के हेतु सरकार को हेजिंग लागत का प्रबंधन करने के उद्देश्य से उपयुक्त कदम उठाने होंगे।
- **निजी क्षेत्र से निवेश:** जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये निजी क्षेत्र का निवेश महत्त्वपूर्ण है ।
  - कुछ निवेशों को बैंक क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है, लेकिन कई अन्य औसत से कम रिटर्न, लंबी पूर्णता अवधि और उच्च वित्तीय जोखिमों के कारण ब्याज लागत को पूरा कर सकने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं।

नोट :

- **मिश्रित वित्तपोषण को बढ़ावा देना:** जलवायु वित्तपोषण के समर्थन के लिये मिश्रित वित्त (Blended finance) का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।
  - मिश्रित वित्त एक नवीन वित्तपोषण दृष्टिकोण है जो विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सार्वजनिक और निजी पूंजी को संयुक्त करता है।
  - उदाहरण के लिये, इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, हरित अवसंरचना और जलवायु-कुशल कृषि के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं, जैसे समुद्री दीवारों के निर्माण या जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिये वित्तपोषण प्रदान करने के लिये भी किया जा सकता है।
- **उत्प्रेरक या स्टार्ट-अप फंडिंग:** उत्प्रेरक वित्तपोषण (Catalytic funding) का उपयोग प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को हरित गतिविधियों में 'पुनरुद्देशित' करने के लिये किया जाना चाहिये, जो ऐसा विषय है जिसे पश्चिमी वित्त और इसकी रूपरेखा अपने वर्गीकरण के अनुसार चिह्नित नहीं भी करती है।
  - सरल और अनुल्लंघनीय वर्गीकरण ढाँचे, निरीक्षण और क्षमता निर्माण तंत्र द्वारा समर्थित पुनर्उद्देश्य (Re-purposing) उल्लेखनीय रूप से कम मात्रा के निवेश के साथ मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को हरित गतिविधियों में बदल सकता है।
- **नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता:** ऐसे नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है जो विशेष रूप से विकासशील देशों में जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध करा सके।
  - इनमें से कुछ तंत्रों में ग्रीन बॉण्ड, जलवायु कोष और कार्बन बाज़ार शामिल हैं।

सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर करने का उपाय

संदर्भ

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2022 के अनुसार, सरकारी स्कूलों में 16 वर्षों में पहली बार नामांकन में तीव्र वृद्धि देखी गई, जबकि बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में बड़ी गिरावट आई है जहाँ उनकी पढ़ने की क्षमता (reading ability) अंकीय कौशल की तुलना में बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है और वर्ष 2012 के पूर्व के स्तर तक गिर रही है।

- कई राज्यों के सरकारी स्कूलों में मुख्य रूप से कमज़ोर सामाजिक समूहों के बच्चे पढ़ते हैं और बालिकाओं की शिक्षा को प्राय: आगे उनके विवाह के लिये उपयोगी एक औपचारिकता की तरह देखा जाता है। वित्तपोषण संबंधी बाधाओं को दूर करने के अलावा, स्कूलों के प्रशासन में सुधार लाने और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जीर्ण-शीर्ण हुई सुविधाओं का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है।
- जैसा कि ASER 2022 पुष्टि करता है, प्राथमिक विद्यालय जाने की आयु के सभी बालक और बालिकाएँ पुन: स्कूल जाने लगी हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन्हें विफल कर रही है। कुछ प्रयासों की ज़रूरत है जिससे बच्चों के लिये सीखने (लर्निंग) को आकर्षक बनाया जा सकता है।
- जबकि सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य उत्तरवर्ती प्रयासों के साथ आपूर्ति पक्ष में स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये बहुत कुछ किया गया है, स्कूलों में लर्निंग की पुनर्कल्पना और जीवंतता की आवश्यकता है।

सरकारी स्कूलों के कार्यकरण से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **बदतर अवसंरचना:** कई सरकारी स्कूलों में उपयुक्त कक्षा-भवनों, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यह छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
- **प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी:** सरकारी स्कूलों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जहाँ सुप्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का अभाव है। इसका परिणाम शिक्षण की खराब गुणवत्ता और छात्रों में उत्साह की कमी के रूप में सामने आता है।
- **पुराना पड़ चुका पाठ्यक्रम:** कई सरकारी स्कूलों द्वारा प्रयुक्त पाठ्यक्रम पुराना पड़ चुका है और वर्तमान रोज़गार बाज़ार में प्रासंगिक कौशल प्रदान नहीं करता है। इससे विद्यार्थियों के लिये आगे रोज़गार की कमी की स्थिति बनती है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** कई सरकारी स्कूल अपर्याप्त वित्तपोषण से पीड़ित हैं, जो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और सुयोग्य शिक्षकों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।
- **उत्तरदायित्व की कमी:** सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के बीच प्राय: उत्तरदायित्व की कमी देखी जाती है। यह शिक्षा की खराब गुणवत्ता और छात्रों में प्रेरणा की कमी जैसे परिणाम उत्पन्न करता है।
- **असंगत शिक्षक-छात्र अनुपात:** सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात प्राय: निम्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक छात्र पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है।

नोट :

- एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है।
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम , 2009 अपनी अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों तरह के स्कूलों के लिये छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) को निर्धारित करता है।
- इसके अनुसार, प्राथमिक स्तर पर PTR 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिये।

भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और विधियाँ

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) के अनुच्छेद 39 (f) और 45 में राज्य द्वारा वित्तपोषण के साथ-साथ समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान मौजूद है।
  - वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
    - केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियाँ एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिये, तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।
  - वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-A के तहत एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया।
    - संविधान का अनुच्छेद 21A राज्यों के लिये 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को बाध्यकारी बनाता है।
- **संबंधित विधियाँ:** शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
  - यह समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण का भी निर्देश देता है।
- **सरकारी पहलें:** सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme on Technology Enhanced Learning), प्रज्ञाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल आदि प्रमुख सरकारी पहलें हैं।

आगे की राह

- **धन के साथ स्थानीय सरकार को उत्तरदायी बनाना:** स्थानीय सरकारों और महिला समूहों को धन एवं कार्यकारियों के साथ प्राथमिक विद्यालयों की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये।
  - उन्हें किसी भी रिक्ति को युक्तिसंगत तरीके से भरने या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामुदायिक स्वयंसेवक को नियुक्त कर सकने के लिये अधिकृत किया जाना चाहिये।
  - बुनियादी लर्निंग और समर्थन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हस्तांतरित धन पर्याप्त होना चाहिये। स्कूल एक सरकारी संस्था होने के बजाय एक सामुदायिक संस्थान में परिणत हो, जो स्वैच्छिकता/दान को आकर्षित कर सकता है और स्वस्थ सीखने के प्रतिफलों (learning outcomes) को सुनिश्चित करने के लिये गैजेट्स की सहायता ले सकता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** सभी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों (ब्लॉक एवं क्लस्टर समन्वयक, राज्य/ज़िला रिसोर्स पर्सन) को गैजेट्स एवं पाठ्यक्रम सामग्री के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जो लर्निंग को सुगम बना सके।
  - ऑनलाइन पाठ प्रदान करने के लिये प्रत्येक कक्षा में एक बड़ा टीवी और एक अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिये जो कक्षा शिक्षण को पूरकता प्रदान करेगा।
- **स्व-सहायता समूहों का उपयोग करना:** मध्याह्न भोजन की ज़िम्मेदारी ग्राम स्तर के स्व-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सौंपी जानी चाहिये ।
  - पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति इस स्व-सहायता समूह की पर्यवेक्षक होगी।
  - मध्याह्न भोजन योजना में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिये और शिक्षण कार्य तक सीमित हों।
- **सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करना:** सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित किया जाना चाहिये जहाँ गाँव के युवा अध्ययन कर सकें और नौकरी एवं अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिये तैयारी कर सकें।
  - ऐसे सामुदायिक संस्थान स्वयंसेवकों को भी आकर्षित करेंगे।
    - कर्नाटक ने अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों को सबल करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है और इससे स्कूल लर्निंग आउटकम के लाभ भी प्राप्त हुए हैं।
- **नवोन्मेषी विधियों का उपयोग करना:** लर्निंग के लिये साउंड बॉक्स, वीडियो फिल्म, प्ले-वे लर्निंग आइटम, इनडोर एवं आउटडोर खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का भी उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के समर्थन से आरंभिक बाल्यावस्था में खिलौनों पर आधारित शिक्षा भी शुरू की जा सकती है।
  - नई शिक्षा नीति 2022 जीवन में इस महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक शुरुआत को सुनिश्चित करने के लिये 3 से 8 वर्ष की आयु तक निरंतरता को अनिवार्य करती है।

- **स्वास्थ सेवा प्रबंधन:** स्कूल नेतृत्व को पोषण चुनौती के लिये भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये क्योंकि समितियों की अधिक संख्या ठोस प्रयासों को कमज़ोर भी कर सकती हैं।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि बच्चों के हित का उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी सेविका, आशा, ANMS और पंचायत सचिवों जैसे क्षेत्र कार्यकारियों को सौंपा जाए।
  - प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये स्थानीय सरकार के साथ सहयोग करना महत्त्वपूर्ण है।
- **सामुदायिक अभियानों को बढ़ावा देना:** सामुदायिक अभियानों और माता-पिता के साथ नियमित स्कूल स्तरीय संवादों का आयोजन किया जाना चाहिये।
  - बच्चों की देखभाल और लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षकों को हर घर के साथ संबंध का निर्माण करना चाहिये।
  - वाचिक एवं लिखित साक्षरता एवं अंक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिये 'निपुण भारत मिशन' को संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिये।

कपास क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास

संदर्भ

भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके उत्पादन में गिरावट वैश्विक मूल्यों एवं व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कपास उत्पादन सदियों से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है।

- हाल के वर्षों में देश ने कपास के उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है, जिससे इस उद्योग की संवाहनीयता और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता उत्पन्न हुई है। मौसम की स्थिति से लेकर सरकार की नीतियों और बाज़ार की शक्तियों तक कई कारक इस गिरावट के लिये ज़िम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मौसम विपथन, गुलाबी बोलवर्म का व्यापक संक्रमण, नई तंबाकू स्ट्रीक वायरस रोग और बीजकोष सड़न (boll rot) ने हाल में कपास किसानों को खतरे में डाल दिया है।
- कपास आधारित कपड़ा उद्योग विभिन्न कारकों से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें चीन के झिंजियांग क्षेत्र से फैशन एवं कपड़ा उत्पादों के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के परिणामस्वरूप घरेलू बाज़ार की कीमतों में वृद्धि, जमाखोरी और व्यापार संबंधी विकास शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्योग पर वृहत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र के कई निर्माता भारत से प्राप्त कच्चे कपास पर निर्भर हैं। इसके अलावा, तुर्की में आए भूकंप से उसका कपड़ा निर्माण उद्योग भी प्रभावित हुआ है, जिससे स्थिति और बदतर हो गई है।
- इस परिदृश्य में नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं के लिये एक समान रूप से कपास उत्पादन में गिरावट के कारणों एवं प्रभावों को संबोधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में कपास क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- **कीट प्रकोप:** भारत में कपास की फसलें कीटों के संक्रमण के लिये प्रवण हैं, जो फसल की उपज और गुणवत्ता को कम कर सकती हैं।
  - कीटों के संक्रमण के कई कारण हैं, जैसे फसल चक्र की कमी, मोनोकल्चर, मौसम की स्थिति, मृदा की खराब गुणवत्ता, कीट प्रबंधन की कमी आदि।
- **निम्न उत्पादकता:** भारत की प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादकता अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों की तुलना में कम है। यह मुख्य रूप से पुरानी कृषि पद्धतियों के उपयोग, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और खराब बीज गुणवत्ता के कारण है।
- **सिंचाई की कमी:** कपास की खेती के लिये सिंचाई आवश्यक है, लेकिन भारत में कई कपास किसानों की पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
- **उच्च इनपुट लागत:** भारत में बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट की लागत बहुत अधिक है, जिससे छोटे पैमाने के कपास किसानों के लिये उन्हें वहन करना कठिन हो जाता है।
- **मानसून पर निर्भरता:** भारत में कपास की खेती काफी हद तक मानसून की वर्षा पर निर्भर है, जो अप्रत्याशित और अनिश्चित हो सकती है, जिससे फसल के विफल होने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **किसान ऋण:** भारत में कपास किसानों की एक बड़ी संख्या ऋण के बोझ तले दबी हुई है, जो गरीबी और ऋणग्रस्तता के एक दुष्चक्र को जन्म दे सकती है।
  - कपास की खेती लगभग 5.8 मिलियन किसानों को आजीविका प्रदान करती है, जबकि अन्य 40-50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण एवं व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों से संलग्न हैं।

नोट :

- परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को, प्राय: उत्तरजीविता के लिये शोषणकारी कार्य रूपों में संलग्न होने के लिये विवश किया जाता है।
- कपास उगाने वाले क्षेत्रों में बढ़ते ऋण के बोझ के कारण किसान आत्महत्याओं की घटनाएँ सामने आई हैं।

- **बाज़ार पहुँच का अभाव:** भारत में कई कपास किसानों की बाज़ारों तक पहुँच सीमित है और उन्हें बिचौलियों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिये विवश होना पड़ता है।

कपास उत्पादन के बारे में प्रमुख तथ्य

- यह खरीफ फसल है जिसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है।
- यह सूखा प्रतिरोधी फसल है जो शुष्क जलवायु के लिये आदर्श है।
- विश्व की 2.1% कृषि योग्य भूमि कपास के अंतर्गत है और यह विश्व की वस्त्र आवश्यकताओं में 27% का योगदान करता है।
- तापमान: 21-30 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- वर्षा: लगभग 50-100 सें.मी.
- मृदा का प्रकार: अच्छी अपवाह वाली काली कपास मृदा (Regur Soil)
- उदाहरण: दक्कन के पठार की मृदा
- उत्पाद: फाइबर, तेल और पशु चारा।
- शीर्ष कपास उत्पादक देश: भारत> चीन> संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य: गुजरात> महाराष्ट्र> तेलंगाना > आंध्र प्रदेश> राजस्थान।
- कपास की चार कृष्य प्रजातियाँ: गॉसिपियम अर्बोरियम (Gossypium arboreum), जी.हर्बेसम (G. herbaceum), जी.हिरसुटम (G.hirsutum) व जी. बारबडेंस (G.barbadense
  - गॉसिपियम आर्बोरियम और जी.हर्बेसम को 'ओल्ड-वर्ल्ड कॉटन' या 'एशियाटिक कॉटन' के रूप में जाना जाता है।
  - जी.हिरसुटम को 'अमेरिकन कॉटन' या 'अपलैंड कॉटन' और जी.बारबडेंस को 'इजिप्शियन कॉटन' के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों नई वैश्विक कपास प्रजातियाँ हैं।
- संकर कपास/हाईब्रिड कॉटन: इन्हें कपास के दो मूल नस्लों के क्रॉसिंग से बनाया जाता है जिनके अलग-अलग आनुवंशिक गुण होते हैं। संकर नस्ल प्राय: प्रकृति में अनायास और यादृच्छिक ढंग से सृजित होते हैं जब खुले-परागण वाले पौधे अन्य संबंधित किस्मों के साथ स्वाभाविक रूप से पार-परागण करते हैं।
- बीटी कपास: यह कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट-प्रतिरोधी किस्म है।

आगे की राह

- **फसल प्रणाली बदलना:** कपास की फसल प्रणाली को धीरे-धीरे उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (High Density Planting System- HDPS) की ओर एक व्यवस्थित परिवर्तन से गुज़रना होगा।
  - HDPS प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पौधों को समायोजित करने के लिये एक नई फसल प्रणाली है जिसमें खरपतवार प्रबंधन, विपत्रण और यांत्रिक चुनाई के लिये तकनीकी इनपुट का उपयोग किया जाता है।
  - नई फसल प्रणाली के लिये एक पूरी तरह से नए प्रकार के पौधे की आवश्यकता होती है, जिसमें हाइब्रिड से वैरायटल बीज की ओर आगे बढ़ने के साथ ही मशीन से बुवाई, खरपतवार प्रबंधन, विपत्रण और यांत्रिक चुनाई के लिये नए युग की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
  - किसान वर्तमान में झाड़ीदार, लंबी अवधि के संकर कपास के बीजों को डिबलिंग पैटर्न में प्रति एकड़ कम पौधों को समायोजित करते हुए अधिक दूरी पर बोते हैं और 180 से 280 दिनों के मौसम में बीज कपास की तीन से चार बार कटाई करते हैं।
- **साक्ष्य आधारित नीतियों को लागू करना:** कपास पर सरकार के नीति प्रतिमान को बीजों के मूल्य और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पर प्रगतिवादी साक्ष्य आधारित नीतियों के लिये जगह छोड़ देनी चाहिये। ऐसा न केवल भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत बायोटेक लक्षणों के लिये बल्कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFRA) के तहत प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये किया जाना चाहिये।
  - किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए HDPS के लिये उपयुक्त नई किस्मों पर IPR का प्रवर्तन R&D और उच्च घनत्व उपयुक्त जीनोटाइप की ब्रीडिंग में निवेश को आकर्षित करने के लिये सशक्त किया जाना चाहिये।
- **बाज़ार लिंकेज को मज़बूत करना:** बाज़ार लिंकेज को मज़बूत करने से किसानों को अपने कपास की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकती है। सरकार कपास के लिये एक सुदृढ़ खरीद प्रणाली स्थापित कर सकती है, मूल्य स्थिरीकरण कोष का सृजन कर सकती है और कपास ग्रेडिंग एवं मानकीकरण तंत्र स्थापित कर सकती है।

नोट :

- **मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देना:** कपास क्षेत्र में मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहित करने से आय बढ़ाने और रोज़गार के अवसर सृजित करने में मदद मिल सकती है। यह कपड़े, परिधान और होम फर्निशिंग जैसे कपास आधारित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।
- **अनुसंधान और विकास को बढ़ाना:** अनुसंधान और विकास में निवेश करने से कपास की नई किस्में विकसित करने, कीट प्रबंधन अभ्यासों में सुधार लाने और कपास की खेती में सुधार के लिये नवीन तकनीकों का विकास करने में मदद मिल सकती है।
- **अवसंरचनात्मक सुधार:** सरकार कपास उत्पादन क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई सुविधाओं और भंडारण सुविधाओं का निर्माण कर अवसंरचना में सुधार ला सकती है। इससे किसानों को बाज़ार अभिगम्यता, अपनी उपज के परिवहन और कीमतों के अनुकूल होने तक अपने कपास का भंडारण करने में मदद मिल सकती है।

प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सुरक्षित करने की कोशिश

संदर्भ

- तकनीकी नवाचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण कार्य की दुनिया में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गिग वर्कर्स का उदय भी इसी से संबद्ध एक परिघटना है। वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल के 2.35 करोड़ कर्मचारियों तक बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत की G-20 अध्यक्षता लाभ की सुवाह्यता (जो एक नियोक्ता के बजाय एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बिना किसी रुकावट के एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक ले जाए जा सकते हैं) पर अधिक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान करेगी, इस प्रकार सीमा पार किये जाते प्लेटफॉर्म वर्क के लिये कर्मियों के हित की रक्षा करेगी।
- इस प्रकार, भारत की G-20 अध्यक्षता द्वारा 'गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा' को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्नित करने का निर्णय उपयुक्त है। निर्विवाद रूप से, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करती है। हालाँकि, श्रम बाज़ारों पर इसके संभावित विघटनकारी प्रभाव (disruptive effects) भी पड़ सकते हैं।

नोट:

- मोटे तौर पर, प्लेटफॉर्म इकॉनमी दो बिज़नेस मॉडलों- 'क्राउडवर्क' (Crowdwork) और 'वर्क-ऑन-डिमांड वाया ऐप्स' (Work-on-demand via apps) के माध्यम से संचालित होती है।
  - क्राउडवर्कर्स उन प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन कार्य करते हैं जो सीमाओं के पार बड़ी संख्या में ग्राहकों, संगठनों और व्यवसायों को जोड़ते हैं।
  - दूसरी ओर, 'वर्क-ऑन डिमांड वाया ऐप्स' का तात्पर्य स्थान-आधारित और भौगोलिक दृष्टि से सीमित कार्य से है, जिसे प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम बनाया जाता है।

प्लेटफॉर्म वर्कर्स के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याएँ

- **कर्मियों के रूप में वर्गीकरण:** प्लेटफॉर्म कर्मियों के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि उन्हें प्राय: कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र संविदाकारों (contractors) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे कुछ लाभों के हक़दार नहीं हो पाते, जैसे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और श्रमिक मुआवजा।
- **अभिगम्यता संबंधी समस्याएँ:** भले ही गिग इकॉनमी उन सभी के लिये सुलभ है जो इस तरह के रोज़गार में संलग्न होने के इच्छुक हैं साथ ही, इसके ज़रिए रोज़गार के व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं फिर भी इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक तक पहुँच एक प्रतिबंधक कारक हो सकती है।
  - इसने गिग इकॉनमी को काफी हद तक एक शहरी परिघटना बना दिया है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रोज़गार में संलग्न कर्मी, विशेष रूप से ऐप-आधारित टैक्सी एवं डिलीवरी क्षेत्रों से संलग्न महिला कर्मी, विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं।
- **कम वेतन:** भारत में कई प्लेटफॉर्म कर्मी कम वेतन अर्जित करते हैं, प्राय: न्यूनतम वेतन से भी कम। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि प्लेटफॉर्म कंपनियाँ मूल्य पर प्रतिस्पर्द्धा करती हैं और कम वेतन पर भी नौकरी करने को तैयार कर्मियों का एक बड़ा समूह मौजूद है।
- **सुदीर्घ कार्य-घंटे:** प्लेटफॉर्म कर्मियों को प्राय: अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये पर्याप्त धन अर्जित करने के लिये लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। इससे उनमें शारीरिक-मानसिक-भावनात्मक थकान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** प्लेटफॉर्म कर्मी पेंशन या बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हक़दार नहीं होते। यह उन्हें दुर्घटना या बीमारी के मामले में जोखिमपूर्ण स्थिति में डालता है।

नोट :

- **सौदेबाजी शक्ति का अभाव:** प्लेटफॉर्म कर्मी आमतौर पर अकेले कार्य करते हैं और उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है जो एक संघ या सामूहिक सौदेबाजी समझौते का अंग होने पर प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि वे बेहतर वेतन या कार्य स्थिति के लिये बातचीत कर सकने में सक्षम नही हो पाते।
- **भेदभाव:** कुछ प्लेटफॉर्म कंपनियों पर कर्मियों के कुछ समूहों, जैसे महिलाओं या निचली जातियों के कर्मियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है।
  - दलित गिग वर्कर, जो सबसे निचली जाति से ताल्लुक रखते हैं, सीमित कार्य अवसरों, कम वेतन और सामाजिक बहिष्करण के रूप में भेदभाव का सामना करते हैं।
  - कुछ ग्राहकों द्वारा मुस्लिम डिलीवरी बॉय से सेवा लेने मना करने या उनका अपना धर्म जानने के बाद अपने ऑर्डर रद्द कर देने जैसे मामले भी प्रकाश में आए हैं।
- **विनियमन का अभाव:** भारत में वर्तमान में प्लेटफॉर्म वर्क के लिये कोई नियामक ढाँचा मौजूद नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि प्लेटफॉर्म कंपनियाँ श्रम कानूनों या मानकों का अनुपालन किये बिना भी कार्य कर सकती हैं।

प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है?

- **एक नई विधिक श्रेणी का निर्माण करना:** कर्मियों और स्वतंत्र संविदाकारों के बीच के ग्रे क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिये 'स्वतंत्र कर्मी' (independent workers) नामक एक नई विधिक श्रेणी बनाई जा सकती है। इस पर उपयुक्त सतर्कता से विचार किया जा सकता है।
  - कुछ मामलों में, स्वतंत्र कर्मी स्वतंत्र व्यवसायों की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें यह चुनने की स्वतंत्रता होती है कि वे कब और कहाँ कार्य करेंगे; साथ ही उनके पास कई मध्यस्थों के साथ कार्य करने का विकल्प भी होता है।
  - हालाँकि, कुछ मामलों में वे पारंपरिक कर्मियों के समान भी हैं, क्योंकि मध्यस्थ स्वतंत्र कर्मियों पर कुछ तरीकों से नियंत्रण भी रखता है, जैसे कि उनकी फीस या फीस कैप निर्धारित करने के रूप में।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ का विस्तार:**
  - गिग इकोनॉमी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ देने के लिये किया जा सकता है।
  - गिग इकॉनमी पर अधिकांश लेन-देन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है और इस प्रकार इसे ट्रैक किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, इंडोनेशिया ने देश में आमतौर पर मोटरसाइकिल टैक्सी सवारी के लिये उपयोग किये जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिये एक डिजिटल तंत्र पेश किया है ।
    - ऐप्लीकेशन का उपयोग करते समय चालक और यात्री दोनों के दुर्घटना बीमा (उस यात्रा के दौरान) के लिये टैरिफ की एक छोटी सी राशि स्वचालित रूप से काट ली जाती है।
- **सामूहिक सौदेबाजी:** प्लेटफॉर्म कर्मियों को बेहतर वेतन, लाभ और कार्य करने की स्थिति पर समझौता वार्ता करने के लिये प्लेटफॉर्म के मालिकों के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिये। सामूहिक सौदेबाजी प्लेटफॉर्म कर्मियों को समझौता वार्ताओं में अधिक लाभ उठाने में मदद कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।
- **लाभों तक पहुँच:** प्लेटफॉर्म कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा, वैतनिक अस्वस्थता अवकाश और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे लाभों तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिये। सरकारी नियमों और निजी क्षेत्र की पहल के संयोजन के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है।
- **उचित वेतन:** प्लेटफार्म कर्मियों को उनके कार्य के लिये उपयुक्त वेतन दिया जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के लिये अपनी भुगतान संरचना का खुलासा करना आवश्यक बनाया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे पारदर्शी एवं निष्पक्ष हैं।
- **भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा:** प्लेटफॉर्म कर्मियों को लिंग, जाति, नस्ल, धर्म, यौन उन्मुखता या नि:शक्तता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षित किया जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के पास भेदभाव को रोकने के लिये नीतियाँ होनी चाहिये और कर्मियों को भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिये एक तंत्र प्रदान किया जाना चाहिये।
- **संगठित होने का अधिकार:** प्लेटफॉर्म कर्मियों के पास अपने हितों की रक्षा के लिये संगठित होने और संघ बनाने का अधिकार होना चाहिये। इससे उन्हें बेहतर वेतन, लाभ और काम स्थिति पर समझौता वार्ता करने में भी मदद मिल सकती है।
- **विनियमन और प्रवर्तन:** सरकारों को प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को विनियमित करना चाहिये और प्लेटफॉर्म कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिये श्रम कानूनों को लागू करना चाहिये। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिये प्लेटफॉर्म की निगरानी करना भी शामिल हो सकता है कि वे श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं और उल्लंघन के लिये उन पर अर्थदंड लगाया जा सकता है।

नोट :

भारत में अनुसंधान और विकास की कमी

संदर्भ

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में कोडक एक प्रसिद्ध कंपनी थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने 'द ईस्टमैन कोडक कंपनी' के रूप में की थी। हालाँकि कंपनी का पतन उन शक्तिशाली कंपनियों के लिये भी चेतावनी है जो नवाचार की उपेक्षा करती।

- नवाचार और तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास के लिये पूर्वापेक्षाएँ हैं। रचनात्मक विकास की केंद्रीय अवधारणा यह है कि नए नवाचारों के उभरने के साथ ही पिछले नवाचार अप्रचलित हो जाते हैं।
- अत: अर्थव्यवस्था के विकास के लिये नवाचार आवश्यक है। भारत में सरकार, अन्य देशों के विपरीत जहां निजी उद्यम प्राथमिक चालक है, 60% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय करती है। R&D को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद देश R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% खर्च करता है।
- वर्ष 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसंधान और विकास सांख्यिकी ने 60.9 बिलियन रुपये का अनुमान प्रदान किया है। वर्ष 2017-18 में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 60.9 बिलियन R&D पर खर्च किया गया, जो कि यू.एस. फर्मों द्वारा भारत में R&D पर खर्च किये जाने की रिपोर्ट का केवल 10% है।
- अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी के मुद्दे से निपटना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

R&D में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी सीमित क्यों?

- **कमज़ोर पेटेंट प्रणाली:** ऐतिहासिक रूप से वाणिज्यिक नवाचारों की सुरक्षा में भारत की पेटेंट प्रणाली कमज़ोर और अविश्वसनीय रही है, जिसने फर्मों के बीच असंतोष की भावना पैदा की है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बौद्धिक संपदा को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिससे उनके संभावित लाभ कम हो सकते हैं।
- **नकल का जोखिम:** स्थानीय प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा नकल के जोखिम के कारण निजी कंपनियाँ भारत में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से हिचकिचाती हैं, जो R&D में निवेश को और हतोत्साहित करता है।
- **प्रतिभा की कमी:** निजी कंपनियाँ भारत की तुलना में अमेरिका और चीन में अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करती हैं क्योंकि उनके उच्च शिक्षा संस्थान की प्रतिभा क्षमता कंपनियों को आकर्षित करते हैं। शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये भारत को अपने उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का अभाव:** भारत में लगभग 40,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में से 1% से भी कम वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान दोनों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
  - इसका तात्पर्य यह है कि 99% उच्च शिक्षा संस्थान देश के उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान निर्माण में योगदान नहीं दे रहे हैं।
- **संकीर्ण अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के सरकार के प्रयास ने आईआईएससी, आईआईटी और आईआईएसईआर जैसे संस्थानों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर किया है।
- **प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद में चुनौतियाँ:** नौकरशाही लालफीताशाही और सिस्टम में देरी के कारण प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद शोधकर्त्ताओं के लिये एक दु:स्वप्न हो सकती है।
- **क्षमता का मुद्दा:** भारतीय पेटेंट कार्यालय में मार्च, 2022 तक केवल 860 पेटेंट परीक्षक और नियंत्रक थे, जो चीन के 13,704 और अमेरिका के 8,132 परीक्षकों और नियंत्रकों की तुलना में काफी कम है, जिससे भारतीय पेटेंट कार्यालय मांग को संभालने के लिये जूझ रहा है।

R&D में कम निजी खिलाड़ियों के अन्य कारण क्या हैं?

- **वित्त की समस्या:** भारत में अनुसंधान एवं विकास की अपर्याप्तता का एक मुख्य कारण अनुसंधान और विकास के लिये पर्याप्त धन की कमी है।
  - सरकार अनुसंधान में बहुत कम निवेश करती है और निजी कंपनियाँ भी उच्च जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण अनुसंधान एवं विकास में अधिक राशि का निवेश करने को तैयार नहीं हैं।
- **आधारभूत संरचना की कमी:** भारत में अनुसंधान और विकास के लिये पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है। देश में केवल कुछ ही अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ और अनुसंधान सुविधाएँ हैं, जो शोधकर्त्ताओं की उन्नत अनुसंधान करने की क्षमता को सीमित करती हैं।

नोट :

- **शिक्षा और उद्योग के बीच सीमित सहयोग:** भारत में शिक्षा और उद्योग के बीच सीमित सहयोग है, जो नवाचार और अनुसंधान के व्यावसायीकरण में बाधा डालता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर कम ध्यान दिया गया है, जो नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **प्रतिभा का पलायन:** भारत के कई प्रतिभाशाली लोग बेहतर अवसरों के लिये दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन होता है जो देश की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को कमज़ोर करता है।
- **अपर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण:** भारत की शिक्षा प्रणाली अनुसंधान और विकास करियर के लिये छात्रों को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करती है। शोधकर्त्ताओं के लिये अपने कौशल में सुधार करने और अपने क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति के साथ बनाए रखने के लिये प्रशिक्षण के अवसरों की भी कमी है।
- **नौकरशाही से उत्पन्न बाधाएँ:** कई बाधाएँ नौकरशाही से उत्पन्न होती हैं जिनका सामना शोधकर्त्ताओं को भारत में धन प्राप्त करने और अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिये करना होता है। यह नौकरशाही लालफीताशाही अनुसंधान प्रक्रिया को धीमा कर देती है और कई शोधकर्त्ताओं को भारत में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करती है।

आगे की राह

- **एक सक्षम विनियामक वातावरण बनाना:** सरकार एक अनुकूल विनियामक वातावरण बना सकती है जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करे।
  - इसमें नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निजी क्षेत्र को निवेश के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने और सभी वर्गों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ काम कर सकती है, जहां निजी क्षेत्र सड़कों, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों जैसी सार्वजनिक आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश और संचालन करता है।
  - यह निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है साथ ही, यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना:** भारत सरकार निवेश नियमों को उदार बनाकर, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और विदेशी निवेशकों के लिये प्रोत्साहन प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकती है।
  - यह आर्थिक विकास को गति देने में मदद करने के लिये, अत्यधित आवश्यक, विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता लाने में मदद कर सकता है।
- **कौशल विकास और शिक्षा:** सरकार कुशल श्रमिकों का पूल बनाने में मदद करने के लिये कौशल विकास और शिक्षा पहलों में निवेश कर सकती है जो निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। यह कौशल अंतर को दूर करने में मदद कर सकता है जिसका सामना कई निजी क्षेत्र के खिलाड़ी अपने संचालन का विस्तार करने की कोशिश करते समय करते हैं।
- **आधारभूत संरचना का विकास:** सरकार आधारभूत संरचना के विकास में निवेश कर सकती है, जैसे नई सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण, जो निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। बेहतर आधारभूत संरचना उत्पादकता में सुधार और व्यवसायों के लिये लागत कम करने में भी मदद कर सकता है।

भारत में अनुसंधान और विकास की कमी

संदर्भ

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में कोडक एक प्रसिद्ध कंपनी थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने 'द ईस्टमैन कोडक कंपनी' के रूप में की थी। हालाँकि कंपनी का पतन उन शक्तिशाली कंपनियों के लिये भी चेतावनी है जो नवाचार की उपेक्षा करती ।

- नवाचार और तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास के लिये पूर्वापेक्षाएँ हैं। रचनात्मक विकास की केंद्रीय अवधारणा यह है कि नए नवाचारों के उभरने के साथ ही पिछले नवाचार अप्रचलित हो जाते हैं।
- अत: अर्थव्यवस्था के विकास के लिये नवाचार आवश्यक है। भारत में सरकार, अन्य देशों के विपरीत जहां निजी उद्यम प्राथमिक चालक है, 60% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय करती है। R&D को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद देश R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% खर्च करता है।
- वर्ष 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसंधान और विकास सांख्यिकी ने 60.9 बिलियन रुपये का अनुमान प्रदान किया है। वर्ष 2017-18 में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 60.9 बिलियन R&D पर खर्च किया गया, जो कि यू.एस. फर्मों द्वारा भारत में R&D पर खर्च किये जाने की रिपोर्ट का केवल 10% है।

नोट :

- अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी के मुद्दे से निपटना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

R&D में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी सीमित क्यों?

- **कमज़ोर पेटेंट प्रणाली:** ऐतिहासिक रूप से वाणिज्यिक नवाचारों की सुरक्षा में भारत की पेटेंट प्रणाली कमज़ोर और अविश्वसनीय रही है, जिसने फर्मों के बीच असंतोष की भावना पैदा की है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बौद्धिक संपदा को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिससे उनके संभावित लाभ कम हो सकते हैं।
- **नकल का जोखिम:** स्थानीय प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा नकल के जोखिम के कारण निजी कंपनियाँ भारत में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से हिचकिचाती हैं, जो R&D में निवेश को और हतोत्साहित करता है।
- **प्रतिभा की कमी:** निजी कंपनियाँ भारत की तुलना में अमेरिका और चीन में अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करती हैं क्योंकि उनके उच्च शिक्षा संस्थान की प्रतिभा क्षमता कंपनियों को आकर्षित करते हैं। शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये भारत को अपने उच्च शिक्षा संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का अभाव:**
  - भारत में लगभग 40,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में से 1% से भी कम वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान दोनों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
  - इसका तात्पर्य यह है कि 99% उच्च शिक्षा संस्थान देश के उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान निर्माण में योगदान नहीं दे रहे हैं।
- **संकीर्ण अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के सरकार के प्रयास ने आईआईएससी, आईआईटी और आईआईएसईआर जैसे संस्थानों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर किया है।
- प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद में चुनौतियाँ:
  - नौकरशाही लालफीताशाही और सिस्टम में देरी के कारण प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद शोधकर्त्ताओं के लिये एक दु:स्वप्न हो सकती है।
- **क्षमता का मुद्दा:** भारतीय पेटेंट कार्यालय में मार्च, 2022 तक केवल 860 पेटेंट परीक्षक और नियंत्रक थे, जो चीन के 13,704 और अमेरिका के 8,132 परीक्षकों और नियंत्रकों की तुलना में काफी कम है, जिससे भारतीय पेटेंट कार्यालय मांग को संभालने के लिये जूझ रहा है।

R&D में कम निजी खिलाड़ियों के अन्य कारण क्या हैं?

- **वित्त की समस्या:** भारत में अनुसंधान एवं विकास की अपर्याप्तता का एक मुख्य कारण अनुसंधान और विकास के लिये पर्याप्त धन की कमी है।
  - सरकार अनुसंधान में बहुत कम निवेश करती है और निजी कंपनियाँ भी उच्च जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण अनुसंधान एवं विकास में अधिक राशि का निवेश करने को तैयार नहीं हैं।
- **आधारभूत संरचना की कमी:** भारत में अनुसंधान और विकास के लिये पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है। देश में केवल कुछ ही अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ और अनुसंधान सुविधाएँ हैं, जो शोधकर्त्ताओं की उन्नत अनुसंधान करने की क्षमता को सीमित करती हैं।
- **शिक्षा और उद्योग के बीच सीमित सहयोग:** भारत में शिक्षा और उद्योग के बीच सीमित सहयोग है, जो नवाचार और अनुसंधान के व्यावसायीकरण में बाधा डालता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर कम ध्यान दिया गया है, जो नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **प्रतिभा का पलायन:** भारत के कई प्रतिभाशाली लोग बेहतर अवसरों के लिये दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन होता है जो देश की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को कमज़ोर करता है।
- **अपर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण:** भारत की शिक्षा प्रणाली अनुसंधान और विकास करियर के लिये छात्रों को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करती है। शोधकर्त्ताओं के लिये अपने कौशल में सुधार करने और अपने क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति के साथ बनाए रखने के लिये प्रशिक्षण के अवसरों की भी कमी है।
- **नौकरशाही से उत्पन्न बाधाएँ:** कई बाधाएँ नौकरशाही से उत्पन्न होती हैं जिनका सामना शोधकर्त्ताओं को भारत में धन प्राप्त करने और अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिये करना होता है। यह नौकरशाही लालफीताशाही अनुसंधान प्रक्रिया को धीमा कर देती है और कई शोधकर्त्ताओं को भारत में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करती है।

आगे की राह

- **एक सक्षम विनियामक वातावरण बनाना:** सरकार एक अनुकूल विनियामक वातावरण बना सकती है जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करे।
  - इसमें नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निजी क्षेत्र को निवेश के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने और सभी वर्गों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

नोट :

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ काम कर सकती है, जहां निजी क्षेत्र सड़कों, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों जैसी सार्वजनिक आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश और संचालन करता है।
  - यह निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है साथ ही, यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रहे।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना:** भारत सरकार निवेश नियमों को उदार बनाकर, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और विदेशी निवेशकों के लिये प्रोत्साहन प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकती है।
  - यह आर्थिक विकास को गति देने में मदद करने के लिये, अत्यधित आवश्यक, विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता लाने में मदद कर सकता है।
- **कौशल विकास और शिक्षा:** सरकार कुशल श्रमिकों का पूल बनाने में मदद करने के लिये कौशल विकास और शिक्षा पहलों में निवेश कर सकती है जो निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। यह कौशल अंतर को दूर करने में मदद कर सकता है जिसका सामना कई निजी क्षेत्र के खिलाड़ी अपने संचालन का विस्तार करने की कोशिश करते समय करते हैं।
- **आधारभूत संरचना का विकास:** सरकार आधारभूत संरचना के विकास में निवेश कर सकती है, जैसे नई सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण, जो निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। बेहतर आधारभूत संरचना उत्पादकता में सुधार और व्यवसायों के लिये लागत कम करने में भी मदद कर सकता है।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

संदर्भ

फरवरी 2023 में सरकार ने घोषणा की कि वह 1000 से अधिक स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपने जा रही है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में इनके रखरखाव का कार्य करेंगी।

- भारत सरकार ने 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना का एक नया संस्करण लॉन्च किया है। यह निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों को गोद लेने और इनका रखरखाव करने के लिये प्रोत्साहित करने पर लक्षित है। सरकार के साथ ऐसे समझौतों में शामिल होने वाले व्यवसायों को 'स्मारक मित्र' के रूप में जाना जाएगा।
- सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2023 तक 500 संरक्षित स्थलों को और उसके बाद शीघ्र ही 500 अन्य स्थलों को गोद देने का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 2017 में शुरू की गई मूल 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के दायरे में लाए गए स्थलों की संख्या में दस गुना वृद्धि को प्रदर्शित करेगा।
- हालाँकि 'संशोधित' योजना में कुछ गंभीर दोष मौजूद हैं और देश की मूल्यवान बहुलतावादी विरासत विलुप्त होने का खतरा रखती है।
- 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना के संबंध में ऐतिहासिक संरक्षण, समुदाय, यातायात, पर्यटन और कॉर्पोरेट हितों सहित कई चिंताएँ व्यक्त की गई हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना से जुड़े मुद्दे

- **विशेषज्ञता की कमी:** विरासत संरक्षण में विशेषज्ञता नहीं रखने वाले व्यवसायों को विरासत स्थलों के रखरखाव की अनुमति देने से उनके ऐतिहासिक महत्त्व के खोने और भारत के अतीत के भ्रामक प्रस्तुतीकरण का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, मोरबी (गुजरात) में एक औपनिवेशिक युग के पुल के रखरखाव का कार्य ब्रिज इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता नहीं रखने वाली एक घड़ी कंपनी को सौंपा गया था जिसने संभवत: पुल के ढहने की दिल दहला देने वाली त्रासदी जैसा परिणाम दिया।
- **ASI के कार्य-दायित्व को कमतर करना:** यह योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को दरकिनारकरती है और 'सारनाथ पहल'— जो खुदाई की गई वस्तुओं को सुरक्षित रखने एवं आगंतुकों के समक्ष उन्हें आकर्षक तरीके से पेश करने के दिशानिर्देश प्रदान करती है, की अवहेलना करती है।
- **अवसंरचना का दोहराव:** योजना के लिये चुने गए कुछ स्मारकों में पहले से ही पर्यटक अवसंरचना तंत्र मौजूद है, जो फिर नए टिकट कार्यालयों और उपहार की दुकानों की आवश्यकता पर सवाल उठाता है।
- **घटते सार्वजनिक स्थल:** यह योजना व्यवसायों को प्रमुख सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने और अपने ब्रांड का निर्माण करने की अनुमति देती है, जो प्रतिष्ठित स्मारकों के आसपास उपलब्ध भूमि को और कम कर सकती है।
- **स्थानीय समुदायों को कमज़ोर करना:** यह योजना ऐतिहासिक स्थलों के साथ स्थानीय समुदायों के संबंधों को कमज़ोर कर सकती है और उन स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका को खतरे में डाल सकती है जो उनके वैभवपूर्ण अतीत के किस्सों के साथ आगंतुकों का मनोरंजन कर अपना जीवनयापन करते हैं।

नोट :

- **ऐतिहासिक चरित्र में परिवर्तन:** योजना के लिये चुने गए कुछ स्मारक ASI द्वारा संरक्षित नहीं हैं और व्यवसाय बिना अधिक विरोध के इनके ऐतिहासिक चरित्र को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।
- **स्मारकों के होटलों में परिवर्तित होने का जोखिम:** यदि स्मारकों को पूर्व-निर्धारित समय सीमा में स्मारक मित्रों द्वारा गोद नहीं लिया जाता है तो उनके ऐतिहासिक संरक्षण पर पर्यटन और कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें होटलों में भी परिवर्तित किया जा सकता है।
  - मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कुछ स्मारकों को होटल में रूपांतरित करने के लिये पर्यटन विभाग को सौंपना शुरू भी कर दिया है। इनमें चुनार का क़िला, बरवासागर झील के पास स्थित एक दुर्ग और अवध के नवाबों द्वारा निर्मित कई आवास शामिल हैं।

भारत में विरासत संरक्षण से संबद्ध अन्य मुद्दे

- **सीमित प्रशिक्षित जनशक्ति:** सरकारी एजेंसियों के पास सीमित संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, विशेष रूप से प्रयोगात्मक और संख्यात्मक सुविधाएँ, जो उन्हें संरचनात्मक सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास से अवरुद्ध करती हैं।
  - विरासत संरक्षण को प्रमुख करियर विकल्प के रूप में पेश करने और कौशल प्रदान करने के प्रयासों की कमी संस्थागत स्तर पर एक विकट चुनौती बनी हुई है।
- **अवसंरचनात्मक कमियाँ:** आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा और निर्माण सामग्री एवं अभ्यासों के पारंपरिक ज्ञान के बीच अभिसरण की कमी है; यह विरासत संरक्षण के लिये एक गंभीर बाधा है।
- **तंत्रों का अनौपचारीकरण:** ऐसे औपचारिक तंत्र भारत में अनुपस्थित हैं जो मरम्मत या सुदृढ़ीकरण रणनीति के चयन से पहले अवशिष्ट क्षमता के निदान और मात्रात्मक मूल्यांकन के लिये वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता को चिह्नित करते हैं।
  - भारत में विरासत संरचनाओं का एक बड़ा भंडार मौजूद है, जिसे उनकी संरचनात्मक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक औपचारिक मंच के माध्यम से संबोधित किया जाना आवश्यक है।
- **जागरूकता की कमी:** घरेलू आगंतुकों में नागरिक भावना की व्यापक कमी पाई जाती है, जो ऐतिहासिक स्मारकों पर नाम लिखकर या गंदगी फैलाकर उन्हें खराब करते हैं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:** कई प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण मौजूद हैं जो विरासत स्मारकों को नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिये, मथुरा में तेल रिफाइनरी द्वारा उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रदूषकों से ताजमहल बुरी तरह प्रभावित हुआ था।
- **धन की कमी:** सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये धन की कमी प्रमुख चुनौती बनी रही है। विरासत के संरक्षण और परिरक्षण पर सरकारी प्राधिकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
- **उत्खनन और अन्वेषण का पुराना पड़ चुका तंत्र:** अन्वेषण में अभी भी पुरातन तंत्रों का उपयोग जारी है और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एवं रिमोट सेंसिंग का शायद ही कभी उपयोग किया जाता है।
  - इसके साथ ही, शहरी विरासत परियोजनाओं से संलग्न स्थानीय निकाय प्राय: विरासत संरक्षण के प्रबंधन के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं।

आगे की राह

- **नागरिकों को जागरूक करना:**
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड को इतिहास और स्मारकों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों के शोध, लेखन एवं प्रकाशन के साथ-साथ नवीन शिक्षण विधियों के विकास के लिये निर्धारित किया जा सकता है।
  - यह दृष्टिकोण नागरिकों को स्मारकों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।
    - पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों को सुधा मूर्ति और एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा मदद दी गई है ताकि इतिहास लेखन के अपने मिशन को जारी रखने के लिये वे टेक्स्ट रिकॉर्ड और पुरातात्विक साक्ष्य को तर्कसंगत रूप से समन्वित कर सकें। अन्य कॉर्पोरेट भी इससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं।
- **व्यापारियों को धन दान करने के लिये प्रोत्साहित करना:**
  - व्यापारियों और दुकानदारों को स्थानीय स्मारकों से संबंधित अभिलेखीय सामग्री (जैसे किताबें, नक्शे और पुरानी तस्वीरों) को इकट्ठा करने के लिये स्कूल पुस्तकालयों को धन दान करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - यह दृष्टिकोण छात्रों को ऐतिहासिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने और छात्र समुदाय में स्मारकों के महत्त्व की सराहना करने में मदद करने का एक प्रभावी तरीका सिद्ध हो सकता है।

नोट :

- **उपकरण खरीद के लिये CSR फंड का उपयोग करना:**
  - ऐसे उपकरणों की खरीद के लिये CSR फंड का उपयोग किया जा सकता है जो प्रदूषण कम करते हैं और ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा में योगदान करते हैं।
  - यह दृष्टिकोण विरासत भवनों को संरक्षित करने और उनके क्षय को रोकने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।
    - अतीत में, टाटा संस, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) और अन्य कंपनियों ने नियमित रूप से उन संगठनों को धन प्रदान किया है जो लोगों को पुनरुद्धार कौशल (Restoration Skills) में प्रशिक्षण देते हैं और उनके लिये रोज़गार सृजित करते हैं।

भारत के किसानों की आय दोगुनी करना

संदर्भ

वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने उस वर्ष किसानों की आय दोगुनी करने के अपने स्वप्न को साझा किया जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा और 'अमृत काल' में प्रवेश करेगा। अब जबकि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, उस स्वप्न पर पुनर्विचार करने और यह देखने का यह उपयुक्त समय है कि क्या वह साकार हुआ, और यदि नहीं तो इसे साकार करने के लिये क्या किया जा सकता है।

- जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, हम समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उच्च वृद्धि को नहीं बनाए रख सकेंगे। ऐसा इसलिये है क्योंकि संपन्न शहरी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के तुरंत बाद फिर विनिर्माण क्षेत्र को मांग की कमी का सामना करना पड़ता है।
- कृषि कार्यबल के सबसे बड़ा भाग को संलग्न करती है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में 45.5%)। इसलिये, कृषि पर ध्यान केंद्रित करना समग्र अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक उच्च विकास को सुनिश्चित करने का उपयुक्त तरीका है।
- कृषि पर पृथ्वी की सबसे बड़ी जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने का भी भार है। वर्तमान संदर्भ में यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो इसमें ऐसी नीतियाँ शामिल होनी चाहिये जो इस ग्रह के बुनियादी संसाधनों- यथा मृदा, जल, वायु और जैव विविधता की भी रक्षा करें।

किसानों की आय दोगुनी करने से संबद्ध समस्याएँ

कृषि नीतियों से संबंधित मुद्दे: सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापार एवं विपणन नीतियाँ किसानों की आय को दमित कर रही हैं।

- उदाहरण के लिये: निर्यात पर प्रतिबंध, वायदा बाज़ार से कई वस्तुओं का निलंबन और कुछ वस्तुओं पर स्टॉकिंग सीमा लागू करना।
- ये किसानों की आय के 'अंतर्निहित कराधान' (Implicit Taxation) के छिपे हुए नीतिगत साधन हैं।
- भारी सब्सिडी की नीति के साथ धान एवं गेहूँ की आश्वस्त एवं पूर्व-निर्धारित सीमा रहित खरीद पर्यावरण के लिये चुनौतियाँ पैदा कर रही है।

- **भूमि का विखंडन:** भारत में भूमि विखंडन एक प्रमुख समस्या है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, भारत में किसानों की कुल संख्या के लगभग 85% भाग का निर्माण करते हैं।
  - भूमि का यह विखंडन कृषि कार्यों के पैमाने को सीमित करता है, जिससे आकारिक मितव्ययिता या 'इकोनॉमिज़ ऑफ़ स्केल' (economies of scale) को हासिल करना कठिन हो जाता है।
- **कमज़ोर अवसंरचना:** भारत में कृषि अवसंरचना कमज़ोर है, जिसमें अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, खराब भंडारण सुविधाएँ और कमज़ोर परिवहन नेटवर्क शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता की उपज, उपज की बर्बादी और किसानों के लिये कम प्रतिलाभ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
- **निम्न उत्पादकता:** भारतीय कृषि की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अनियमित वर्षा, तापमान वृद्धि और सूखा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी की घटनाएँ फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं और किसानों की आय को कम करती हैं।
- **मूल्य अस्थिरता:** एक स्थिर मूल्य निर्धारण नीति के अभाव के कारण भारत में कृषि क्षेत्र मूल्य अस्थिरता की विशेषता प्रकट करते हैं।
  - कृषि पण्यों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ उच्च इनपुट लागत किसानों के लिये अपने उत्पादन एवं विपणन रणनीतियों की योजना बनाना कठिन कर देते हैं।
- **अपर्याप्त संस्थागत सहायता:** किसानों के लिये ऋण, बीमा और विपणन सुविधाओं के रूप में संस्थागत समर्थन की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है।
  - लघु और सीमांत किसानों के लिये ऋण एवं बीमा तक पहुँच की कमी है।

नोट :

- **मानसून पर निर्भरता:** भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग मानसून की वर्षा पर निर्भर है।
  - विलंबित या अपर्याप्त वर्षा फसल उत्पादन और किसानों की आय को प्रभावित करती है।

किसानों के समर्थन के लिये सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जिसमें फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की वृद्धि करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का निर्माण करना शामिल है।
- सरकार उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है जिसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह 'पीएम-किसान' के माध्यम से किसानों को आय सहायता भी प्रदान करती है।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को कम से कम 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह का मुफ्त राशन प्राप्त होता है।
- फसल बीमा, ऋण और सिंचाई के लिये भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- राज्य भी वृहत मात्रा में बिजली सब्सिडी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से सिंचाई के लिये। कई राज्यों द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिये कृषि मशीनरी को भी सब्सिडी दी जा रही है।

आगे की राह

- **समर्थन नीतियों का पुनर्संरेखन:** सरकार को उन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जल एवं उर्वरक जैसे संसाधनों का कम उपभोग करती हैं।
  - मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जा सकता है ताकि उनकी खेती प्रोत्साहन मिले।
  - सब्सिडी/समर्थन फसल-तटस्थ (crop-neutral) होना चाहिये या उन फसलों के पक्ष में झुका होना चाहिये जो हमारे ग्रह के संसाधनों के लिये लाभप्रद हैं।
- उच्च-मूल्य फसलों का प्रसार:
  - किसानों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिये और उच्च-मूल्य फसलों (High-Value Crops) को शामिल करना चाहिये जिनकी बाज़ार में बेहतर मांग है और जो उच्च मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
  - बेहतर बीज, सिंचाई तकनीक और संवाहनीय कृषि अभ्यासों पर प्रशिक्षण प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है।
- **निगमों के साथ सहयोग:** सरकार किसानों को बेहतर बाज़ार पहुँच और उनके बाज़ार जोखिम को कम करने के लिये सुनिश्चित 'बायबैक' व्यवस्था प्रदान करने के लिये निगमों/कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग कर सकती है।
  - टोफू, सोया मिल्क पाउडर, सोया आइसक्रीम और फ्रोजन सोया योगर्ट जैसे मूल्य-वर्धित उत्पाद के निर्माण के लिये किसानों की उपज का इस्तेमाल करते हुए निगम द्वारा किसानों को बेहतर कीमतों की पेशकश की जा सकती है।
- **तकनीकी नवाचार:** सरकार को उन नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिये जो किसानों को उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद कर सकें। इसमें 'तीसरी फसल' (Third Crop) के रूप में किसानों के खेतों पर सौर पैनलों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की चुनौतियाँ

संदर्भ

आयुर्वेद—जो हज़ारों वर्ष पहले भारत में उत्पन्न हुई चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली है, आज दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। जबकि इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा अभ्यास को पेशेवर करियर बनाने वाले लोगों को विभिन्न चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्त्व के बावजूद, भारत में आयुर्वेदिक पेशे को सरकार की ओर से उपयुक्त मान्यता एवं समर्थन की कमी से लेकर सीमित रोज़गार अवसर एवं कम वेतन तक विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अतिरिक्त, यह उद्योग काफी हद तक अनियमित है, जिससे आयुर्वेदिक उपचारों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता के बारे में चिंताएँ प्रकट की जाती हैं। इस संदर्भ में, भारत में आकांक्षी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ना होगा और सफलता प्राप्त करने एवं इस क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिये कई बाधाओं को पार करना होगा।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **साक्ष्य-आधारित गुणवत्ता की कमी:** उपचार की साक्ष्य-आधारित गुणवत्ता की कमी के कारण आयुर्वेद के प्रति भरोसे की कमी पाई जाती है। पुरातन सिद्धांतों को प्राय: परिष्कृत हठधर्मिता के रूप में पेश किया जाता है और इससे संबद्ध उपचार प्रत्यक्ष प्रायोगिक जाँच के अधीन नहीं होते हैं।

नोट :

- **धीमे उपचार की धारणा:** एक आम धारणा यह है कि आयुर्वेदिक उपचार धीमी गति से असर दिखाते हैं।
  - हालाँकि यह दृष्टिकोण अर्द्धसत्य है क्योंकि आयुर्वेद स्थायी रोगी लाभ पर बल देता है, जिसके लिये रोग से सेहत की ओर क्रमिक संक्रमण की आवश्यकता होती है।
- **सीमित उपयोगी ज्ञान:** आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का एक विशाल कोष है और इसका केवल एक अंश ही व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने योग्य है। चिकित्सकों को उपचार और उसकी प्रक्रिया की खोज करने के लिये स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे वृहत परीक्षण एवं त्रुटि परिदृश्य का निर्माण होता है।
- **अभ्यास का सीमित दायरा:** आयुर्वेद का उपयोग केवल 60-70% प्राथमिक देखभाल रोगों में ही सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
  - शेष के लिये, रोगी के हित में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा की पूरकता प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन अधिकांश राज्य आयुर्वेद स्नातकों द्वारा आधुनिक चिकित्सा के अभ्यास को निषिद्ध करते हैं, जिससे उनके अभ्यास का दायरा सीमित हो जाता है।
- **अनुसंधान और विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव:** आयुर्वेद में विज्ञान और अनुसंधान का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे चिकित्सकों के लिये बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ तालमेल रखना कठिन हो जाता है।
- **धोखाधड़ी और भ्रामक प्रचार:** कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक भोले-भाले रोगियों को फँसाने के लिये धोखाधड़ी और भ्रामक प्रचार का सहारा लेते हैं। इससे कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सकों के लिये विश्वास जगाना कठिन हो जाता है और आयुर्वेद की एक नकारात्मक छवि बनती है।

भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताएँ:** भारत में एक बड़ी आबादी मौजूद है जो विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएँ रखती है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
- **पारंपरिक चिकित्सा:** आयुर्वेद चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है जो सदियों से भारत में प्रचलित है। इस प्रणाली को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और चिकित्सा उपचार के लिये वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
- **साक्ष्य-आधारित अभ्यास:** साक्ष्य-आधारित अभ्यास की कमी जैसी चुनौतियों को संबोधित करने से आयुर्वेदिक उपचार की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और चिकित्सा की इस प्रणाली में आम लोगों के भरोसे की वृद्धि हो सकती है।
- **प्राथमिक देखभाल:** आयुर्वेदिक चिकित्सक भारत में प्राथमिक देखभाल सेवाएँ प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान से प्राथमिक देखभाल को पुनः जीवंत करने और भारत में प्राथमिक देखभाल से संलग्न चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- **चिकित्सकों का सशक्तीकरण:** आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान से उन्हें सुरक्षित एवं प्रभावी देखभाल प्रदान करने हेतु सशक्त करने, उनकी प्रतिष्ठा एवं पेशेवर अभ्यास में वृद्धि करने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।
- **धोखाधड़ी से मुकाबला:** आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान से आयुर्वेद के क्षेत्र में व्याप्त धोखाधड़ी एवं अनैतिक अभ्यासों के प्रसार से निपटने में मदद मिल सकती है, जो रोगियों को हानि पहुँचाने के साथ ही इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचा सकते हैं।

आयुर्वेद के विकास के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन**
- **आहार क्रांति मिशन**
- **आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल**
- **ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप**

आधुनिक विश्व में आयुर्वेद के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **आपातकालीन मामलों में अप्रभावी उपचार:** गंभीर संक्रमणों और सर्जरी सहित अन्य आपात स्थितियों के उपचार में आयुर्वेद की अपर्याप्तता तथा चिकित्सीय उपचार में सार्थक शोध की कमी आयुर्वेद की सार्वभौमिक स्वीकृति को सीमित करती है।
  - आयुर्वेदिक उपचार जटिल हैं और इनसे बहुत-से 'क्या करें, क्या न करें' की शर्तें संलग्न हैं।
  - आयुर्वेदिक उपचार अपने कार्य और असर में धीमे होते हैं। प्रतिक्रिया या रोग निदान का आकलन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।

नोट :

- **मानकीकरण का अभाव:** आयुर्वेद के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दवाओं के निर्माण एवं उपयोग में मानकीकरण की कमी। आधुनिक चिकित्सा, जहाँ दवाओं को कड़े नियमों के तहत प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है, के विपरीत आयुर्वेदिक दवाएँ प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग से तैयार की जाती हैं, जो गुणवत्ता एवं सामर्थ्य में भिन्न हो सकती हैं। इससे दवा की प्रभावशीलता में असंगति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **अनुसंधान का अभाव:** जबकि आयुर्वेद का सदियों से अभ्यास किया जा रहा है, इसके दावों का समर्थन करने के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी है। साक्ष्य-आधारित शोध की कमी आयुर्वेद के लिये मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकृत होना कठिन बनाती है।
- **आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण:** आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा को प्राय: स्वास्थ्य देखभाल की दो पृथक प्रणालियों के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- **साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन:** आयुर्वेदिक प्रणाली को एक कठोर साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन से गुज़रना होगा ताकि चिह्नित हो सके कि क्या प्रभावी है और क्या नहीं। यह प्रयोग करने योग्य अंशों को अप्रचलित या अव्यावहारिक अंशों से अलग करने में मदद करेगा और चिकित्सकों को उपचार के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय ले सकने में सहायता करेगा।
- **आधुनिकीकरण:** समय की बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिये आयुर्वेद के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। पुरातन सिद्धांतों को आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं अभ्यासों से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है और आयुर्वेद को वृहत रूप से साक्ष्य-आधारित भी बनाना होगा।
- **नीति-निर्माण:** उपयुक्त नीति-निर्माण आयुर्वेद चिकित्सकों के समक्ष विद्यमान बहुत-सी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
  - इसमें आयुर्वेद स्नातकों को निर्धारित प्राथमिक देखभाल क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति देना शामिल है, जो एक ऐसे कार्यबल के सृजन में मदद कर सकता है जो भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।
- **जन जागरूकता का प्रसार:** आयुर्वेद के लाभों और सीमितताओं के बारे में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। यह शिक्षा अभियानों और ऐसे अन्य पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो आयुर्वेदिक प्रणाली की बेहतर समझ को बढ़ावा देने पर लक्षित हों।
- **अनुसंधान और विकास:** आयुर्वेद में कई रोगों के उपचार की अपार क्षमता है, लेकिन अभी भी इसके दावों के समर्थन में वैज्ञानिक शोध की कमी है। सरकारी और निजी संगठनों को आयुर्वेदिक दवाओं एवं अभ्यासों पर अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिये ताकि इनकी प्रभावशीलता एवं सुरक्षा को सत्यापित किया जा सके।
- **प्रशिक्षण और शिक्षा:** भारत में प्रशिक्षित एवं सुयोग्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी है। सरकारी एवं निजी संगठनों को आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करने और उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिये।

भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली में बदलाव

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2023 ने राज्यों के लिये 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के आवंटन को दोगुना कर दिया है (5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए) और भारतीय रेलवे के लिये 2.4 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है।

- यह योजना ''सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के इंजनों पर निर्भर आर्थिक विकास एवं सतत विकास के लिये एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण'' है।
- रेल द्वारा माल ढुलाई में बाधा उत्पन्न करने वाली अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक उपयुक्त मंच प्रदान करते हुए पीएम गति शक्ति ने वर्ष 2030 तक रेल माल ढुलाई को 27% से बढ़ाकर 45% करने और माल ढुलाई की मात्रा को 1.2 बिलियन टन से बढ़ाकर 3.3 बिलियन टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस परिदृश्य में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में देश की प्रतिस्पर्द्धात्मकता की वृद्धि के लिये लॉजिस्टिक्स प्रणाली में सुधार लाना आवश्यक है।

नोट :

भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली से संबद्ध मुद्दे

- **मोडल मिक्स का एक ओर झुका होना:** भारत की माल ढुलाई में मोडल मिक्स (Modal Mix) सड़क परिवहन की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है, जहाँ 65% माल ढुलाई सड़क मार्ग से संपन्न होती है। इससे सड़कों पर भीड़भाड़, प्रदूषण और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि जैसे परिणाम उत्पन्न हुए हैं।
- **रेल फ्रेट हिस्सेदारी की हानि:** रेलवे परिवहन का अधिक लागत प्रभावी साधन है, लेकिन सड़क परिवहन की सुविधा के कारण अधिक लचीले साधनों के समक्ष माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी खो रही है।
  - भारतीय रेलवे आवश्यक टर्मिनल अवसंरचना की कमी, अच्छे शेड एवं गोदामों के रखरखाव, वैगनों की अनिश्चित आपूर्ति, बारहमासी सड़कों की अनुपस्थिति (जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा रेलवे की पहुँच से बाहर है) जैसी अवसंरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है।
    - इसके परिणामस्वरूप उच्च नेटवर्क संकुलन, निम्न सेवा स्तर और पारगमन समय में वृद्धि की स्थिति बनती है।
- **थोक वस्तुओं का प्रभुत्व:** कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक भारत के माल ढुलाई में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, जबकि गैर-थोक वस्तुओं की रेल माल ढुलाई में बहुत कम हिस्सेदारी है।
  - वर्ष 2020-21 में भारत की कुल 1.2 बिलियन टन माल ढुलाई में कोयले की हिस्सेदारी 44% थी; इसके बाद लौह अयस्क (13%), सीमेंट (10%), खाद्यान्न (5%), उर्वरक (4%), लौह एवं इस्पात ((4%) का स्थान रहा।
  - रेल माल ढुलाई में गैर-थोक वस्तुओं की हिस्सेदारी बहुत कम है।
- **परिचालन और कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियाँ:** रेल द्वारा अधिक पारगमन समय, गमन के पूर्व और बाद की प्रक्रियात्मक देरी, मल्टी-मोडल हैंडलिंग तथा रेल द्वारा एकीकृत प्रथम और अंतिम-मील कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली के समक्ष विद्यमान परिचालन एवं कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियों में से कुछ हैं।
- **कुशल और विशेषज्ञ कर्मियों की कमी:** यह सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक के रूप में उभरा है, विशेष रूप से माल की बढ़ती मात्रा, जटिल संचालन और मल्टी-टास्किंग के साथ बढ़ते कार्य दबाव के कारण।
  - मुख्यत: श्रम-गहन प्रक्रियाओं के लिये अनुभवी मानव संसाधन की उपलब्धता, उच्च कौशल एवं विशेषज्ञता की मांग लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिये चुनौतीपूर्ण है।
- **भंडारण और कराधान संबंधी विसंगतियाँ:** लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ आम तौर पर भंडारण या वेयरहाउसिंग का विकल्प चुनती हैं क्योंकि यह उन्हें सामानों को भंडारित करने और मांग के अनुरूप उन्हें ग्राहक के पास पहुँचाने में सक्षम बनाता है। यह पारगमन समय को कम करने में मदद करता है।
  - लेकिन भंडारण लागतहीन रूप से उपलब्ध नहीं है और इष्टतम उपयोग के लिये उपयुक्त योजना की आवश्यकता रखता है।
- **विखंडन:** भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग अत्यधिक खंडित है, जहाँ कई छोटे और मध्यम आकार के खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं, जिससे संसाधनों के उप-इष्टतम उपयोग एवं उच्च लागत की स्थिति बनती है।
- **अक्षम आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:** आपूर्ति शृंखला में विभिन्न खिलाड़ियों (निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता आदि) के बीच समन्वय की कमी के कारण अक्षमता, देरी और लागत में वृद्धि की स्थिति बनती है।

लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)**
- **माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993**
- **पीएम गति शक्ति योजना**
- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क**
- **लीड्स रिपोर्ट**
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**
- **सागरमाला परियोजना**
- **भारतमाला परियोजना**

आगे की राह

- **निवेश की आवश्यकता:** भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिये चीन की तरह त्वरित एवं निम्न-लागत कंटेनर गमन के लिये उन्नत रेल अवसंरचना में भारी निवेश करने की आवश्यकता है।
  - प्राथमिकता के नए क्षेत्रों की पहचान करने के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं की निरंतर निगरानी भी रेल माल ढुलाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।

नोट :

- भारत को अतिसंतृप्त लाइन क्षमता बाधाओं को कम करने और ट्रेनों के परिचालन समय में सुधार करने के लिये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर पर विकसित किये जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अतिसंतृप्त लाइन क्षमता बाधाओं को कम करेंगे और ट्रेनों के परिचालन समय में सुधार करेंगे।

- **निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** भारतीय रेलवे को लॉजिस्टिक्स प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिये टर्मिनलों, कंटेनरों एवं गोदामों के संचालन और प्रबंधन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **एक विशेष इकाई की स्थापना:** भारतीय रेलवे को इंटरमॉडल लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन के लिये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में एक विशेष इकाई (special entity) स्थापित करनी चाहिये जो कार्गो आवाजाही एवं भुगतान लेनदेन के संबंध में ग्राहकों के लिये एकल खिड़की के रूप में कार्य कर सके।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना:** नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को रेल द्वारा निर्यात की सुविधा के लिये प्रथम और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के साथ एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग निर्माण:** भारत को एक निर्बाध लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ सहयोग निर्माण करना चाहिये जो सीमाओं के पार माल की कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान कर सके।
  - **उदाहरण के लिये:** बांग्लादेश और भारत 'पेट्रापोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट (ICP)'में सहयोग का निर्माण कर सकते हैं, जिसने पहले ही दोनों देशों के बीच व्यापार सुविधा को बेहतर बनाया है।
    - भारत और म्यांमार के बीच 'कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' इस तरह के सहयोग निर्माण का एक अच्छा उदाहरण है जो भारत के कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ने पर लक्षित है।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने से लॉजिस्टिक्स प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण:** लॉजिस्टिक्स प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये लॉजिस्टिक्स उद्योग से संलग्न कार्यबल का कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण है।
- **नियामक सुधार:** भारत को नियामक ढाँचे को सरल बनाने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास की बाधाओं को दूर करने के लिये नियामक सुधार करने की भी आवश्यकता है।

उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य अनुचित व्यापार अभ्यासों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष एवं कुशल विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करना है।

विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत ने उपभोक्ता संरक्षण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है जहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों के लिये विधिक ढाँचे को सशक्त बनाया गया है।

हालाँकि इन नीतिगत प्रयासों और शिकायत निवारण तंत्रों के बावजूद भारत में उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने में लगने वाला कुल समय अभी भी एक प्रमुख चुनौती है, जहाँ लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या बनी हुई है।

विवाद निवारण प्रणाली में मामलों के विलंबन या 'पेंडेंसी' की यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिये मानसिक, वित्तीय एवं भावनात्मक कठिनाइयों का कारण बनती है और इसलिये वर्तमान विवाद समाधान ढाँचे की पुनर्कल्पना या नई अभिकल्पना की आवश्यकता है। लंबित मामलों की समस्या के समाधान के लिये प्रणाली में कार्यविधि संबंधी, उपयुक्त एवं प्रक्रिया ब्रोकर्स की मध्यस्थता को कम करने की भी तत्काल आवश्यकता है।

उपभोक्ता संरक्षण क्यों आवश्यक है?

- **उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना:** उपभोक्ता संरक्षण उपाय उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करते हैं। जब उपभोक्ताओं की संरक्षा की जाती है तो वे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं की मांग करने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और गुणवत्ताहीन उत्पादों या सेवाओं की प्राप्ति के मामले में मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं।
- **धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकना:** उपभोक्ता संरक्षण कानून झूठे विज्ञापन, भ्रामक लेबलिंग और मूल्य हेरफेर जैसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है बल्कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा को भी प्रोत्साहन मिलता है।

नोट :

- **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को कम करना:** उपभोक्ता संरक्षण उपाय उत्पादों एवं सेवाओं के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिये, खाद्य उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों पर विनियमन यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे न्यूनतम सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने से व्यवसायों के लिये निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु एक समान अवसर का सृजन कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे बाज़ार के प्रति उपभोक्ता के भरोसे की वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यय, निवेश और रोज़गार सृजन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखना:** उपभोक्ता संरक्षण उपाय उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि सूचित किये जाने का अधिकार (Right to be informed), चुनने का अधिकार (Right to choose), सुरक्षा का अधिकार (Right to safety) और सुनवाई का अधिकार (Right to be heard)। ये अधिकार एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिये आवश्यक हैं।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के मार्ग की बाधाएँ

- **लंबित मामले:** राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लंबित मामलों के साथ भारत में लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या बहुत अधिक है।
  - इसके परिणामस्वरूप लंबी प्रतीक्षा अवधि और विवाद समाधान में देरी की स्थिति बनती है जो उपभोक्ताओं को निराश करती है।
    - दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य आयोगों के पास 1,12,000 जबकि ज़िला आयोगों के पास 4,29,000 मामले लंबित पड़े थे।
    - राष्ट्रीय आयोग के पास दर्ज 1,06,088 मामलों के लिये विलंबन दर (pendency rate) 20.5% थी, जबकि 35 राज्यों एवं 637 ज़िला आयोगों के लिये यह दर 22% थी।
- **आधारभूत संरचना की कमी:** कई उपभोक्ता मंचों और आयोगों में मामलों की बड़ी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति की कमी है।
  - इससे मामलों के निस्तारण में देरी होती है, जिन्हें अन्यथा त्वरित रूप से सुलझाया जा सकता था।
- **अक्षम शिकायत निवारण तंत्र:** यद्यपि कई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं, वे प्राय: अक्षमता से ग्रस्त हैं और उपभोक्ता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर पाते हैं।
  - उपभोक्ता प्राय: इन तंत्रों का उपयोग करना नहीं जानते हैं या उनके बारे में अनभिज्ञ हैं।
    - 'नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' (NCAER) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि किसी कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराने वाले केवल 18% उपभोक्ताओं को संतोषजनक समाधान प्राप्त हुआ, जबकि शेष को या तो कोई जवाब ही नहीं मिला या वे प्राप्त जवाब से संतुष्ट नहीं थे।
- **उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी:** भारत में बहुत से उपभोक्ताओं को निवारण की मांग से संबंद्ध अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है। इससे उनके लिये उपभोक्ता मंच का दरवाज़ा खटखटाना और न्याय की मांग करना कठिन हो जाता है।
- **व्यवसायों की सीमित भागीदारी:** भारत में व्यवसाय क्षेत्र उपभोक्ता-केंद्रित नीतियों को अपनाने और विवाद समाधान तंत्र में भागीदारी के मामले में पर्याप्त सुस्त रहे हैं।
  - यह उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की प्रभावशीलता को सीमित करता है और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान को धीमा करता है।

संबंधित पहलें

- **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) पोर्टल**
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NLSA) की भागीदारी में राष्ट्रीय लोक अदालतों का गठन**
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**

आगे की राह

- **उपभोक्ता जागरूकता:** उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिये और सरकार को उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिये नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना चाहिये।
- **उत्पाद गुणवत्ता मानक:** उपभोक्ताओं को गुणवत्ताहीन और खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिये सरकार को उत्पादों एवं सेवाओं के लिये कड़े गुणवत्ता मानकों को स्थापित एवं प्रवर्तित करना चाहिये।

नोट :

- **निवारण तंत्र:** सरकार को उपभोक्ताओं की शिकायतों को त्वरित गति एवं कुशलता से हल करने के लिये प्रभावी निवारण तंत्रों की स्थापना करनी चाहिये।
    - सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) संस्थानों द्वारा पहले से स्थापित बुनियादी ढाँचे और मंचों का लाभ उठा सकती है तथा उन्हें डिजिटल सार्वजनिक हित के रूप में देख सकती है।
    - तकनीकी-क्षमताओं से संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक अदालत हेल्पलाइन की स्थापना लोक अदालतों की प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ताओं, कंपनियों, आयोगों, विधिक सेवा प्राधिकरणों, निजी ADR एवं ODR एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के मध्य के प्रयासों को समन्वित करने में मदद कर सकती है।
- **ई-कॉमर्स विनियमन:** ई-कॉमर्स के उदय के साथ सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये भी विनियमनों की घोषणा की है।
    - ई-कॉमर्स मंचों के लिये उत्पादों, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति समय के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना आवश्यक बनाया जाना चाहिये तथा उनके पास उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिये एक सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिये।
- **डेटा शासन में सुधार लाना:** विवादों में शामिल पक्षकारों के सभी KYC विवरण एकत्र करने को अनिवार्य बनाकर संवाद समय को बचाया जा सकता है।
    - बैंक, ई-कॉमर्स संस्था और बड़े निगम जैसे संस्थागत पक्षकार संवाद, सुलह वार्ता एवं निपटान की त्वरित गति के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे शिकायतों का निपटान अधिक द्रुत गति से हो सकेगा।

राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6% की तुलना में 6.8% की दर से विकास करेगी। लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है।

हाल के समय में भारतीय चुनावों में एक आश्चर्यजनक व्यतिरेक दिखाई पड़ा है। देश में महिला मतदाताओं द्वारा मतदान में वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 2022 में संपन्न हुए चुनावों में आठ में से सात राज्यों में महिला मतदान में उछाल देखा गया।

यह स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है, लेकिन स्थानीय चुनावों, राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का यह बढ़ता अनुपात स्वयं महिलाओं द्वारा वृहत रूप से चुनाव लड़ने के रूप में परिलक्षित नहीं हुआ है।

इस परिदृश्य में, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग है। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

राजनीति और नौकरशाही के क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

- **राजनीति में:** अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, भारत में 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यता में महिलाएँ मात्र 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
    - भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ संसद के सभी सदस्यों के मात्र 10.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं (अक्टूबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार)।
        - राज्य विधानसभाओं के मामले में महिला विधायकों (MLAs) का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है।
        - इस संबंध में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। यह वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है।
- **नौकरशाही में:** केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न लोक सेवा नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है कि महिला उम्मीदवारों के लिये निःशुल्क आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।
    - इसके बावजूद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के आँकड़ों और वर्ष 2011 की केंद्र सरकार की रोज़गार जनगणना के अनुसार, इसके कुल कर्मियों में 11% से भी कम महिलाएँ थीं, जिनकी संख्या वर्ष 2020 में 13% तक दर्ज की गई।
    - इसके अलावा, वर्ष 2022 में IAS में सचिव स्तर पर केवल 14% महिलाएँ कार्यरत थीं।

नोट :

- सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की साथ गणना करें तो भी केवल तीन महिलाएँ मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- भारत में कभी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं बनी। गृह, वित्त, रक्षा और कार्मिक मंत्रालय में भी कभी कोई महिला सचिव नहीं रही हैं।

- **अन्य क्षेत्र:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्वामियों में केवल 20.37% महिलाएँ हैं, मात्र 10% स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा स्थापित किये गए हैं और श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 23.3% है।

राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है?

- **पितृसत्तात्मक मानसिकता:** भारत एक गहन पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्राय: पुरुषों से हीन माना जाता है।
  - यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता के संबंध में लोगों की सोच को प्रभावित करती है।
- **सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता:** भारत में महिलाओं से प्राय: पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहार की उम्मीद की जाती है और उन्हें राजनीति में करियर बनाने से हतोत्साहित किया जाता है। सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता यह निर्धारित करती है कि महिलाओं को पत्नियों एवं माताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये, जबकि राजनीति को प्राय: पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है।
- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक सीमित पहुँच रही है, जिसने राजनीति में भागीदारी की उनकी क्षमता को बाधित किया है। यद्यपि हाल के वर्षों में परिदृश्य में कुछ सुधार आया है, फिर भी बहुत-सी महिलाओं में अभी भी राजनीतिक पद पर कार्य कर सकने हेतु आवश्यक शिक्षा एवं कौशल की कमी है।
  - शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report- ASER) 2020 के अनुसार, 6-10 वर्ष आयु के बीच के 5.5% बच्चे और 11-14 वर्ष आयु के बीच के 15.9% बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे।
- **राजनीतिक दलों में सीमित प्रतिनिधित्व:** महिलाओं को राजनीतिक दलों में प्राय: कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनके लिये अपने दलों में विभिन्न पदों से गुज़रते हुए आगे बढ़ना और चुनाव के लिये दल का नामांकन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  - प्रतिनिधित्व की इस कमी को राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और इस धारणा का परिणाम माना जा सकता कि महिलाएँ पुरुषों की तरह चुनाव जीतने योग्य नहीं होतीं।
- **हिंसा और उत्पीड़न:** राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को प्राय: हिंसा और उत्पीड़न (भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों रूप में) का शिकार होना पड़ता है, जो फिर महिलाओं को राजनीति में प्रवेश या विभिन्न मुद्दों पर मुखर होने से हतोत्साहित कर सकता है। राजनीति में सुरक्षित एवं समावेशी अवसर की कमी महिलाओं की भागीदारी के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
- **असमान अवसर:** राजनीति में महिलाओं को प्राय: कम वेतन, संसाधनों तक कम पहुँच और सीमित नेटवर्किंग जैसे असमान अवसरों की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह असमानता महिलाओं के लिये पुरुष उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना और राजनीति में सफल होना चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
- **संरचनात्मक बाधाएँ:** महिला सशक्तिकरण के लिये संरचनात्मक बाधाएँ आम तौर पर वे प्राथमिक समस्याएँ हैं जो उनके लिये सेवाओं का अंग बनना कठिन बनाती हैं।
  - दूरस्थ संवर्गों में पदस्थापन, पितृसत्तात्मक कंडीशनिंग और नौकरी विशेष की आवश्यकताओं एवं मांगों के साथ पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के संतुलन जैसी सेवा शर्तें ऐसे कुछ सामाजिक कारक हैं जो महिलाओं को सिविल सेवाओं से बाहर रखने में योगदान करते हैं।
  - इसके अलावा, एक आम धारणा यह है कि महिलाओं को समाज कल्याण, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास जैसे 'सॉफ्ट' मंत्रालयों के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

राजनीति में महिलाओं का अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है?

- **सीटों का आरक्षण:** राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित की जाएँ।
  - बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इसे लागू किया गया है, जहाँ स्थानीय निकायों में कुल सीटों के कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
- राजनीतिक दलों द्वारा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:
  - राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चुनावों के लिये उम्मीदवारों के चयन में वे महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करें।
  - उन्हें महिला उम्मीदवारों के चयन का प्रयास करना चाहिये और आसानी से जीतने योग्य सीटों पर उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिये।

नोट :

- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** राजनीति में भागीदारी हेतु महिलाओं को सशक्त करने के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।
  - इससे महिलाओं को अपना आत्मविश्वास एवं कौशल विकसित करने और राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद मिलेगी।
- **स्थानीय महिला नेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** स्थानीय महिला नेताओं को प्रोत्साहन और समर्थन देकर राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। परामर्श कार्यक्रमों और अन्य सहायता पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।
- **राजनीति में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करना:**
  - राजनीति में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिये एक प्रमुख बाधा है। इस समस्या के समाधान के लिये और राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जागरूकता का प्रसार करने, सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने जैसे विभिन्न कदम उठाये जाने चाहिये।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना:** राजनीति में महिलाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व पितृसत्ता एवं लैंगिक मानदंडों जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित हो सकता है। इन मुद्दों को विभिन्न अभियानों, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों और 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ', सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सामाजिक सुधार पहलों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।
- **कार्य-जीवन संतुलन के लिये सहायता प्रदान करना:** कई महिलाओं को अपने परिवार एवं निजी जीवन के साथ अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लचीले शेड्यूल, बाल देखभाल और मातृ/पितृ अवकाश (Parental leave) जैसे उपायों के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन (Work-life balance) को समर्थन प्रदान कर इस मुद्दे को हल किया जा सकता है।
  - हाल ही में केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिये मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की है।
- **दृश्यता और मान्यता बढ़ाना:** राजनीति में सक्रिय महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिये अधिक दृश्यता और मान्यता प्रदान की जानी चाहिये।
  - यह अन्य महिलाओं को राजनीति से संलग्न होने के लिये प्रेरित करने और राजनीति के क्षेत्र में वृहत लैंगिक समानता की संस्कृति का निर्माण करने में मदद कर सकता है।

डेटा गवर्नेंस शासन-प्रणाली

संदर्भ

हाल के वर्षों में भारत ने अपनी डिजिटल रणनीतियों और डेटा शासन (data governance) में व्यापक प्रगति दर्ज की है। देश ने आर्थिक विकास को गति देने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकी एवं डिजिटलीकरण को मुखरता से अपनाया है।

- भारत की G-20 अध्यक्षता ने देश को डिजिटल क्षेत्र में, विशेष रूप से डेटा अवसंरचना और डेटा शासन के संबंध में विश्व के समक्ष अपनी प्रगति को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान किया है। चूँकि विश्व का तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है, G-20 ने डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास से उत्पन्न चुनौतियों, अवसरों और जोखिमों को संबोधित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार्यता की आवश्यकता को चिह्नित किया है।
- सरकार एक डेटा संरक्षण कानून (Data Protection Law) पारित कराने हेतु प्रयासरत है और इस क्रम में वर्ष 2019 में कई प्रयास तथा वर्ष 2022 में एक अन्य के प्रयास के साथ अपनी मंशा प्रकट कर चुकी है। वर्ष 2022 का विधेयक (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक) वर्ष 2019 के विधेयक (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक) से कई मायनों में अलग है, जैसे कि व्यक्तिगत डेटा संबंधी इसका वर्गीकरण, इसकी सहमति रूपरेखा और डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकताओं जैसे उपबंध। हालाँकि अभी भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2022 के विधेयक में सन्निहित सात सिद्धांत

- पहला, संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये जो संबंधित व्यक्तियों के लिये वैध, निष्पक्ष और लोगों के लिये पारदर्शी हो।
- दूसरा, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये जिनके लिये इसे एकत्र किया गया था।
- तीसरा सिद्धांत डेटा न्यूनीकरण (Data Minimisation) से संबंधित है।
- चौथा सिद्धांत डेटा संग्रह के संबंध में डेटा परिशुद्धता (data accuracy) पर बल देता है।
- पाँचवाँ सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संग्रहीत व्यक्तिगत डेटा को "डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा के लिये भंडारित" नहीं किया जा सकता है और भंडारण को एक निश्चित अवधि तक के लिये सीमित किया जाना चाहिये।

नोट :

- छठा सिद्धांत कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिये उचित सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि ''व्यक्तिगत डेटा का कोई अनधिकृत संग्रहण या प्रसंस्करण (processing) न हो।''
- सातवाँ सिद्धांत कहता है कि ''व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य एवं साधन को तय करने वाले व्यक्ति को इस तरह के प्रसंस्करण के लिये जवाबदेह होना चाहिये।''

भारत में डेटा सुरक्षा से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **जागरूकता की कमी:** भारत में डेटा सुरक्षा के साथ संबद्ध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डेटा सुरक्षा के महत्त्व और डेटा उल्लंघनों से जुड़े जोखिमों के बारे में व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच जागरूकता की कमी।
  - इससे व्यक्तियों के लिये अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये आवश्यक सावधानी बरतना कठिन हो जाता है।
- **दुर्बल प्रवर्तन तंत्र:** भारत में डेटा सुरक्षा के लिये मौजूदा कानूनी ढाँचे में एक प्रबल प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जिससे डेटा उल्लंघनों और गैर-अनुपालन के लिये संगठनों को जवाबदेह ठहराना कठिन हो जाता है।
- **सीमित दायरा:** व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 केवल भारत के अंदर संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है।
  - यह भारत के बाहर स्थित निकायों द्वारा डेटा प्रसंस्करण को दायरे में नहीं लेता है, जिससे ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **मानकीकरण का अभाव:** भारत में संस्थानों के मध्य डेटा सुरक्षा अभ्यासों के मानकीकरण की कमी है, जिससे डेटा सुरक्षा नियमों को कार्यान्वित एवं प्रवर्तित करना कठिन हो जाता है।
- **संवेदनशील डेटा के लिये अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** भारत में मौजूदा डेटा सुरक्षा ढाँचा स्वास्थ्य डेटा एवं बायोमीट्रिक डेटा जैसे संवेदनशील डेटा (जिनका संस्थानों द्वारा अधिकाधिक संग्रहण किया जा रहा है) के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है।

अपने डेटा संरक्षण व्यवस्था को सशक्त करने के लिये भारत द्वारा उठाये गए कदम

- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, 2017:** अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि भारतीयों को संवैधानिक रूप से संरक्षित निजता का मूल अधिकार (Fundamental Right To Privacy) प्राप्त है जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

बी.एन. श्रीकृष्ण समिति, 2017:

अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण हेतु विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई, जिसने जुलाई 2018 में एक ड्राफ्ट डेटा संरक्षण विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में भारत में निजता कानून को सशक्त करने के लिये कई अनुशंसाएँ की गई हैं, जिनमें डेटा के प्रसंस्करण एवं संग्रहण पर नियंत्रण, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, भूला दिए जाने का अधिकार (right to be forgotten), डेटा स्थानीयकरण (data localisation) आदि शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में वृहत कर्मठता बरतने का निर्देश देता है।

- **अन्य पहल:** डेटा सशक्तीकरण और सुरक्षा संरचना (Data Empowerment and Protection Architecture- DEPA)

आगे की राह

- **एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून का विकास करना:** भारत को एक प्रबल डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है जो वैध उद्देश्यों के लिये डेटा के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ नागरिकों के निजता अधिकारों की रक्षा करे। यह कानून वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुरूप हो और प्रबल प्रवर्तन तंत्र प्रदान करे।
- **डिजिटल अवसंरचना का निर्माण और कौशल का विकास:** भारत को डिजिटल अवसंरचना के निर्माण और डिजिटल कौशल के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा का ज़िम्मेदार और जवाबदेह तरीके से संग्रहण, भंडारण एवं उपयोग किया जा रहा है।
- **स्पष्ट और जवाबदेह डेटा शासन नीतियों एवं विनियमों का विकास:** भारत को सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों द्वारा डेटा के संग्रहण, भंडारण एवं उपयोग के संबंध में स्पष्ट नीतियाँ एवं विनियम स्थापित करने की आवश्यकता है। ये नीतियाँ और

नोट :

विनियम पारदर्शी, जवाबदेह और प्रवर्तनीय हों।

- **सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना:** भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये सरकारों, व्यवसायों एवं नागरिकों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है कि डेटा शासन सतत विकास का समर्थन करता है और सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है।
- **ओपन-सोर्स समाधानों को बढ़ावा देना:** भारत यह सुनिश्चित करने के लिये ओपन-सोर्स समाधानों के विकास एवं कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकता है कि अंतर्निहित डेटा संरचना एक सामाजिक सार्वजनिक हित विषय है, साथ ही यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों को सभी के लिये सुलभ एवं वहनीय बनाने में भी योगदान कर सकता है।
- **व्यापक विकास रणनीतियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना:** भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसकी डेटा शासन व्यवस्था इसकी व्यापक विकास रणनीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप है और यह सभी के लिये एक सुरक्षित, अधिक समतावादी एवं विश्वसनीय डिजिटल भविष्य के विकास का समर्थन करती है।
  - इंडिया स्टैक (India Stack) को इस तरह से अभिकल्पित एवं कार्यान्वित किया जा सकता है जो भारत की व्यापक विकास रणनीतियों के अनुरूप हो।
    - उल्लेखनीय है कि इंडिया स्टैक एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल सार्वजनिक हित, ऐप्लीकेशन इंटरफेस प्रदान करता है और डिजिटल समावेशन को सुविधाजनक बनाता है।

भारत और AUKUS साझेदारी

संदर्भ

हाल ही में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से परमाणु-संचालित पनडुब्बियों का एक नया बेड़ा बनाने की अपनी योजना के विवरण का खुलासा किया है। AUKUS संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से कम से कम तीन परमाणु-संचालित पनडुब्बियाँ प्राप्त होनी हैं।

- AUKUS समझौता, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की मदद से ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु-संचालित पनडुब्बियाँ प्राप्त करना शामिल है, की प्रशंसा और आलोचना दोनों ही की जा रही है। इसे हिंद-प्रशांत में प्रतिरोध और स्थिरता को सशक्त करने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि चीन इसे एक खतरनाक गठबंधन के रूप में देखता है जिसे अमेरिका इस क्षेत्र में क्वाड (Quadrilateral forum/Quad) के साथ आकार दे रहा है।
- यह संधि भारत सहित एशिया क्षेत्र के लिये कई रणनीतिक परिणामों को अभिप्रेरित करेगी। हालाँकि यह भारत के लिये अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ व्यवस्थाओं की एक अनूठी श्रृंखला विकसित करने का एक सुअवसर भी है।

AUKUS समूह क्या है?

- यह ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस (AUKUS) के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जिस पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की साझेदारी इस व्यवस्था का प्रमुख आकर्षण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर इसका फ़ोकस या इस ओर इसकी उन्मुखता इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध एक सशक्त गठबंधन बनाता है।
- इस व्यवस्था में उक्त तीन देशों के बीच बैठकों एवं संलग्नताओं के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों (एप्लाइड एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी और गहन समुद्र क्षमताओं) में सहयोग की एक नई संरचना शामिल है।

एशिया के लिये AUKUS समूह से संबंधित कौन-सी चिंताएँ हैं?

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** AUKUS साझेदारी को, विशेष रूप से चीन द्वारा, क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिये एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। समझौते में संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं खुफिया सूचनाओं की साझेदारी शामिल है, जिसने क्षेत्र में सामरिक संतुलन पर इसके प्रभावको लेकर चिंता उत्पन्न की है।
- **कूटनीतिक निहितार्थ:** AUKUS साझेदारी को भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिये एक कूटनीतिक आघात के रूप में भी देखा गया है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के रूप में देखा जाता रहा है।
  - इन देशों को भी है कि नई साझेदारी उन्हें किनारे पर धकेल देगी और क्षेत्र में उनके प्रभाव को कम करेगी।
- **अप्रसार (Non-Proliferation) पर प्रभाव:** AUKUS साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है, जिसने वैश्विक

नोट :

अप्रसार प्रयासों पर इसके प्रभाव के संबंध में चिंता उत्पन्न की है। कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि यह कदम एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है और अन्य देशों को अपनी परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

- **आर्थिक परिणाम:** AUKUS साझेदारी ने इसके आर्थिक निहितार्थों के बारे में भी चिंता उत्पन्न की है, विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिये जिनके पास महत्त्वपूर्ण रक्षा उद्योग हैं। इस समझौते से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने की उम्मीद है और यह ऑस्ट्रेलिया को रक्षा उपकरण बेच सकने की इन देशों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

भारत के लिये इसके क्या रणनीतिक परिणाम होंगे?

- **ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों का सशक्तीकरण:** ऑस्ट्रेलिया की उन्नत होती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं के साथ, भारत के लिये ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने S&T सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है, जो अंततः संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तारित हो सकता है।
  - यह भारत की अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा में योगदान देगा।
- **ब्रिटेन के सतत् वैश्विक रणनीतिक महत्त्व की स्वीकार्यता:** भारत ब्रिटेन के रणनीतिक महत्त्व की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन AUKUS सौदे से एशिया में ब्रिटेन के कद को बढ़ावा मिल सकता है।
  - भारत हिंद-प्रशांत सुरक्षा मुद्दों पर ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ सहयोग के अवसरों की तलाश कर सकता है।
- **'एंग्लोस्फीयर' के विचार को स्वीकार करना:** एंग्लोस्फीयर (Anglosphere) या आंग्ल प्रभाव क्षेत्र के साथ भारत के अतीत के कठिन संबंधों के बावजूद AUKUS सौदे ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच स्थायी भू-राजनीतिक बंधनों को फिर से जीवंत कर दिया है।
  - 'एंग्लोस्फीयर' को साझा राजनीतिक मान्यताओं, समान कानूनी परंपराओं और साझा भू-राजनीतिक हितों से आबंध अंग्रेज़ी-भाषी लोगों की दुनिया भी कहा जाता है।
  - भारत इस अंग्रेज़ी-भाषी दुनिया के साथ विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने के अवसरों की तलाश कर सकता है।
- **व्यवस्थाओं की एक अनूठी शृंखला विकसित करना:** चूँकि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों और भागीदारों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ावा देने की इच्छा रखता है, भारत को अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अपनी स्वयं की व्यवस्था की एक शृंखला विकसित करने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है।
  - इसमें अन्य बातों के अलावा घनिष्ठ सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल हो सकता है।

भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कैसे कर सकता है?

- **सहयोग के अवसरों की तलाश करना:** भारत AUKUS देशों के साथ सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसरों की तलाश कर सकता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि उसके स्वयं के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से कोई समझौता न हो।
  - भारत समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खुफिया सूचना साझेदारी जैसे क्षेत्रों में AUKUS देशों के साथ सहयोग का निर्माण कर सकता है।
- **संतुलन बनाए रखना:** भारत को AUKUS और रूस, फ्राँस एवं जापान जैसे अपने अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ संलग्नता के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिये।
  - भारत को किसी भी 'ज़ीरो सम गेम' में घसीटे जाने से बचना चाहिये और सभी प्रासंगिक देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिये।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **'क्वाड' का सुदृढ़ीकरण:** भारत को क्वाड के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिये जो AUKUS को एक प्रतिसंतुलन प्रदान कर सकता है और एक नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने के लिये क्वाड का लाभ उठाना चाहिये।
- **छोटे देशों के हित सुनिश्चित करना:** भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि AUKUS के साथ किसी भी संलग्नता में क्षेत्र के छोटे देशों के हितों की अनदेखी नहीं हो। भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के लिये एक सहकारी और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिये।
  - इसमें क्षेत्र के छोटे देशों के लिये क्षमता निर्माण करना और वृहत क्षेत्रीय एकीकरण एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने जैसी

नोट :

पहलें शामिल हो सकती हैं।

वैश्वीकरण का विविधीकरण

संदर्भ

कई दशकों से वैश्वीकरण (Globalisation) के लाभ स्पष्ट और अभेद्य रूप से प्रकट हुए हैं; हालाँकि, चूँकि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक दबाव की शिकार हुई है, कंपनियों और सरकारों द्वारा वैश्विक व्यापार एवं निवेश को पृथक करने की गति में वृद्धि देखी गई है।

- वैश्विक ढाँचों पर भरोसा करने के बजाय दुनिया के देश अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिये तेज़ी से क्षेत्रीय या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर रुख कर रहे हैं। प्रवृत्ति में इस परिवर्तन के लिये उभरते आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism), बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अपने वादों की पूर्ति में विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों की विफलता जैसे कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- वैश्वीकरण के इस खंडित रूप का दुनिया भर के देशों के लिये अवसरों और चुनौतियों दोनों ही विषयों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग के भविष्य के लिये गहरा प्रभाव पड़ा है।

वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है?

- **वैश्वीकरण का उभार:** जिसे आज 'वैश्वीकरण' के रूप में जाना जाता है, उसे शीत युद्ध की समाप्ति और वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ भारत में मान्यता प्राप्त हुई।
  - दो प्रणालियों- लोकतंत्र और पूंजीवाद की एक शाखा के रूप में वैश्वीकरण मुक्त व्यापार (Free Trade) पर बल रखता है और इसने पूंजी एवं श्रम के अंतर-देश गमन की वृद्धि में योगदान किया है।
  - राजनीतिक अर्थ में, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से बढ़ते वैश्विक शासन या राष्ट्रीय नीतियों के बढ़ते संरेखण को संदर्भित करता है।
- **वैश्वीकरण के लिये प्रेरक कारक:** मोटे तौर पर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक कारकों ने वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।
  - आर्थिक कारकों में कम व्यापार एवं निवेश बाधाएँ और वित्तीय क्षेत्र के विस्तार जैसे कारक शामिल हैं;
  - राजनीतिक कारकों में व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिये दुनिया भर में सरकार की नीतियों में सुधार शामिल हैं;
  - सामाजिक कारकों में परिवहन और संचार में उल्लेखनीय सरलता के साथ-साथ सांस्कृतिक अभिसरण शामिल हैं; और
  - प्रौद्योगिकी कारकों में विश्व भर में सूचना प्रसारित करने में आसानी और हाल में दूरस्थ कार्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने जैसे कारकों ने राष्ट्रीय सीमाओं को व्यापक रूप से अप्रासंगिक बना दिया है।

वैश्वीकरण किस प्रकार खंडित हो रहा है?

- खंडित वैश्वीकरण का उभार: जबकि वैश्वीकरण ने बाज़ारों को बेहतर तरीके से कार्य करने के लिये प्रेरित किया है, नीति निर्माताओं ने इसके प्रतिकूल वितरणात्मक परिणामों की अनदेखी की है।
  - कई समुदाय और देश पीछे रह गए हैं जिससे हाशियाकरण और अलगाव की एक व्यापक भावना का प्रसार हुआ है।
- **वैश्वीकरण में हालिया उथल-पुथल:** सबसे हालिया उदाहरण यूक्रेन पर आक्रमण का है जिसके कारण रूस (एक G20 देश) पर प्रतिबंध लगाया गया और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का शस्त्रीकरण (weaponisation) हुआ।
  - यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में यूनाइटेड किंगडम की वोटिंग वैश्वीकरण के विरुद्ध सबसे प्रकट राजनीतिक अभिव्यक्तियों में से एक थी।
  - इसके अलावा, चीन के साथ अमेरिका की टैरिफ युद्ध की शुरुआत ने भी दो प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच के विभाजन को गहरा कर दिया है।
  - जलवायु परिवर्तन/पर्यावरण सुरक्षा संबंधी नीतियों की बढ़ती मान्यता के साथ 'क्लीनटेक' नवाचारों और चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोणों के लिये एक वैश्विक होड़ का परिदृश्य भी बना है।
    - सोलर पीवी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हरित प्रौद्योगिकियों की बड़े पैमाने पर शुरुआत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में परिवर्तन ला रही है और विनिर्माण केंद्रों को अधिक 'अनुकूल' देशों की ओर स्थानांतरित कर रही है।

क्या वि-वैश्वीकरण (De-Globalisation) अंतिम परिणाम है?

- जारी सभी उथल-पुथल के बावजूद, उपलब्ध आँकड़े दिखाते हैं कि वैश्वीकरण की वैसी समाप्ति नहीं हो रही, जिस गति से इसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है।

नोट :

- वैश्विक अर्थव्यवस्था का विखंडन क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्रों के सशक्तीकरण या समान विचारधारा वाले देशों के वैश्वीकरण जैसे परिणाम दे रहा है , न कि वि-वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर है। वैश्विक व्यापार वैश्विक विकास में अभी भी अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा।

- **खंडित वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएँ:** खंडित वैश्वीकरण का जो युग उभरा है, वह नकार के बजाय प्रतिस्थापन (Substitution rather Than Negation) की विशेषता रखता है।
  - सरल शब्दों में, विभिन्न देश वैश्विक व्यापार में भागीदारी नहीं करने के बजाय अपने मौजूदा व्यापार भागीदारों को किसी अन्य देश से प्रतिस्थापित कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ एवं अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों ने रूस के तेल निर्यात को भौतिक रूप से कम नहीं किया है, बल्कि उन्हें चीन और भारत की ओर पुनर्निर्देशित किया है।
    - इसके अतिरिक्त, विश्व एक समानांतर सीमा-पार भुगतान और निपटान प्रणाली के सृजन के तरीकों की तलाश कर रहे देशों के साथ वि-डॉलरीकरण (de-dollarisation) की एक लहर भी देख रहा है।

भारत इस नए वैश्वीकरण का उपयोग अपने लाभ के लिये कैसे कर सकता है?

- क्षेत्रीय एकीकरण की पैरोकारी: व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर अपने रुख के साथ भारत वैश्वीकरण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - निकट अतीत में भारत वैश्वीकरण से व्यापक रूप से लाभान्वित हुआ है और विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों में 'आउटसोर्सिंग' का केंद्र बन गया है।
  - भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA) और बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की पैरोकारी की है और उसे ऐसा करना जारी रखना चाहिए।
  - इस मंच को सफल बनाने में भारत की प्रगति काफी हद तक उसकी अपनी आर्थिक नीतियों, भू-राजनीतिक विकास और वैश्विक आर्थिक रुझानों जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।
- **सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग:** आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्बहाल करने और हरित परिवर्तन को गति देने की स्वाभाविक रूप से जटिल प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये भारत में कंपनियों को केंद्र/राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
  - नीति निर्माताओं को अपने दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के तरीके पर समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है, जबकि दीर्घावधिक निवेशकों को भविष्य की अपनी आवंटन रणनीतियों में अधिक परिष्कृत भू-राजनीतिक, सामाजिक-राजनीतिक और पर्यावरणीय विश्लेषणों को शामिल करना चाहिए।
- **'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ के रूप में भारत:** जबकि भारत भी मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण का प्रबल पक्षधर रहा है और व्यापार एवं निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने पर बल देता रहा है, यह वैश्वीकरण के कुछ पहलुओं का आलोचक भी रहा है, विशेष रूप से लाभों के असमान वितरण के संबंध में और स्थानीय उद्योगों एवं श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में।
  - भारत ने वैश्वीकरण के प्रति अधिक संतुलित और न्यायसंगत दृष्टिकोण पर भी बल दिया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि इसके लाभ अधिक व्यापक रूप से साझा हो सकें और यह कि पर्याप्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा का परिदृश्य बने।
  - एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत वैश्विक दक्षिण या 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ बन सकता है जिन्हें वैश्विक मंचों पर अभी तक सीमित प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

फेक न्यूज पर अंकुश

संदर्भ

इंटरनेट युग में फ़र्ज़ी ख़बरों या 'फेक न्यूज़' (Fake News) का उभार एक नई सामाजिक बुराई के रूप में हुआ है जो हमें परेशान कर रही है।

- हाल ही में एक फर्ज़ी वीडियो का प्रसार हुआ जिसमें दिखा कि तमिलनाडु में एक प्रवासी मज़दूर पर हमला किया जा रहा है।
- मौजूदा स्थिति पर चिंतित तमिलनाडु सरकार ने अपने संदेश में कहा कि जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है, वे भारतीय राष्ट्र के विरुद्ध हैं और वे देश की अखंडता को हानि पहुँचा रहे हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505 के तहत 'फर्ज़ी/झूठी ख़बर/अफवाह का प्रसार' करने वाले लोगों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या में 214% की वृद्धि हुई।

नोट :

- भारत में फेक न्यूज़ के विरुद्ध सुदृढ़ कानूनों की ज़रूरत है, जबकि मीडिया संगठनों द्वारा तथ्य-परीक्षण (fact-checking) को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने और अधिक से अधिक जन जागरूकता का सृजन करने की आवश्यकता है।

भारत में फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की राह की चुनौतियाँ

निम्न डिजिटल साक्षरता: भारत की डिजिटल साक्षरता दर (Digital Literacy Rate) अभी भी कम है, जिससे फेक न्यूज़ का प्रसार आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास प्राय: समाचार स्रोतों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कौशल नहीं होता है।

- Oxfam की 'इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड' के अनुसार, देश की लगभग 70% आबादी डिजिटल सेवाओं के लिये कनेक्टिविटी के अभाव या ख़राब कनेक्टिविटी की स्थिति रखती है।
- निर्धनतम 20% परिवारों में से केवल 2.7% के पास कंप्यूटर और 8.9% के पास इंटरनेट की सुविधा है।

- **राजनीतिक उपयोग:** भारत में राजनीतिक उद्देश्यों के लिये, विशेषकर चुनावों के दौरान, फेक न्यूज़ का प्राय: उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दल जनमत में हेरफेर के लिये फेक न्यूज़ का उपयोग करते हैं, जिससे उनके प्रसार को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सीमित तथ्य-परीक्षण अवसंरचना:** भारत में तथ्य-परीक्षण अवसंरचना सीमित है और कई मौजूदा तथ्य-परीक्षण संगठन (PIB तथ्य-परीक्षण इकाइयाँ) आकार में छोटे हैं तथा वित्तपोषण की कमी का सामना कर रहे हैं।
- **दंड का अभाव:** वर्तमान में भारत में फेक न्यूज़ के प्रसार के लिये कठोर दंड का अभाव है, जिससे लोगों को फेक न्यूज़ सृजन और प्रसार से भय दिखाकर रोकना कठिन हो जाता है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अस्पष्टता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेज़ी से सार्वजनिक विमर्श का प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं, जिन पर मुट्ठी भर लोगों का अत्यधिक नियंत्रण है।
  - भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है सोशल मीडिया मंचों द्वारा पारदर्शिता की कमी।
  - ये मंच कुछ प्रकार की सूचना का खुलासा करते भी हैं तो डेटा को प्राय: इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जो आसान विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता हो।
- **अनामिकता या पहचान की गुप्तता (Anonymity):** पहचान की गुप्तता का सर्वप्रमुख कारण है प्रतिशोधी सरकारों के विरुद्ध सच बोलने में सक्षम होना या ऑनलाइन व्यक्त विचारों को ऑफ़लाइन दुनिया में वास्तविक व्यक्ति से संबद्ध किये जाने से बचना।
  - बिना किसी असुरक्षा के लोगों को अपने विचार साझा कर सकने में मदद करने के बावजूद, यह इस अर्थ में अधिक हानि करता है कि लोग बिना कोई परिणाम भुगते भ्रामक सूचनाओं का प्रसार कर सकते हैं।

इस संबंध में की गई प्रमुख पहलें

- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 प्रस्ताव करता है कि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की तथ्य-परीक्षण इकाई द्वारा तथ्य-परीक्षण किये गए और इसमें भ्रामक या झूठे पाए गए कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना आवश्यक है।
  - इस नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाना है।
- **आईटी अधिनियम 2008:** आईटी अधिनियम 2008 की धारा 66D इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करती है।
  - इसमें संचार सेवाओं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने वाले व्यक्तियों को दंडित करना शामिल है। इस अधिनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों को दंडित करने के लिये किया जा सकता है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005:** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 (विशेषकर कोविड-19 के दौरान उपयोगी सिद्ध हुए) ऐसे फेक न्यूज़ या अफ़वाहों के प्रसार को नियंत्रित करते हैं जो नागरिकों में दहशत पैदा कर सकते हैं।
- **भारतीय दंड संहिता, 1860:** यह दंगों का कारण बनने वाली फर्ज़ी खबरों और मानहानि का कारण बनने वाली सूचनाओं को नियंत्रित करता है। इस एक्ट का इस्तेमाल उन लोगों को उत्तरदायी ठहराने के लिये किया जा सकता है जो फेक न्यूज़ फैलाकर हिंसा भड़काते हैं या किसी के चरित्र को बदनाम करते हैं।

आगे की राह

- **मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना:** फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिये शिक्षा और जागरूकता महत्त्वपूर्ण साधन हैं। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिये कि स्रोतों को को कैसे सत्यापित किया जाए, दावों का या तथ्य-परीक्षण कैसे किया जाए और विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय समाचार स्रोतों के बीच के अंतर को कैसे समझें।

नोट :

- **कानूनों को सशक्त करना:** फेक न्यूज़ के विरुद्ध भारत में कुछ कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और तत्परता से लागू करने की ज़रूरत है। तेज़ी से विकसित होते ऑनलाइन मीडिया परिदृश्य को संबोधित करने के लिये कानूनों को अद्यतन करते रहने की भी आवश्यकता है।
- **ज़िम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देना:** पत्रकारों को नैतिक मानकों का पालन करने और अपनी रिपोर्टिंग के लिये जवाबदेह होने की आवश्यकता है। मीडिया संगठन ज़िम्मेदार पत्रकारिता और तथ्य-परीक्षण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
- **सोशल मीडिया कंपनियों को कार्रवाई के लिये प्रोत्साहित करना:** फेक न्यूज़ की पहचान करने तथा उन्हें हटाने के लिये सोशल मीडिया मंचों को और अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। वे फेक न्यूज़ की पहचान करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूज़ स्टोरीज़ को सत्यापित करने के लिये तथ्य-परीक्षण संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।
- **तथ्य-परीक्षणकर्त्ता संगठनों को प्रोत्साहित करना:** फैक्ट-चेकिंग संगठन समाचारों की पुष्टि करने और लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में शिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन संगठनों को सरकार और मीडिया द्वारा प्रोत्साहित एवं समर्थित किये जाने की आवश्यकता है।
  - पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की तथ्य-परीक्षण इकाई ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक गलत सूचना के 1,160 मामलों का भंडाफोड़ किया है।
- **ज़िम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग को प्रोत्साहित करना:** व्यक्तियों को अपने सोशल मीडिया उपयोग के लिये ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। उन्हें असत्यापित समाचारों को साझा करने से बचने और ऑनलाइन कंटेंट पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।
- **आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना:** स्कूलों में और आम समाज में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - लोगों को पढ़ी-सुनी गई बातों पर सवाल पूछ सकने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

विश्व के महासागरों की रक्षा हेतु संधि

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के सदस्यों ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एक मुक्त समुद्र संधि (High Seas Treaty) पर सहमति व्यक्त की।

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction- BBNJ) पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर-सरकारी सम्मेलन (IGC) के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित वार्ता के दौरान इस पर सहमति बनी।

संधि को औपचारिक रूप से अपनाया जाना अभी शेष है क्योंकि सदस्यों द्वारा अभी इसकी पुष्टि की जानी है। अंगीकरण के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी।

महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है, लेकिन उसकी यह स्थिति तेज़ी से संकटग्रस्त होती जा रही है। एक स्वस्थ महासागर पारितंत्र कार्बन चक्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिये समय आ गया है कि महासागर को वह सुरक्षा प्रदान की जाए जिसका वह हक़दार है।

महासागरों की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों?

- **आजीविका का समर्थन:** महासागर एक महत्त्वपूर्ण पारितंत्र है जो तीन बिलियन लोगों की आजीविका का समर्थन करता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
  - 3 बिलियन लोग खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिये इसके पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का शमन:** यह जलवायु परिवर्तन को भी कम करता है; इसने अब तक ग्रीनहाउस गैसों द्वारा जब्त 93% ऊष्मा और जीवाश्म ईंधन दहन से उत्सर्जित CO_2 के लगभग 30% का अवशोषण किया है।
- **कार्बन चक्र को बनाए रखना:** प्रचुर मात्रा में समुद्री जैव विविधता के साथ एक स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, कार्बन चक्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration) एवं ऑक्सीजन उत्पादन जैसे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने में मदद करता है।
- **आर्थिक महत्त्व:** महासागर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो खाद्य, ऊर्जा एवं अन्य संसाधन प्रदान करते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक मत्स्यग्रहण उद्योग 50 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है और अरबों लोगों को खाद्य प्रदान करता है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, महासागर-आधारित उद्योग जैसे शिपिंग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।

महासागर संरक्षण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregular- IUU) मत्स्यग्रहण (Fishing):** 'ओवरफिशिंग' विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह मत्स्य भंडार को कम कर सकता है और संपूर्ण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है।
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, लगभग 33% वैश्विक मछली स्टॉक ओवरफिशिंग का शिकार है और अन्य 60% का पूर्ण दोहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यग्रहण से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होने का अनुमान किया जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों का तापमान बढ़ रहा है और समुद्र की अम्लता में वृद्धि हो रही है, जो समुद्री जीवन एवं प्रवाल भित्तियों को हानि पहुँचा सकता है। इससे पर्यावासों की हानि और समुद्री धाराओं में परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है।
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) की रिपोर्ट है कि महासागरों ने 1970 के दशक से ग्रीनहाउस गैसों द्वारा जब्त अतिरिक्त ऊष्मा के 90% से अधिक का अवशोषण किया है, जिससे महासागरों के तापमान में वृद्धि हुई है।
  - इसके अतिरिक्त, महासागरों ने वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 30% का अवशोषण किया है, जिससे महासागरों की अम्लता में वृद्धि हुई है।
- **प्रदूषण:** प्रदूषण विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा है। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, तेल रिसाव, कृषि अपवाह और रसायन शामिल हो सकते हैं। प्रदूषित जल समुद्री जीवन को क्षति पहुँचा सकता है और ऐसे मृत क्षेत्रों (dead zones) का निर्माण कर सकता है जहाँ कुछ भी जीवित नहीं रह सकता।
- **असंवहनीय पर्यटन:** विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य पर पर्यटन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ स्नॉर्कलिंग (snorkeling), डाइविंग और समुद्र तट भ्रमण जैसी गतिविधियों की उच्च मांग है। यदि ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो पर्यटन पर्यावास विनाश, प्रदूषण और ओवरफिशिंग का कारण बन सकता है।
  - विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के अनुसार, वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 1.4 बिलियन तक पहुँच गया, जिसमें तटीय और समुद्री पर्यटन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन असंवहनीय पर्यटन अभ्यासों से पर्यावास विनाश, प्रदूषण और ओवरफिशिंग सहित पर्यावरणीय क्षति की स्थिति बन सकती है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species) समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बाधित कर सकती हैं और देशी प्रजातियों को हानि पहुँचा सकती हैं। जहाज़ों के स्थिरक जल (ballast water) या जलीय कृषि या एक्वैरियम से जल के आकस्मिक निकास से ये प्रजातियाँ महासागर जल में पहुँच सकती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) का अनुमान है कि वैश्विक मछली विलुप्ति के 18% के लिये आक्रामक प्रजातियाँ ज़िम्मेदार हैं।
- **शासन का अभाव:** शासन का अभाव और देशों के बीच सहयोग की कमी के कारण विश्व महासागरों का प्रबंधन एवं संरक्षण चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। महासागर के कई क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है, जिससे विनियमों को लागू करना तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना कठिन हो जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया के केवल 16% महासागर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) के दायरे में हैं और इनका एक मामूली भाग ही मत्स्यग्रहण एवं अन्य निष्कर्षण गतिविधियों से पूरी तरह सुरक्षित है।
  - इसके अतिरिक्त, मुक्त समुद्र (high seas: वे समुद्री क्षेत्र जो किसी भी राष्ट्र के नियंत्रण से स्वतंत्र हैं), जो महासागरीय क्षेत्र के 64% भाग का निर्मन करते हैं, के प्रबंधन और संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय की कमी है।

नोट :

विश्व के महासागरों की रक्षा के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas- MPAs) की स्थापना एवं प्रवर्तन:** MPAs मत्स्यग्रहण और अन्य निष्कर्षण गतिविधियों को सीमित करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में सहायता कर सकते हैं। वे लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये एक अभयारण्य भी प्रदान कर सकते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विशेष रूप से उच्च जैव विविधता एवं भेद्यता/संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में और अधिक MPAs की स्थापना एवं प्रवर्तन के लिये मिलकर कार्य करना चाहिये।
  - वर्ष 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय जल के समुद्री भंडार में निकटस्थ गैर-संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में औसतन 670% अधिक मछलियाँ हैं (बायोमास द्वारा मापन के आधार पर)।
- **प्लास्टिक प्रदूषण कम करना:** सरकारें ऐसी नीतियों को लागू कर सकती हैं जो पुन: प्रयोज्य या जैव-अपघट्य/बायोडिग्रेडेबल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं और निजी क्षेत्र एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिये गंभीर कदम उठा सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबला:** सरकारें ऐसी नीतियों को लागू कर सकती हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा और निम्न-कार्बन परिवहन को प्रोत्साहित करें। निजी क्षेत्र भी हरित प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों में निवेश कर सकता है। आम लोग ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के माध्यम से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं।
- **मत्स्यग्रहण को विनियमित करना:** ओवरफिशिंग से निपटने के लिये सरकारों को ऐसी नीतियाँ लागू करनी चाहिये जो मत्स्यग्रहण कोटा को सीमित करें और संवहनीय मत्स्यग्रहण अभ्यासों को स्थापित करें। निजी क्षेत्र भी मत्स्यग्रहण के संवहनीय तरीकों को बढ़ावा देने के लिये भी कदम उठा सकता है, जैसे चयनात्मक फिशिंग गियर का उपयोग करना और बायकैच (bycatch) से परहेज करना।
- **अवैध मत्स्यग्रहण से निपटना:** सरकारों को अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मत्स्यग्रहण से निपटने के उपायों को लागू करना चाहिये, जैसे कि मत्स्यग्रहण गतिविधियों की निगरानी एवं निरीक्षण और उल्लंघन के लिये कठोर दंड आरोपित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना:** विश्व के महासागरों की रक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। सरकारों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और विनियमों को स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने के लिये मिलकर कार्य करना चाहिये।
  - निजी क्षेत्र और नागरिक समाज भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा मज़बूत सुरक्षा उपायों की पैरोकारी करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कदम

संदर्भ

सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की पूरी दुनिया में विकास एजेंडे के एक आवश्यक घटक के रूप में व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। कोविड-19 के प्रकोप ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता को उजागर किया है जहाँ दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह विफल रही थी। UHC के महत्त्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2017 में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस (International Universal Health Coverage Day- UHC Day) के रूप में घोषित किया।

- संयुक्त राष्ट्र UHC को "हर किसी की, हर जगह वित्तीय कठिनाई के जोखिम के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच" के रूप में परिभाषित किया है। सतत् विकास लक्ष्य का लक्ष्य 3.8 (वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सभी के लिये सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण तथा सस्ती आवश्यक दवाओं एवं टीके तक पहुँच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना शामिल है) भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है, जिसके अभाव में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के समान ही दयनीय स्थिति में पहुँच जाएँगे।

भारत में UHC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

- **स्वास्थ्य बीमा तक असमान पहुँच:** स्वास्थ्य बीमा का सबसे कम कवरेज उन परिवारों में देखा जाता है, जो निम्नतम समृद्धि वर्ग

नोट :

(Lowest Wealth Quintile) के हैं और वंचित तबके के हैं। यह स्वास्थ्य बीमा तक समान पहुँच की कमी को इंगित करता है।

- NFHS-5 के परिणाम भारत के लिये एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, जहाँ निम्नतम समृद्धि वर्ग के परिवारों में बीमा कवरेज सबसे कम (36.1%) है।

- **वित्तीय सुरक्षा का अभाव:** जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, प्रति प्रसव औसत निजी व्यय (average out-of-pocket expenditure per delivery) अभी भी उच्च है।
  - भारत के विभिन्न राज्यों में निजी व्यय और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के विषय में उल्लेखनीय विषमताएँ मौजूद हैं। कई उत्तर-पूर्वी राज्यों और बड़े राज्यों ने NFHS-4 और NFHS-5 के बीच अपने निजी व्यय में वृद्धि देखी है।
    - NFHS की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में प्रति प्रसव औसत निजी व्यय 2,916 रुपए है (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 3,385 रुपए और 2,770 रुपए)।
- **स्वास्थ्य बीमा नीतियों में समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियाँ:** हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पूर्व की स्वास्थ्य बीमा नीतियों की तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJY) भी समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों (inclusion and exclusion errors) से मुक्त नहीं है, जिससे अपात्र परिवारों को शामिल किये जाने जबकि पात्र परिवारों को छोड़ दिये जाने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- **सेवाओं की उपलब्धता:** हालाँकि PMJY के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में से 56% सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 40% लाभ के लिये कार्यरत निजी क्षेत्र के भी हैं, जो यह दर्शाता है कि सेवाओं की उपलब्धता उन क्षेत्रों में केंद्रित हो सकती है जो सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लागू करने के पूर्व अनुभव रखते हैं।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** कई निम्न और मध्यम आय देशों में, उपयुक्त अवसंरचना की कमी UHC प्राप्त करने की राह में एक प्रमुख चुनौती है। इसमें अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, अपर्याप्त उपकरण और अपर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं।
  - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में आवश्यकता की तुलना में 79.5 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी है।
- **बदहाल स्वास्थ्य शिक्षा:** स्वस्थ जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में शिक्षा एवं जागरूकता की कमी से निवारण-योग्य रोगों और स्वास्थ्य-दशाओं में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

- **स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करना:** जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाना समय की मांग है, जो देश में वर्तमान में अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में कम है।
  - भारत वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.2% स्वास्थ्य पर व्यय करता है। यह निम्न और मध्यम आय देशों (LMIC) के सकल घरेलू उत्पाद के औसत स्वास्थ्य व्यय (लगभग 5.2%) की तुलना में पर्याप्त कम है।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करना विकास का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - इस दृष्टिकोण से आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य एंड कल्याण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 2018 में किया गया था, लेकिन इस संबंध में अभी तक आशाजनक प्रगति नज़र नहीं आई है।
- **स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना:** सरकार को स्वास्थ्य सेवा पर अपना व्यय बढ़ाना चाहिये और एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण के लिये अधिक संसाधन आवंटित करने चाहिये। इसमें अधिकाधिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की स्थापना, स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या में वृद्धि करना और दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
- **स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना:** सरकार को सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने की दिशा में कार्य करना चाहिये। इससे निजी व्यय को कम करने और स्वास्थ्य सेवा को अधिक वहनीय बनाने में मदद मिलेगी।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देना:** UHC की प्राप्ति के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाना, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को सुदृढ़ करना शामिल है।
- **स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता में सुधार लाना:** स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता UHC का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। सरकार को गुणवत्ता मानकों को विकसित करने, इन मानकों का पालन सुनिश्चित कराने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के रूप में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिये निवेश

नोट :

करना चाहिये।

- **स्वास्थ्य सूचना प्रणाली में निवेश करना:** स्वास्थ्य सूचना प्रणालियाँ (Health information systems) स्वास्थ्य सेवाओं के योजना-निर्माण और निगरानी के लिये डेटा प्रदान कर UHC में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार को सुदृढ़ स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने में निवेश करना चाहिये जो समयबद्ध रूप से और परिशुद्ध डेटा प्रदान कर सके।
- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना:** निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने से रोग के बोझ और स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान और जीवन शैली हस्तक्षेप जैसे निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को बढ़ावा देना चाहिये।
- **साझेदारी बढ़ाना:** UHC की प्राप्ति के लिये सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। UHC के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।

बीमा उद्योग का पुरुद्धार

संदर्भ

महामारी की प्रतिक्रिया में बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जहाँ व्यावसायिक व्यवधानों को कम करने के लिये एक त्वरित कार्यात्मक समायोजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। बीमाकर्ताओं (Insurers) ने बिक्री, ग्राहक सेवा और दावा प्रबंधन के डिजिटलीकरण को बढ़ाकर तथा अपने कर्मियों को एक 'हाइब्रिड वर्किंग मॉडल' में कार्य-सक्षम बनाकर इस संकट का त्वरित जवाब दिया ।

- भारत अगले दशक में दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बनने की राह पर है, जहाँ नॉमिनल लोकल करेंसी के संदर्भ में बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष 14% के औसत से बढ़ रहा है। हालाँकि, बीमा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का बीमा बाज़ार आने वाले दशक में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से विकास करते बाज़ारों में से एक के रूप में उभरने के लिये तैयार है।
- बीमा नियामक निकाय IRDAI के अनुसार, भारत में बीमा प्रवेश या पैठ (insurance penetration) की दर वर्ष 2019-20 में 3.76% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4.20% तक पहुँच गई जो 11.70% की वृद्धि इंगित करती है।
  - इसके साथ ही, बीमा घनत्व (Insurance Density) वर्ष 2020-21 में 78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2021 में जीवन बीमा प्रवेश 3.2% दर्ज किया गया, जो अन्य उभरते बाज़ारों से लगभग दोगुना और वैश्विक औसत से कुछ अधिक था।

भारत में बीमा क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम प्रवेश या पैठ:** अन्य देशों की तुलना में भारत में बीमा प्रवेश दर (Insurance Penetration Rate) निम्न है। यह बीमा के प्रति कम जागरूकता और उसके प्रति लोगों में भरोसे की कमी के कारण है।
  - भारत की लगभग 65% आबादी (90 करोड़ से अधिक) देश के ग्रामीण भागों में निवास करती है। लेकिन ग्रामीण भारत के केवल 8-10% को ही जीवन बीमा कवरेज प्राप्त है।
  - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, भारतीय बीमा उद्योग की पैठ सकल घरेलू उत्पाद के 5% से भी कम है। पैठ के मामले में भारत वैश्विक औसत (सकल घरेलू उत्पाद के 7%) से बहुत पीछे है।
- **उत्पाद नवाचार की कमी:** भारत में बीमा क्षेत्र उत्पाद नवाचार (Product Innovation) में सुस्त रहा है। कई बीमा कंपनियाँ लगभग एक जैसे उत्पादों की पेशकश करती हैं, जिससे बाज़ार में विविधता की कमी की स्थिति बनती है।
- **धोखाधड़ी:** भारत में बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी (fraud) एक बड़ी चुनौती है। बीमा धोखाधड़ी में झूठे दावे, गलत बयानी और अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - धोखाधड़ी प्राय: संगठन की प्रणालियों और नियंत्रण में व्याप्त कमज़ोरियों से सुगम बनती है जहाँ धोखाधड़ी करने की मंशा रखने वालों के लिये अवसर उत्पन्न होते हैं।
  - इसके अलावा, संभवत: डिजिटलीकरण और ग्राहक-केंद्रित नीतियों ने अनजाने में ही धोखेबाजों को पहचान की चोरी, गलत बयानी और धोखाधड़ीपूर्ण दावों के लिये अवसर प्रदान कर दिया है।

नोट :

- 70% से अधिक भारतीय बीमाकर्ताओं ने पिछले दो वर्षों में धोखाधड़ी के मामलों में मामूली वृद्धि से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि तक का संकेत दिया है।

- **प्रतिभा प्रबंधन:** भारत में बीमा क्षेत्र प्रतिभा की कमी का सामना कर रहा है। उद्योग को बीमा विज्ञान (Actuarial Science), अंडररायटिंग (Underwriting), दावे (Claims) और जोखिम प्रबंधन (Risk Management) जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता है।
  - प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना उद्योग के लिये एक चुनौती है।
- **डिजिटलीकरण की धीमी दर:** भारत में बीमा क्षेत्र अन्य उद्योगों की तुलना में डिजिटलीकरण को अपनाने में पर्याप्त सुस्त रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षम प्रक्रिया, पारदर्शिता की कमी और खराब ग्राहक अनुभव जैसी कई चुनौतियाँ उभरी हैं।
- **स्वचालन का अभाव:** भारत में कई बीमा कंपनियाँ अभी भी अंडरराइटिंग, पॉलिसी सर्विसिंग एवं दावा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिये मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, जो समय लेने वाली और त्रुटि-प्रवण हो सकती हैं।
  - इससे देरी, उच्च लागत और असंतुष्ट ग्राहक जैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- **दावा प्रबंधन:** भारत में दावों की प्रक्रिया को प्राय: जटिल, धीमी और अपारदर्शी माना जाता है, जिससे ग्राहक असंतुष्टि और बीमा उद्योग में उनके भरोसे की कमी जैसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - पारदर्शिता की कमी, अक्षम प्रक्रियाएँ और ग्राहकों के साथ उपयुक्त तरीके से संवाद की कमी इसके संभावित कारण हैं।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिये समग्र मूल्य शृंखला में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता से लक्ष्य बनाया जाना चाहिये।
  - उच्च कर्मचारी दक्षता के सृजन और उसे बनाए रखने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इस क्रम में अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं जो सॉफ्ट, तकनीकी और डिजिटल कौशल का एक मिश्रण विकसित करें।
- **ग्राहक व्यवहार में गतिशील परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना:** बीमा क्षेत्र के अभिकर्ताओं को ग्राहक व्यवहार एवं पसंद में गतिशील परिवर्तनों के साथ संरेखित होने और प्रत्ययी ज़िम्मेदारी (जैसे त्वरित व्यक्तिगत उत्पादों की पेशकश करना जिन्हें ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिये सामूहिक उत्पाद पेशकशों से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है) के प्रदर्शन के साथ धारणाओं को प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी।
- **'डेटा एंड एनालिटिक्स' के उपयोग को इष्टतम करना:** अधिकतम दक्षता के लिये कार्यकरणों में डेटा एंड एनालिटिक्स (Data & Analytics) के उपयोग को इष्टतम करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **दावा प्रबंधन का सरलीकरण:** बीमाकर्त्ता और बीमाधारक के लिये दावा प्रबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। स्केल (Scale) के प्रबंधन और भागीदारों के अगले समूह तक पहुँच प्राप्त करने के लिये रणनीतिक भागीदारी (Strategic partnerships) पर विचार किया जा सकता है।
- **हाइब्रिड वितरण मॉडल अपनाना:** वितरण के प्रति एक ऐसा नया दृष्टिकोण आवश्यक है, जो प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता हो और उच्च क्षमता संपन्न बाज़ारों को प्राथमिकता देता हो। इसके लिये ग्रामीण बाज़ारों को सेवा देने पर विशेष बल के साथ मानव विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी को संयोजित करने वाले हाइब्रिड वितरण मॉडल को नियोजित किया जा सकता है।
- **धोखाधड़ी से निपटना:** एक प्रभावी, व्यापार संचालित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (FRM) दृष्टिकोण के प्रमुख उद्देश्यों में ऐसे नियंत्रण शामिल होने चाहिये जो धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकें, धोखाधड़ी का पता लगाएँ और परिणामों को सीमित करने के लिये एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करें।
  - प्रभावी डेटा प्रबंधन धोखाधड़ी का मुक़ाबला करने का एक प्रभावी उपाय है।
    - बीमाकर्ताओं के लिये पहला कदम यह होगा कि प्रासंगिक डेटा स्रोतों की पहचान कर और उन्हें एक साझा प्लेटफॉर्म या 'डेटा लेक' (data lake)—जहाँ सटीक, पूर्ण और उपयुक्त सूचना संग्रहीत की जाती है, पर एकीकृत कर अपने डेटा को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करें।

नोट :

मानव विकास में असमानताएँ

संदर्भ

मानव विकास (Human development) केवल आर्थिक विकास की तलाश और अर्थव्यवस्था में समृद्धि को अधिकतम करने पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय, यह मानवता के विचार के आसपास केंद्रित है, जिसमें स्वतंत्रता का विस्तार करना, क्षमताओं में सुधार करना, समान अवसरों को बढ़ावा देना और एक समृद्ध, स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन को सुनिश्चित करना शामिल है।

- भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि इस विकास के परिणामस्वरूप इसके मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत 191 देशों की सूची में बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे 132वें स्थान पर है।
- भारत के विशाल आकार और बड़ी आबादी को देखते हुए, मानव विकास में उप-राष्ट्रीय या राज्य-वार असमानताओं को दूर करना महत्त्वपूर्ण है, जो फिर भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार कर सकने में मदद करेगा।

HDI क्या है?

- HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) द्वारा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन और तुलना करने के लिये सृजित एक समग्र सांख्यिकीय मापक है।
- इसे वर्ष 1990 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जैसे पारंपरिक आर्थिक मापकों—जो मानव विकास के व्यापक पहलुओं पर विचार नहीं करते है, के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
- HDI तीन पहलुओं में किसी देश की औसत उपलब्धि का आकलन करता है: सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान और जीवन का एक सभ्य स्तर।
- उप-राष्ट्रीय HDI दर्शाता है कि जहाँ कुछ राज्यों ने व्यापक प्रगति की है, वहीं अन्य अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।
  - सूचकांक में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, जबकि बिहार सबसे नीचे है।
  - यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि पिछली HDI रिपोर्ट के विपरीत बिहार अब निम्न मानव विकास वाला राज्य नहीं रह गया है।

मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख बाधाएँ

- **आर्थिक विकास का असमान वितरण:** मानव विकास की प्राप्ति में बाधा का एक प्रमुख कारण यह है कि आर्थिक विकास का वितरण असमान रूप से हुआ है।
  - भारतीय आबादी के शीर्ष 10% के पास 77% से अधिक संपत्ति है।
  - इसके परिणामस्वरूप बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच में उल्लेखनीय असमानताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **सेवाओं की निम्न गुणवत्ता:** जबकि भारत ने गरीबी को कम करने और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, जबकि देश ने प्राथमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन की स्थिति प्राप्त कर ली है, शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर निम्न बना हुआ है।
- **प्रभावी शैक्षिक अवसंरचना का अभाव:** भारत अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छ जल और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- **उचित पोषण की कमी:** भारत में कुपोषण और अल्पपोषण विशेष रूप से बच्चों में व्याप्त प्रमुख समस्याएँ हैं। इसका उनके स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक विकास और समग्र सेहत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
  - वर्ष 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की 70% से अधिक आबादी स्वस्थ आहार पा सकने में अक्षम है, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य देशों की तुलना में भारत में भोजन की लागत अपेक्षाकृत कम है।
  - 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता वर्ष 2015-16 में 53% (NFHS- 4) से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 57% (NFHS-5) हो गया है।

नोट :

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** भारत अपने नागरिकों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये भी संघर्षरत है। कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या स्वास्थ्य देखभाल, सेवानिवृत्ति पेंशन और नौकरी की सुरक्षा जैसे बुनियादी लाभों तक पहुँच नहीं रखती।
- **लैंगिक असमानता:** हाल के वर्षों की प्रगति के बावजूद, लैंगिक असमानता भारत में मानव विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, रोज़गार एवं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वे प्राय: हिंसा एवं दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं।
  - स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों (Expected Years of Schooling- EYS) के लिये पुरुष-महिला अनुपात वर्ष 1990 में 1.43 से घटकर वर्ष 2021 में 0.989 हो गया, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों (Mean Years of Schooling- MYS) के लिये यह 1.26 से घटकर 1.06 हो गया।
  - विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022' के अनुसार, महिलाएँ AI कार्यबल में केवल 22% हिस्सेदारी रखती हैं।

आगे की राह

- **आय असमानता और लैंगिक असमानता को संबोधित करना:** आय असमानता और लैंगिक असमानता को संबोधित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत परिवर्तन और सांस्कृतिक बदलाव दोनों शामिल हैं। यहाँ कुछ संभावित उपाय सुझाए गए हैं:
  - समान वेतन, शिक्षा एवं कौशल विकास, वहनीय बाल देखभाल, महिलाओं के लिये सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि सहायक हो सकते हैं।
  - सरकार इन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), महिला ई-हाट आदि योजनाओं के प्रोत्साहन पर सरकार ध्यान दे सकती है।
- **शिक्षा में निवेश करना:** शिक्षा मानव विकास का एक मूलभूत पहलू है। सरकारें स्कूलों के निर्माण, शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृत्ति प्रदान करने और वंचित समुदायों के लिये शिक्षा तक पहुँच में सुधार आदि के रूप में शिक्षा में निवेश कर सकती हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना:** स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच मानव विकास का एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है। सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सभी नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो, जिसमें निवारक देखभाल, रोग उपचार और मानसिक स्वास्थ्य सहायता आदि शामिल हैं।
  - सरकार को इन योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM), मिशन इंद्रधनुष।
- **गरीबी को संबोधित करना:** गरीबी मानव विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। सरकारें बेरोज़गारी लाभ, खाद्य सहायता और आवास सब्सिडी जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करके गरीबी को दूर कर सकती हैं।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** मानव विकास के लिये लैंगिक समानता आवश्यक है। सरकारें ऐसी नीतियों को लागू कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकती हैं जो महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये समान अवसर सुनिश्चित करें, जैसे कि रोज़गार एवं शिक्षा में लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध कानून का निर्माण करना।
- **मानवाधिकारों की रक्षा करना:** मानवाधिकार मानव विकास के लिये मूलभूत हैं। सरकारें यह सुनिश्चित कर मानवाधिकारों की रक्षा कर सकती हैं कि नागरिकों के लिये स्वतंत्र भाषण, धर्म की स्वतंत्रता और भेदभाव से स्वतंत्रता के अधिकार उपलब्ध हों।
- **अवसंरचना का निर्माण:** आर्थिक विकास और मानव विकास के लिये सड़क, पुल एवं बिजली जैसी अवसंरचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। सरकारें ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं जो स्वच्छ जल एवं बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करें और रोज़गार के अवसर उत्पन्न करें।
- **नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना:**
  - नवाचार और उद्यमिता आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं तथा मानव विकास में सुधार कर सकती हैं। सरकारें ऐसी नीतियाँ बना सकती हैं जो नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करें, जैसे छोटे व्यवसायों के लिये कर प्रोत्साहन और वैज्ञानिकों एवं आविष्कारकों के लिये अनुसंधान अनुदान प्रदान करना।

छोटे जल निकायों का पुनरुद्धार

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, 2010 के दशक के पूर्वार्द्ध से मध्य तक वैश्विक आबादी के लगभग 1.9 बिलियन लोग जल की गंभीर कमी वाले क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 2.7-3.2 बिलियन तक पहुँच जाने का अनुमान है।

नोट :

- केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा प्रकाशित जल एवं संबंधित आँकड़े (2021) में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 तक प्रत्येक तीन में से एक व्यक्ति जल-तनावग्रस्त क्षेत्र (water-stressed area) में निवास कर रहा होगा।
- दुर्भाग्यजनक है कि तालाब, पोखर जैसे लघु जल निकाय (Small Water Bodies- SWBs) जो भारत में लंबे समय से जल की कृषि और घरेलू आवश्यकता का समर्थन करते रहे थे, अब तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। इस परिदृश्य में, बढ़ते जल संकट को टालने के लिये जहाँ तक संभव हो जल आपूर्ति में तत्काल वृद्धि करने की आवश्यकता है।

लघु जल निकायों से प्राप्त प्रमुख लाभ

- **जल तक आसान पहुँच:** SWBs विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आवश्यकताओं, पशुपालन, पेयजल और कृषि के लिये जल की आसान पहुँच प्रदान कर सकते हैं। यह जल सुरक्षा को बेहतर बनाने और घरों के लिये जल संग्रह के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।
  - SWBs हर गाँव में मौजूद होते हैं, जिससे महिलाओं को पेयजल आवश्यकताओं के लिये जल लाने हेतु कम पैदल दूरी तय करनी पड़ती है।
- **कम रखरखाव लागत:** बड़े बाँधों और जलाशयों की तुलना में लघु जल निकायों के निर्माण एवं रखरखाव की लागत अपेक्षाकृत कम है। यह उन्हें छोटे पैमाने पर जल भंडारण और प्रबंधन के लिये एक आकर्षक विकल्प बनाता है।
- **किसानों के लिये सहायक:** SWBs का उपयोग सिंचाई और जलीय कृषि के लिये किया जा सकता है; इस प्रकार, ये खेती संबंधी गतिविधियों के लिये जल का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं। यह फसल की पैदावार बढ़ाने और किसानों के लिये आजीविका का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
  - बिना संघर्ष के जल का प्रभावी वितरण लघु और सीमांत किसानों के बीच गरीबी को कम करने में मदद करता है।
- **भूजल पुनर्भरण में सहायता:** SWBs भूजल संसाधनों के पुनर्भरण में भी मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ भूजल की कमी चिंता का विषय है। वर्षा जल के ग्रहण एवं भंडारण के माध्यम से SWBs भूजल जलभृतों को फिर से भरने और समग्र जल उपलब्धता में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं।
- **जैव विविधता:** लघु जल निकाय कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित पादप एवं जीव प्रजातियों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं। वे मछली, उभयचर, सरीसृप एवं पक्षियों जैसे जलीय और अर्द्ध-जलीय जीवों के लिये महत्त्वपूर्ण पर्यावास एवं प्रजनन आधार प्रदान करते हैं।
- **जल की गुणवत्ता:** लघु जल निकाय प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं, जहाँ वे अपवाह जल के बड़े जल निकायों में प्रवेश करने से पहले उनमें मौजूद प्रदूषकों और तलछट को दूर करने में भूमिका निभाते हैं। वे सूखे के दौरान भूजल के पुनर्भरण और जल स्तर को बनाए रखने में भी मदद कर सकते हैं।
- **बाढ़ नियंत्रण:** लघु जल निकाय बाढ़ के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकते हैं, जहाँ वे भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त जल को इकट्ठा करने और उन्हें समय के साथ धीरे-धीरे छोड़ने में भूमिका निभाते हैं।

लघु जल निकायों के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याएँ

- **जलग्रहण क्षेत्रों का लगातार अतिक्रमण:**
  - झीलों, तालाबों और जलधाराओं जैसे लघु जल निकाय अपने जलग्रहण क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण नियमित खतरे का सामना कर रहे हैं।
  - शहरीकरण के विस्तार के साथ लोग इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में और उसके आसपास आवासों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं।
  - इससे प्राकृतिक वनस्पति के विनाश, मृदा के क्षरण और स्वयं जल निकाय के प्रदूषित होने की स्थिति बन सकती है।
    - 1990 के दशक से शुरू हुए शहरी संकुलन (urban agglomeration) ने SWBs को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमें से कई 'डंपिंग ग्राउंड' में बदल गए हैं।
    - जल संसाधन पर स्थायी समिति (2012-13) ने अपनी 16वीं रिपोर्ट में रेखांकित किया कि देश के अधिकांश जल निकायों का स्वयं राज्य एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।
    - जल संसाधन पर स्थायी समिति (2012-13) के अनुसार अतिक्रमण और अन्य कारणों से लगभग 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता नष्ट हो गई।
- **वार्षिक रखरखाव का अभाव:**
  - लघु जल निकायों को स्वस्थ और कार्यात्मक बनाए रखने के लिये नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। लेकिन सीमित संसाधनों के कारण इन निकायों को प्राय: उपेक्षित किया जाता है और बदहाली के लिये छोड़ दिया जाता है।

नोट :

- रखरखाव की कमी के परिणामस्वरूप तलछट, मलबे एवं प्रदूषकों का निर्माण हो सकता है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है और यहाँ तक कि जल निकाय पूरी तरह से सूख सकते हैं।

- **प्रदूषण:**
  - लघु जल निकाय प्राय: कृषि अपवाह, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी विकास जैसे विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के शिकार होते हैं।
  - प्रदूषण विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें सुपोषण/यूट्रोफिकेशन (eutrophication), शैवाल का अत्यधिक प्रसार और मछलियों का मरना शामिल है।
- **पर्यावास की क्षति:** शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि गहनता (agricultural intensification) जैसे भूमि उपयोग परिवर्तनों के कारण लघु जल निकायों को प्राय: पर्यावास की क्षति और विखंडन के खतरों का सामना करना पड़ता है। इससे जैव विविधता और पारिस्थितिक कार्यकरण में गिरावट आ सकती है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** लघु जल निकाय गैर-स्थानीय प्रजातियों के आक्रमण के प्रति असुरक्षित या संवेदनशील हो सकते हैं, जो फिर देशी प्रजातियों को मात दे सकते हैं और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं।
  - आक्रामक प्रजातियाँ जल की गुणवत्ता और पर्यावास की गुणवत्ता में गिरावट का कारण भी बन सकती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** लघु जल निकाय जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित होते हैं जिससे जल की उपलब्धता, तापमान और गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण एवं पर्यावास की क्षति जैसे अन्य तनावकारी कारकों (stressors) के प्रभावों को भी बढ़ा सकता है।
- **अति उपयोग और दोहन:** सिंचाई, पेयजल, मनोरंजन और मत्स्यग्रहण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये लघु जल निकायों के अत्यधिक उपयोग और दोहन की स्थिति भी बन सकती है।
  - अति उपयोग से जल संसाधनों की कमी, जल की गुणवत्ता में गिरावट और जैव विविधता की क्षति की स्थिति बन सकती है।

आगे की राह

- **कड़े कानून की आवश्यकता:** लगातार बढ़ते अतिक्रमणों को देखते हुए जल निकायों पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध बनाने के लिये तत्काल कड़े कानून बनाये जाने चाहिये।
  - वर्ष 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि SWBs (जलधाराओं, जल निकायों और आर्द्रभूमि) के निकट स्थित भूमि पर किसी योजना या लेआउट के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये।
- **लघु जल निकायों के लिये एक अलग मंत्रालय का निर्माण करना:** SWBs की जीर्ण स्थिति को देखते हुए, समय-समय पर इनकी मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिये पर्याप्त धन के आवंटन के साथ एक अलग मंत्रालय का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - किसानों की भागीदारी के बिना, जो SWBs के मुख्य लाभार्थी हैं, इन युगों पुराने साधनों के कार्यकरण में सुधार लाना कठिन है।
- **तालाब उपयोगकर्त्ता संगठन की स्थापना करना:** किसानों को एक तालाब उपयोगकर्ता संगठन (tank users' organisation) की स्थापना के लिये स्वैच्छिक रूप से आगे आना चाहिये और SWBs के मरम्मत कार्य में योगदान करना चाहिये, जैसा सदियों पुरानी कूदीमरामथु (Kudimaramathu) प्रणाली के तहत किया जाता था।
  - चूँकि कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा भी विभिन्न उद्देश्यों के लिये जल के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है, उनसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत SWBs की मरम्मत एवं पुनरुद्धार की अपेक्षा की जानी चाहिये।
- **संदूषण से बचना:** लघु जल निकाय कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक गतिविधियों और आवासीय क्षेत्रों से होने वाले अपवाह से उत्पन्न प्रदूषण की चपेट में हैं।
  - उनकी रक्षा के लिये आवश्यक है कि जल निकायों में हानिकारक रसायनों एवं अपशिष्टों के निकास पर रोक लगाकर उनके संदूषण (Contamination) से बचा जाए।
- **आसपास की भूमि का संरक्षण:** छोटे जल निकायों का हित आसपास की भूमि के हित से निकटता से संबद्ध है। मृदा क्षरण में योगदान करने वाले विकास कार्यों, वनों की कटाई और अन्य गतिविधियों से आसपास की भूमि की रक्षा करना आवश्यक है, जो जल में अवसादन (sedimentation) और पोषक प्रदूषण (nutrient pollution) को रोकने में मदद कर सकता है।
- **आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करना:** गैर-स्थानीय पादपों एवं जीवों जैसी आक्रामक प्रजायाँ लघु जल निकायों के पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकती हैं। उनके प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक नियंत्रण उपाय किये जाने चाहिये।

नोट :

- **जागरूकता का प्रसार:** लघु जल निकायों के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता के प्रसार से उनके संरक्षण के लिये समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है। इसमें सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने, शैक्षिक सामग्री वितरित करने और स्थानीय हितधारकों के साथ संलग्न होने जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

मीडिया का पूर्वाग्रह और लोकतंत्र

संदर्भ

राज्य की अवधारणा में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार यह लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। एक कार्यशील और स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये जो व्यवस्था (establishment) से कठिन प्रश्न पूछ सके—या जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, ''सत्य के पक्ष में सत्ता के समक्ष खड़े हो (speak truth to power)।''

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार की गारंटी देता है और आमतौर पर राज्य के विरुद्ध लागू होता है। हालाँकि, संवैधानिक संरक्षण के बावजूद भारत में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की ओर से धमकी, हमले और भयादोहन शामिल हैं।
- मीडिया वह इंजन है जो सत्य, न्याय और समानता की तलाश के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। आज के डिजिटल युग में, तेज़ी से बदलते मीडिया परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिये पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग में सटीकता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व के मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका

- **सूचना प्रदान करना:** मीडिया नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और घटनाओं के बारे में सूचित करता है, जिससे उन्हें अपने नेताओं और सरकार के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय ले सकने का अवसर मिलता है।
  - **नेताओं को जवाबदेह बनाए रखना:** मीडिया एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी अधिकारियों के कार्यों की संवीक्षा करता है और उन्हें उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराता है।
  - **सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना:** मीडिया सार्वजनिक बहस और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिये मंच प्रदान करता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
  - **विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना:** मीडिया को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये, जिससे नागरिकों की विविध मतों और विचारों तक पहुँच हो सके।
  - **नागरिकों को शिक्षित करना:** मीडिया को नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना चाहिये; उन्हें यह समझने में मदद करनी चाहिये कि सरकार कैसे कार्य करती है और नागरिक कैसे इसमें प्रभावी भागीदारी कर सकते हैं।

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका से संबद्ध चुनौतियाँ

- **मीडिया पूर्वाग्रह:** मीडिया पूर्वाग्रह (Media Bias) आम जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को विकृत कर सकता है, जिससे निष्पक्षता की कमी और उपलब्ध सूचना में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप ध्रुवीकृत जनमत (polarized public opinion) और मीडिया के प्रति भरोसे की कमी की स्थिति बन सकती है।
  - भारत में मुख्यधारा की मीडिया प्राय: सरकार समर्थक या पूर्णरूपेण सरकार विरोधी रुख से ग्रस्त रही है, जहाँ वे चरम दृष्टिकोण रखते हैं और संतुलन साधने का प्रयास नहीं करते, बल्कि आम लोगों से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा ही करते हैं।
- **'फेक न्यूज़':**सोशल मीडिया के उदय ने फर्ज़ी ख़बरों या फेक न्यूज़ (Fake News) के तीव्र प्रसार को आसान बना दिया है, जिससे प्राय: जनता में भ्रम और भ्रामक सूचना का प्रसार होता है।
  - यह मीडिया की विश्वसनीयता को कम कर सकता है और प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के प्रति भरोसे की कमी को जन्म दे सकता है।
    - हाल ही में हरियाणा में गौरक्षकों द्वारा गोवंश के अवैध परिवहन, तस्करी या उनके वध के संदेह के आधार पर दो लोगों की हत्या कर दी गई जो 'मॉब लिंचिंग' के मुद्दे को उजागर करता है।
- **कॉर्पोरेट प्रभाव:** मीडिया आउटलेट प्राय: बड़े कॉर्पोरेट के स्वामित्व में होते हैं, जो मीडिया की संपादकीय नीतियों और रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं। इससे दृष्टिकोणों की विविधता की कमी की स्थिति बन सकती है और सार्वजनिक हित के बजाय लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

नोट :

- **सरकारी सेंसरशिप:** सरकारें सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और असंतोष को दबाने के लिये 'सेंसरशिप' का प्रयोग कर सकती हैं। इससे सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी की स्थिति बन सकती है और मीडिया की एक 'प्रहरी' के रूप में कार्य करने की क्षमता सीमित हो सकती है।
- वैधता का मुद्दा:
  - मीडिया संस्थानों के लिये सुशोधित और जटिल ख़बरें प्रदान करने के लिये एक विविध एवं प्रतिनिधिक न्यूज़रूम आवश्यक है जो विभिन्न दृष्टिकोणों एवं आवाज़ों तक पहुँच सके।
  - मीडिया के साथ वैधता (legitimacy) का मुद्दा इस चिंता को संदर्भित करता है कि मीडिया संस्थान अनिवार्य रूप से हमेशा सटीक, निष्पक्ष या सत्यनिष्ठ सूचना ही नहीं प्रदान करते।
    - यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों, व्यावसायिक हितों, सनसनीखेज प्रवृत्ति और पत्रकारिता मानकों की कमी जैसे विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है।
- **लैंगिक विविधता:** मीडिया में लैंगिक विविधता की कमी एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। मीडिया संगठनों के स्वामित्व और कार्यबल दोनों में ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो मीडिया में दृष्टिकोण और आवाज़ की विविधता को सीमित करता है। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को भी कायम रखता है और पितृसत्तात्मक मानदंडों को पुष्ट करता है।
- **'मीडिया ट्रायल':** ऐसे दृष्टांत सामने आते रहे हैं जब मीडिया ने ऐसे आख्यान चलाए हैं जो अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किये जाने से पहले ही उसे जनता की नज़रों में दोषी बना देते हैं।
  - **उदाहरण:** भारत में मीडिया ट्रायल का एक प्रसिद्ध उदाहरण वर्ष 2008 के आरुषि तलवार-हेमराज दोहरे हत्याकांड का है। इस मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला और मीडिया ने जनता की राय को आकार देने और आगे की जाँच एवं अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
  - मीडिया ट्रायल का प्रभावित व्यक्तियों के जीवन के साथ-साथ सम्यक प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
    - मीडिया और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संबंधों पर मैड्रिड सिद्धांतों (Madrid Principles on the Relationship Between the Media and Judicial Independence) के अनुसार, यह मीडिया का कार्य है कि "वह निर्दोषिता की धारणा (presumption of innocence) का उल्लंघन किये बिना सुनवाई के पहले, इसके दौरान या इसके बाद जनता तक सूचना पहुँचाए और न्याय प्रक्रिया पर टिप्पणी करे।"

आगे की राह

- **तथ्य की शुद्धता और तथ्य-परीक्षण को बढ़ावा देना:** यह पत्रकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से पूर्वाग्रह के किसी भी तत्त्व को अलग करें।
  - रिपोर्टिंग से पहले सभी समाचारों को सत्यापित करने के लिये एक व्यापक तथ्य-परीक्षण तंत्र (fact-checking mechanism) होना चाहिये। समाचार प्रकाशित करते समय मीडिया संस्थानों से सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है।
- **विविध दृष्टिकोण प्रदान करना:** मीडिया को यह सुनिश्चित करने के लिये विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना चाहिये कि सभी दृष्टिकोणों को सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। यह अधिक सूचना-संपन्न और संलग्न नागरिक वर्ग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- **सत्तारूढ़ लोगों में जवाबदेह बनाए रखना:** मीडिया की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है सत्तारूढ़ लोगों के कार्यों एवं निर्णयों की रिपोर्टिंग करके उन्हें जवाबदेह बनाए रखना। इसमें भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की जाँच करना भी शामिल है।
- **सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना:** मीडिया बहस और चर्चा के लिये एक मंच प्रदान कर सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह विभिन्न समूहों के बीच समझ एवं संवाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक सूचना-संपन्न और समावेशी निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **पक्षपात से बचना:** मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में पक्षपात से बचने का प्रयास करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पक्षों द्वारा इसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष माना जाए। यह मीडिया के प्रति भरोसा जगाने और लोकतंत्र में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- **पत्रकारों के ऑनलाइन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करना:** सोशल मीडिया के उभार के साथ पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनकी सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। भारत को इस मुद्दे के समाधान के लिये उपाय करने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

नोट :

- **मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करना:** जहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, वहीं नागरिकों की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वे आलोचनात्मक तरीके और समझदारी से समाचारों का उपभोग करें। मीडिया साक्षरता कार्यक्रम नागरिकों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं कि मीडिया कैसे कार्य करता है, विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय स्रोतों के बीच अंतर कैसे करें और सूचना-संपन्न सार्वजनिक संवाद में कैसे शामिल हों।
- **स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना:** मुख्यधारा के बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसमें खोजी पत्रकारिता के लिये धन देना, समुदाय-आधारित मीडिया को समर्थन देना और स्वतंत्र पत्रकारों एवं स्ट्रिंगर्स (जो प्राय: स्टाफ पत्रकारों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करते हैं) को सुरक्षा प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **पत्रकारों के लिये कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करना:** पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को प्राय: विभिन्न स्रोतों से धमकियों, हमलों और भयादोहन का सामना करना पड़ता है। इस परिदृश्य में सरकार एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर सकती है जो विशेष रूप से पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को उत्पीड़न एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करे।
  - जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की गारंटी देता है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिये कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
- **मीडिया नैतिकता का पालन:** यह महत्त्वपूर्ण है कि मीडिया सच्चाई एवं तथ्यपरकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, न्यायपरकता एवं निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और निष्पक्ष कार्य जैसे मूल सिद्धांतों से संबद्ध रहे।

लैंगिक वेतन अंतराल की समस्या से निपटना

संदर्भ

भारत में लैंगिक वेतन अंतराल (Gender Pay Gap) देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच औसत वेतन या आय अर्जन के बीच के अंतर को दर्शाता है। संवैधानिक प्रावधानों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद, भारत में लैंगिक वेतन अंतराल एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में महिला एवं पुरुष 2022' (Women and Men in India 2022) रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन असमानता बढ़ी है, जहाँ उच्च वेतन स्तरों पर अंतराल और अधिक बढ़ गया है।
- विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (World Inequality Report 2022) में प्रस्तुत वैश्विक आय में लैंगिक असमानता के पहले अनुमान के अनुसार, भारत में पुरुष श्रम आय में 82% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि महिलाएँ महज 18% हिस्सेदारी रखती हैं।
- लैंगिक वेतन अंतराल को दूर करने के लिये, इस विषय के बारे में अधिक जागरूकता और पैरोकारी की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे नीतिगत उपाय करने होंगे जो लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दें।

लैंगिक वेतन अंतराल के प्रमुख कारण

- **व्यावसायिक अलगाव:** महिलाएँ कम-वेतन वाले व्यवसायों में केंद्रित होती हैं, जैसे कि देखभाल संबंधी और प्रशासनिक कार्य, जबकि पुरुषों को प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे उच्च-भुगतान वाले उद्योगों में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- **भेदभाव:** महिलाओं को नियुक्ति, पदोन्नति और भुगतान में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उनकी योग्यता और अनुभव उनके पुरुष सहयोगियों के बराबर हो।
- **कार्यबल भागीदारी:** बच्चों या वृद्ध रिश्तेदारों की देखभाल के लिये महिलाओं द्वारा कार्य से अवकाश लेने या पार्ट-टाइम कार्य करने की संभावना अधिक होती है, जिससे उनके करियर के रास्ते में रुकावट आ सकती है और कुल कमाई कम हो सकती है।
- **सौदेबाजी:** महिलाओं के लिये उच्च वेतन या लाभ के लिये सौदेबाजी (negotiation) की संभावना कम होती है क्योंकि उनके लिये अवसर कम होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें कम मुआवजा पैकेज प्राप्त हो सकता है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच:** महिलाओं की शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसरों तक कम पहुँच हो सकती है जो इन पितृसत्तात्मक मान्यताओं से प्रेरित है कि बालिकाओं एवं महिलाओं को घरेलू कार्य में संलग्न होना चाहिये।
  - यह उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लिये आवश्यक कौशल और साख (credentials) हासिल करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **अनियमित घंटों में कार्य असमर्थता:** कई नौकरियों में कर्मचारियों को अनियमित घंटों में कार्य करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि ओवरटाइम या नाइट शिफ्ट और सुरक्षा कारणों से महिलाएँ अनियमित घंटों में कार्य असमर्थता रखती हैं।

नोट :

- इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की पदोन्नति के मामले में उपेक्षा की जा सकती है या उन पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जा सकता है जो अधिक लचीले शेड्यूल पर कार्य करने में सक्षम होते हैं।

- **कार्य स्थल तक पहुँचने के लिये गतिशीलता की कमी:** महिलाओं द्वारा परिवहन चुनौतियों का सामना करने की भी अधिक संभावना होती है, जैसे विश्वसनीय परिवहन तक पहुँच की कमी, जो फिर कार्य स्थल तक पहुँचने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ कुछ नौकरियों या उद्योगों से बाहर रखी जा सकती हैं, जो फिर उनकी अर्जन क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण अनुभव का अंतराल:** पुरुषों की तुलना में महिलाएँ बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल के लिये काम से समय निकालने की अधिक संभावना रखती हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुभव के अंतराल (Discontinuity of Experience) की स्थिति बन सकती है, जिससे महिलाओं के लिये अपने करियर में आगे बढ़ना और उच्च वेतन अर्जित करना कठिन हो जाता है।

संबंधित पहलें/संवैधानिक प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत का संविधान अनुच्छेद 39 (d) और अनुच्छेद 42 के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 15 (2) के तहत लैंगिक भेदभाव पर भी रोक लगाता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम:** समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act) वर्ष 1976 में यह सुनिश्चित करने के लिये पारित किया गया था कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त हो। यह अधिनियम सभी संगठनों पर लागू होता है, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, और यह नियमित एवं अनियत दोनों तरह के कर्मचारियों को दायरे में लेता है।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम:**
  - मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों का प्रावधान करता है। वर्ष 2017 में इसमें किये गए संशोधन के माध्यम से मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम:**
  - महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिये यह अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। यह सभी नियोक्ताओं के लिये शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने को आवश्यक बनाता है कि वेतन और कार्य दशाओं के मामले में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- **अन्य:** वर्ष 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 'भुगतान समता नीति' (pay equity policy) की घोषणा करते हुए कहा कि इसके केंद्रीय रूप से अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस प्राप्त होगी।

आगे की राह

- **विधान को सशक्त करना:** कार्यस्थल में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जा सकता है और नए विधान लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करने हेतु अधिक सख्ती से लागू किया जा सकता है।
  - **प्रशिक्षण और विकास प्रदान करना:** महिला कर्मचारियों को उनके कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि के लिये प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं, जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने तथा बेहतर वेतन पाने के लिये सौदेबाजी कर सकने में सहायता कर सकते हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान करके बेहतर वेतन एवं लाभ के लिये सौदेबाजी कर सकने तथा अपने संगठनों में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह लैंगिक भेदभाव के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है और अधिकाधिक महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में ले जा सकता है।
- कार्य का समान वितरण सुनिश्चित करना: घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल का बोझ प्राय: महिलाओं पर असंगत रूप से पड़ता है, जो घर से बाहर कार्य कर सकने या अपने करियर में आगे बढ़ने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - इसे संबोधित करने के लिये, महिलाओं और पुरुषों के बीच घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल के कर्तव्यों के अधिक समान वितरण को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
  - माता-पिता अवकाश (parental leave), लचीली कार्य व्यवस्था और वहनीय बाल देखभाल सेवाओं जैसी नीतियों के माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है।

नोट :

डिजिटल युग में दूरस्थ कार्य

संदर्भ

ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट (श्रम बाज़ार और कर्मी प्रदर्शन अनुसंधान के लिये प्रमुख वैश्विक मंथन संस्था) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि तीन-चौथाई से अधिक भारतीय कर्मचारी दूरस्थ या हाइब्रिड कार्यकरण (working remotely or hybrid) के लचीलेपन और अपने कार्य-समय पर नियंत्रण के लिये वेतन कटौती के लिये भी तैयार होंगे।

- पिछले कुछ माह में, कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को भौतिक कार्यस्थलों पर वापस लौटने को कहा है, जिससे हाइब्रिड कार्य व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और करियर संभावनाओं पर उनके प्रभाव पर एक चर्चा शुरू हुई है। इसने पारंपरिक कार्यस्थल पर लौटने के कृत्य को मानसिकता के एक विषय में रूपांतरित कर दिया है।
- इस परिदृश्य में, नए मॉडल को विकसित करना समय की मांग है और जो कंपनियाँ इस बदलाव को स्वीकार करती हैं और अपने कर्मचारियों के लिये अधिक लचीलेपन और स्वायत्तता के निर्माण हेतु इसका उपयोग करती हैं, वे शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिये अधिक बेहतर स्थिति में होंगी।

दूरस्थ कार्य (Remote Work) के लाभ

- **लचीलापन (Flexibility):** दूरस्थ कार्य कर्मचारियों को उनके कार्य शेड्यूल और माहौल पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। इससे कार्य संतुष्टि (job satisfaction) में वृद्धि हो सकती है और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन का निर्माण हो सकता है।
- **प्रतिभा के व्यापक पूल तक पहुँच:** दूरस्थ कार्य कंपनियों को दुनिया में कहीं से भी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकने का अवसर देता है, यह उपलब्ध प्रतिभाओं के पूल का विस्तार करता है और संभावित रूप से अधिक विविध कार्यबल की ओर ले जाता है।
- **परिवहन समय और लागत में कमी:** कर्मचारियों के कार्यालय आने-जाने की आवश्यकता को समाप्त करके, दूरस्थ कार्य परिवहन समय और लागत की बचत कर सकता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** कम लोगों के कार्यालय जाने के साथ, दूरस्थ कार्य कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- **स्वायत्तता की वृद्धि:** दूरस्थ कार्य के लिये प्राय: कर्मचारियों को अपने कार्य के लिये अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने और प्रभावी ढंग से अपने समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। इससे स्वायत्तता (autonomy) की वृद्धि होती है और अपने कार्य को लेकर लोगों में स्वामित्व या प्रभुत्व (ownership) की वृहत भावना विकसित होती है।
- **कम तनाव और 'बर्नआउट':** दैनिक आवागमन की आवश्यकता को समाप्त करके और कर्मचारियों को आरामदायक वातावरण में कार्य करने की अनुमति देकर, दूरस्थ कार्य तनाव (stress) और शारीरिक-संवेगात्मक-मानसिक परिश्रांति (burnout) को कम कर सकता है।

दूरस्थ कार्य से संबद्ध चुनौतियाँ

- **अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार (interpersonal skills and communication):** एकीकृत एवं स्वीकार्य अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार के संबंध में दूरस्थ कार्यकरण चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **मिथ्याबोध या गलतफहमी (Misunderstandings):** दूरस्थ कार्य व्यवस्था में, टीम के अंदर किसी भी भ्रामक संप्रेषण (miscommunications) या ग़लतफ़हमी को तत्काल संबोधित करना महत्त्वपूर्ण होता है ताकि उससे आगे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न न हो जाए।
- **आत्म-अनुशासन और आत्म-प्रेरणा (Self-Discipline and Self-Starting):** दूरस्थ कार्य के लिये आवश्यक है कि कर्मचारी आत्म-अनुशासित और आत्म-प्रेरित करने वाले हों, जो एक अव्यवस्थित जीवन शैली की स्थिति में जटिल सिद्ध हो सकता है।
- **उत्पादकता (Productivity):** दूरस्थ कार्य जगत में, विशेष रूप से उपयुक्त कार्यस्थल वातावरण के अभाव में उत्पादकता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - स्टैंडफोर्ड द्वारा 9 माह की अवधि में 16,000 कर्मियों पर किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि घर से कार्य या 'वर्क फ्रॉम होम' से उत्पादकता में 13% की वृद्धि हुई।
  - प्रदर्शन में यह वृद्धि प्रति मिनट अधिक कॉल के कारण थी, जो शांत एवं अधिक सुविधाजनक कार्यकाजी माहौल और कम ब्रेक एवं रोग-अवकाश के कारण प्रति शिफ्ट अधिक मिनट तक कार्य करने से संभव हुई थी।
  - इसी अध्ययन में कर्मियों ने बेहतर कार्य संतुष्टि की भी सूचना दी और संघर्षण दर (attrition rates) में 50% की कमी आई।

नोट :

- **गोपनीयता (Confidentiality):** सभी कार्य दूरस्थ रूप से नहीं किये जा सकते हैं और कुछ कंपनियाँ अभी भी पसंद करेंगी कि उनके कर्मचारी एक भौतिक कार्यालय में कार्य करें ताकि कार्य की गोपनीयता बनी रहे।
- **सहकार्यता (Collaboration):** सहकार्यता कठिन सिद्ध हो सकती है जब हर कोई अलग-अलग स्थानों से कार्य कर रहा हो। विविध विचारों पर मंथन करना, परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करना और प्रतिक्रिया या फीडबैक प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अलगाव की भावना (Isolation):** दूरस्थ कर्मी अपने सहकर्मियों और कंपनी की संस्कृति से अलग-थलग या 'डिस्कनेक्टेड' महसूस कर सकते हैं, जो मनोबल और उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे:** तकनीकी कठिनाइयों को हल करना अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है जब हर कोई दूर से कार्य कर रहा हो। दूरस्थ कर्मियों के लिये आईटी सपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, साथ ही उनके पास वे साधन एवं सॉफ़्टवेयर नहीं भी हो सकते हैं जो उन्हें कार्यालय में उपलब्ध होते हैं।
- **समय प्रबंधन:** दूरस्थ कर्मचारियों का आत्म-प्रेरित होना और प्रभावी ढंग से अपने समय का प्रबंधन करने में सक्षम होना आवश्यक है, तभी वे समय-सीमा (deadlines) की पूर्ति और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे।

आगे की राह

- **स्पष्ट नीतियों और दिशानिर्देशों की स्थापना:** दूरस्थ कार्य के लिये स्पष्ट नीतियों और दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मी अवगत हैं कि उनसे क्या अपेक्षा है। इसमें कार्य के घंटे, संचार, उत्पादकता और अन्य प्रासंगिक विषयों के संबंध में दिशानिर्देश शामिल हैं।
- **प्रौद्योगिकी में निवेश करना:** दूरस्थ कार्य का समर्थन करने के लिये, संगठनों को ऐसी प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है जो दूरस्थ सहकार्यता, संचार और उत्पादकता को सक्षम बनाए। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर और अन्य प्रासंगिक टूल शामिल हैं।
- **कर्मचारी कल्याण पर ध्यान देना:** दूरस्थ कार्य अलग-थलग होने की भावना को जन्म दे सकते हैं और 'बर्नआउट' की ओर ले जा सकते हैं। इसलिये, संगठनों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने, मानसिक स्वास्थ्य संसाधन प्रदान करने और नियमित ब्रेक या अवकाश को प्रोत्साहित करने के रूप में कर्मचारी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें।
- **संचार और सहकार्यता पर बल देना:** दूरस्थ कार्य संचार और सहकार्यता (Communication and Collaboration) के लिये एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता रखता है। संगठनों को नियमित 'चेक-इन' (check-ins) स्थापित करके, सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करके और ज्ञान साझेदारी को प्रोत्साहित करके संचार एवं सहकार्यता पर बल देने की आवश्यकता है।
- **'हाइब्रिड वर्क मॉडल' पर विचार करना:** एक हाइब्रिड वर्क मॉडल (Hybrid Work Model) में दूरस्थ कार्य और कार्यस्थल कार्य या 'इन-पर्सन वर्क' दोनों शामिल होता है। इसमें कर्मी सप्ताह के कुछ दिन घर से कार्य कर सकते हैं और कुछ दिन कार्यस्थल पर आ सकते हैं।
  - इस प्रकार, एक हाइब्रिड वर्क मॉडल दोनों व्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सकता है और कई संगठनों के लिये एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकता है।
- **आकलन और समायोजन:** संगठनों को अपनी दूरस्थ कार्य नीतियों का आकलन करने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने की आवश्यकता है।
  - इसमें उत्पादकता, कर्मचारी संतुष्टि और अन्य प्रासंगिक घटकों का मूल्यांकन करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरस्थ कार्य संलग्न सभी लोगों के लिये प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

हरित हाइड्रोजन - जीवाश्म ईंधन का विकल्प

संदर्भ

अपने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) के तहत भारत 'हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के वैश्विक केंद्र' में रूपांतरित होने और 'प्रौद्योगिकी एवं बाज़ार नेतृत्व ग्रहण करने' की मंशा रखता है। मिशन का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिये 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

- हरित हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत्-अपघटन (electrolysis) के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इसमें कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण हेतु एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है और यह जलवायु परिवर्तन के शमन में मदद कर सकता है। उत्पादित हरित हाइड्रोजन को परिवहन, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के लिये ईंधन के रूप में भंडारित और उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

हरित हाइड्रोजन के विकास के पीछे के प्रमुख कारण

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना:** ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने का प्राथमिक कारण है ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन का शमन करना। परिवहन और बिजली उत्पादन के लिये जीवाश्म ईंधन का उपयोग वैश्विक उत्सर्जन का एक प्रमुख योगदानकर्त्ता है।
  - नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हरित हाइड्रोजन ग्रीनहाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन करता है, जो इसे एक सतत/संवहनीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत बनाता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता:** जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन हैं और वैश्विक आपूर्ति एवं मांग के आधार पर उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। हरित हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करके, दुनिया के देश अधिक ऊर्जा-स्वतंत्र बन सकते हैं और मूल्य उतार-चढ़ाव संबंधी झटकों एवं आपूर्ति बाधाओं के प्रति कम संवेदनशील बन सकते हैं।
- **नए उद्योग और रोज़गार अवसर सृजित करना:** हरित हाइड्रोजन के विकास से नए उद्योग और रोज़गार अवसरों का सृजन हो सकता है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिये विशेष विशेषज्ञता और आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, जो रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IRENA) के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने वर्ष 2018 में दुनिया भर में 11 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान कर रखा था और वर्ष 2050 तक इस क्षेत्र में 42 मिलियन से अधिक रोज़गार अवसर सृजित करने की उम्मीद है।
- **ऐसे क्षेत्र में डीकार्बोनाइज़ेशन जिसमें डीकार्बोनाइज़ेशन मुश्किल हो:** जीवाश्म ईंधन को हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित कर सकने की व्यापक संभावना मौजूद है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें डीकार्बोनाइज़ करना कठिन है (जैसे कि भारी उद्योग और विमानन क्षेत्र)। ये क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन में उल्लेखनीय योगदान देते हैं और हरित हाइड्रोजन का उपयोग उनके 'कार्बन फुटप्रिंट' को कम करने में मदद कर सकता है।
- **तकनीकी प्रगति:** हरित हाइड्रोजन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और नवाचारों को प्रेरित कर सकता है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण के लिये नई तकनीकों और अवसंरचना की आवश्यकता है जो नई सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के विकास को बढ़ावा दे सकती है।

ग्रीन हाइड्रोजन के अनुप्रयोग

- **कृषि क्षेत्र:** कृषि क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के लिये हरित हाइड्रोजन:
  - ग्रीन हाइड्रोजन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर अमोनिया के उत्पादन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पारंपरिक उर्वरकों को प्रतिस्थापित कर सकने की क्षमता मौजूद है।
  - अमोनिया उर्वरकों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक होता है और वर्तमान में इसकी उत्पादन प्रक्रिया प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है, जो एक जीवाश्म ईंधन है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है।
  - हरित हाइड्रोजन की मदद से उत्पादित हरित अमोनिया कार्बन-मुक्त होता है। पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में हरित अमोनिया के कई अन्य लाभ भी हैं, जैसे यह बेहतर दक्षता रखता है और मृदा अम्लता में कम योगदान करता है।
  - हालाँकि हरित अमोनिया के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय निवेश और नई प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, पारंपरिक अमोनिया उत्पादन की तुलना में हरित अमोनिया का उत्पादन अधिक महँगा है, जो अल्पावधि में इसके अंगीकरण को सीमित कर सकता है।
  - **हरित हाइड्रोजन से संचालित फार्म मशीनरी:** ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी फार्म मशीनरी और सिंचाई प्रणाली को संचालन के लिये वृहत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हरित हाइड्रोजन से संचालित कृषि मशीनरी आवश्यक कृषि कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हुए भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को पर्याप्त कम कर सकती है।
  - **जल प्रबंधन के लिये हरित हाइड्रोजन:** जल एक बहुमूल्य संसाधन है और इसे कुशलता से प्रबंधित करना संवहनीय कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग विलवणीकरण संयंत्रों (जो खारे जल को मीठे जल में परिवर्तित करते हैं) को ऊर्जा देने के लिये किया जा सकता है, जिससे दुर्लभ मीठे जल संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है।
- **परिवहन क्षेत्र:**
  - **हाइड्रोजन फ्यूल सेल:** हाइड्रोजन फ्यूल सेल (Hydrogen Fuel Cell) एक ऐसा उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को बिजली, जल एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है।

नोट :

- हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित वाहन शून्य उत्सर्जन पैदा करते हैं, जिससे वे गैसोलीन और डीजल से संचालित वाहनों की तुलना में अधिक आकर्षक विकल्प प्रदान करते हैं। वे बैटरी-संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में भी लंबी रेंज रखते हैं और उन्हें तुरंत ही रि-फ्यूल किया जा सकता है, जिससे वे लंबी दूरी की यात्रा के लिये अधिक सुविधाजनक होते हैं।

- **औद्योगिक क्षेत्र:**
  - **लागत बचत:** हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है जो ऑफ-पीक घंटों के दौरान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पादित हरित हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है और उच्च ऊर्जा मांग के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। यह ऊर्जा की लागत को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - **विश्वसनीय स्रोत:** ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और ऑन-साइट भंडारण किया जा सकता है, जिससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये ऊर्जा का एक विश्वसनीय और सुसंगत स्रोत बन जाता है। यह बिजली ग्रिड पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - **अपशिष्ट में कमी:** हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नगरों के ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के उपयोग से किया जा सकता है। यह अपशिष्ट को कम करने और इस तरह सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - **ऊर्जा दक्षता में वृद्धि:** ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल सेल को ऊर्जा देने के लिये किया जा सकता है, जो पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। यह ऊर्जा उपभोग को कम करने में मदद कर सकता है।

हरित हाइड्रोजन प्रवर्तन से संबद्ध कठिनाइयाँ

- **लागत:** पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में हरित हाइड्रोजन की लागत वर्तमान में अधिक है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण के लिये विशेष उपकरण और अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जिससे यह पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक महँगा हो जाता है।
  - हालाँकि, प्रौद्योगिकी में प्रगति और उत्पादन में वृद्धि के साथ हरित हाइड्रोजन की लागत समय के साथ कम होने की उम्मीद है।
- **अवसंरचना:** हरित हाइड्रोजन के व्यापक अंगीकरण के लिये इसके उत्पादन, भंडारण एवं वितरण हेतु एक सुदृढ़ अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है।
  - अवसंरचना को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिये जो मौजूदा ऊर्जा अवसंरचना से सुसंगत हो ताकि हरित हाइड्रोजन की ओर संक्रमण को सुगम बनाया जा सके।
- **ऊर्जा भंडारण:** हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। हालाँकि ये स्रोत आंतरायिक (intermittent) हैं, यानी समय के साथ इनके आउटपुट में उतार-चढ़ाव हो सकता है। हरित हाइड्रोजन को व्यापक रूप से अपनाये जाने के लिये प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधानों का विकास महत्त्वपूर्ण है।
  - बैटरी और हाइड्रोजन भंडारण जैसे ऊर्जा भंडारण समाधान नवीकरणीय स्रोतों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहीत कर सकते हैं तथा हरित हाइड्रोजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं।
- **सुरक्षा:** ग्रीन हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है जिसके लिये विशेष रखरखाव/हैंडलिंग और भंडारण की आवश्यकता होती है।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के सुरक्षित हैंडलिंग और भंडारण को सुनिश्चित करने के लिये उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं विनियमों का विकास करना महत्त्वपूर्ण है।
- **सार्वजनिक स्वीकृति:** हरित हाइड्रोजन के अंगीकरण के लिये की इसकी सार्वजनिक स्वीकृति महत्त्वपूर्ण है। लोगों को हरित हाइड्रोजन के लाभों और जलवायु परिवर्तन के शमन में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।

हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रमुख पहलें

- भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करने और अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हरित हाइड्रोजन की क्षमता को चिह्नित किया है। देश ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई पहलें और नीतियाँ लागू की हैं।

कुछ प्रमुख पहलें हैं

- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (National Hydrogen Mission):** इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी और इसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिये एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

नोट :

- यह मिशन हरित हाइड्रोजन के लिये मांग निर्माण, पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, मानकों एवं विनियमों और नीतिगत ढाँचे की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- हरित हाइड्रोजन उपभोग दायित्व (Green Hydrogen Consumption Obligations):
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने बिजली वितरण कंपनियों के लिये नवीकरणीय खरीद दायित्वों (renewable purchase obligations) की तरह, उर्वरक और पेट्रोलियम शोधन उद्योग के लिये हरित हाइड्रोजन उपभोग दायित्वों को पेश करने का प्रस्ताव दिया है।
  - दायित्वों के तहत इन उद्योगों को अपने कुल हाइड्रोजन उपभोग में एक निश्चित प्रतिशत हरित हाइड्रोजन का रखने की आवश्यकता होगी।
- **ग्रीन हाइड्रोजन हब (Green Hydrogen Hubs):** MNRE ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो हरित हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या उपयोग का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें 'ग्रीन हाइड्रोजन हब' के रूप में विकसित किया जा सकता है।

आगे की राह

- **उत्पादन और उपयोग की उच्च लागत:** हरित हाइड्रोजन वर्तमान में जीवाश्म ईंधन या अन्य निम्न-कार्बन स्रोतों (जैसे परमाणु या ब्लू हाइड्रोजन) से उत्पादित पारंपरिक हाइड्रोजन से अधिक महँगा है। इसलिये, इस मुद्दे को हल करने के लिये कुशल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम कर सकें।
  - एक आशाजनक दृष्टिकोण यह होगा कि अधिक कुशल विद्युत-अपघटन प्रणालियों का उपयोग किया जाए जिसमें समान मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड के लिये उन्नत सामग्री या अधिक कुशल उत्प्रेरक के उपयोग से इसे सक्षम किया जा सकता है।
  - एक अन्य दृष्टिकोण है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, जैसे पवन या सौर फार्म के साथ एकीकृत किया जाए। यह विद्युत-अपघटन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत को कम कर सकता है, जिससे पारंपरिक हाइड्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकता है।
- **विनियामक प्रोत्साहन लागू करना:** सरकार इस प्रौद्योगिकी के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे नियामक प्रोत्साहनों को लागू कर ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **पर्याप्त अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला का अभाव:** ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं वितरण के लिये समर्पित अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता है।
  - पारंपरिक हाइड्रोजन के लिये मौजूदा अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला हरित हाइड्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त या संगत नहीं है। हरित हाइड्रोजन के लिये कुशल और लागत-प्रभावी आपूर्ति शृंखला विकसित की जानी चाहिये।
- **विभिन्न हितधारकों और क्षेत्रों के बीच समन्वयन:** हरित हाइड्रोजन समग्र मूल्य शृंखला में कई हितधारकों और क्षेत्रों को संलग्न करता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माता, हाइड्रोजन उत्पादक, ट्रांसपोर्टर, वितरक और अंतिम उपयोगकर्ता।
  - हरित हाइड्रोजन हेतु नीतियों, मानकों, विनियमों, प्रोत्साहनों और बाज़ारों के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिये इन हितधारकों और क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
- **संभावित उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के बीच जागरूकता प्रसार और क्षमता निर्माण:** हरित हाइड्रोजन अभी भी एक विकासशील प्रौद्योगिकी है जिसके लिये संभावित उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के बीच जागरूकता प्रसार और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
  - विभिन्न अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के लाभ, सुरक्षा एवं व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
  - हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिये कौशल एवं दक्षता विकसित करने की भी आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा

संदर्भ

एक विशाल जनसंख्या और सीमित संसाधनों के कारण, भारत के लिये खाद्य सुरक्षा (Food security) लंबे समय से चिंता का एक विषय रही है। सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक पहुँच को सभी नागरिकों के लिये एक मूल अधिकार माना गया है और क्रमिक सरकारों ने खाद्य की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न नीतियाँ लागू की हैं।

नोट :

- हालाँकि, हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संबंध अधिक प्रकट हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की भेद्यता, खाद्य आयात पर इसकी निर्भरता और खाद्य संबंधी संघर्षों के बढ़ते खतरे ने देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य तक पहुँच के बीच के संबंध को तब अत्यंत महत्त्व प्राप्त हुआ जब वर्ष 2020 में नॉर्वे की नोबेल समिति ने 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (World Food Program) को भुखमरी दूर करने के उसके प्रयासों को चिह्नित करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर समिति ने भूख, शांति और संघर्ष के बीच के संबंध को विशेष रूप से चिह्नित किया।
- खाद्य सुरक्षा की कमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कई तरह के खतरों में योगदान कर सकती है, जिसमें नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न संघर्ष शामिल हैं। इस संदर्भ में, भारत में खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संबंध तथा देश की खाद्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक उपायों पर विचार करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

भारत के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना:** भारत एक ऐसी बड़ी आबादी का घर है जो कुपोषित या अल्पपोषित (malnourished or undernourished) है, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ यह होगा कि लोगों की अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पौष्टिक खाद्य तक पहुँच होगी।
  - वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक (Global Food Security Index) 2022 के अनुसार, भारत में अल्पपोषण का प्रसार 16.3% है। इसके अलावा, भारत में 30.9% बच्चे स्टंटिंग (stunting) से ग्रस्त हैं, 33.4% कम वजन रखते हैं और 3.8% अत्यधिक मोटे (obese) हैं।
  - मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report) 2021-22 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 130 से फिसलकर वर्ष 2022 में 132 हो गई है।
- **आर्थिक विकास को समर्थन:** कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके, सरकार किसानों का समर्थन कर सकती है और उनकी आय को बढ़ा सकती है, जिससे आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिल सकती है।
  - भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कृषि की बेहद अहम भूमिका है।
  - जहाँ भारत की 70% से अधिक आबादी कृषि संबंधी गतिविधियों से संलग्न है, यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ का निर्माण करती है।
- **निर्धनता कम करना:** खाद्य सुरक्षा निर्धनता स्तर को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किफायती/वहनीय और पौष्टिक खाद्य तक पहुँच प्रदान करने से लोग अपने खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकते हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।
  - वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index-MPI) 2022 के अनुसार, भारत में ही गरीबों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है (22.8 करोड़), जिसके बाद दूसरा स्थान नाइजीरिया का है (9.6 करोड़)।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना:** भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खाद्य सुरक्षा भी आवश्यक है। एक स्थिर खाद्य आपूर्ति सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पर अंकुश लगा सकती है, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
- **जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबला:** जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है। सतत्/संवहनीय कृषि अभ्यासों को अपनाकर और जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों में निवेश कर, भारत बदलती जलवायु के प्रति बेहतर अनुकूलन प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
  - अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के इकोनॉमिक रिसर्च सर्विस के GFA-33 द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आकलन (International Food Security Assessment, 2022-2032) इंगित करता है कि भारत की विशाल आबादी का खाद्य असुरक्षा प्रवृत्तियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुमान किया गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में लगभग 333.5 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।

नोट :

- अगले दशक तक, भारत में खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या घटकर 24.7 मिलियन हो जाने का अनुमान है।

संबंधित पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA) 2013:** यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये खाद्यान्न पर सब्सिडी देकर किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission):** इसे चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के लिये क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि हस्तक्षेपों के माध्यम से खाद्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CSS) के रूप में वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था।
- **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) प्लेटफॉर्म:** यह किसानों के लिये भौगोलिक सीमाओं के बिना अपने उत्पादों का व्यापार हेतु एक ऑनलाइन बाज़ार है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (National Food Processing Mission):** कृषि उत्पादों के कुशल उपयोग और कटाई-पश्चात क्षति (post-harvest losses) को कम करने के लिये कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत की है।
- **अन्य नीतियाँ:**
  - कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
  - राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission)

भारत में खाद्य सुरक्षा से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त आधारभूत संरचना:** दुर्गम सड़कों, आधुनिक भंडारण तकनीकों की कमी और ऋण तक सीमित पहुँच जैसे अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण किसानों के लिये अपनी उपज को बाज़ार तक पहुँचाना और उन्हें ठीक से भंडारित करना कठिन हो जाता है। इससे किसानों के लिये उपज की अधिक क्षति और कम लाभ की स्थिति बनती है।
- **अनुपयुक्त कृषि अभ्यास:** अत्यधिक खेती (over-cultivation), कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं अनुचित सिंचाई तकनीकों जैसे अनुपयुक्त कृषि अभ्यासों के कारण मृदा की उर्वरता में कमी आई है और फसल की पैदावार कम हुई है। यह खाद्य उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करता है।
- **चरम मौसम दशाएँ:** जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम दशाएँ (extreme weather conditions) भी फसल विफलता और खाद्य की कमी का कारण बनी हैं। बाढ़, सूखा और ग्रीष्म लहरों (heatwaves) की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती जा रही है, जो खाद्य उत्पादन को प्रभावित करती है और खाद्य कीमतों में वृद्धि करती है।
- **अक्षम आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क:** अपर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण सुविधाओं सहित अक्षम आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क भी भारत में खाद्य असुरक्षा में योगदान करते हैं। इससे उपभोक्ताओं के लिये उच्च मूल्यों और किसानों के लिये कम लाभ की स्थिति बनती है।
- **कमज़ोर बाज़ार अवसंरचना:** बाज़ार सूचना की कमी, बाज़ार की कम पारदर्शिता और बाज़ारों तक सीमित पहुँच सहित कमज़ोर बाज़ार अवसंरचना भी भारत की खाद्य असुरक्षा में योगदान करती है।
- **खंडित भू-जोत:** खंडित भू-जोत (Fragmented Landholdings), जहाँ किसान भूमि के छोटे और इधर-उधर बिखरे भूखंड रखते हैं, आधुनिक कृषि अभ्यासों और तकनीकों को अपनाना कठिन बनाते हैं। यह फिर खाद्य उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- **कृषि उत्पादन प्रणाली और अनुसंधान में निवेश:** सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिक सिंचाई प्रणाली, कृषि अनुसंधान और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों के विकास में निवेश करना चाहिये।
- **शीघ्र खराब होने योग्य पण्यों के लिये भंडारण सुविधाओं में सुधार:** कटाई-पश्चात क्षति को रोकने के लिये सरकार को पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ विकसित करनी चाहिये और वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **कुशल परिवहन नेटवर्क प्रदान करना:** देश भर में खाद्य उत्पादों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार को देश

नोट :

भर में परिवहन नेटवर्क के सुधार और विकास में निवेश करना चाहिये।

- **आधुनिक कृषि तकनीकों का अभ्यास:** सरकार को किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाना चाहिये जो फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और उनकी आय में सुधार कर सकते हैं।
- **कृषि विकास को प्राथमिकता देना:** सरकार को बेहतर बाज़ार अवसंरचना, कुशल परिवहन नेटवर्क और खाद्य उत्पादों के लिये बेहतर भंडारण सुविधाओं में निवेश के रूप में कृषि विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकार को कृषि उत्पादकता में सुधार और खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
- **एक आरंभिक चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना:** सरकार को खाद्य की कमी के व्यापक होने से पहले ही उसका पता लगा सकने और कार्रवाई करने के लिये एक आरंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिये।
- **सतत् कृषि अभ्यासों को प्रोत्साहित करना:** सरकार को सतत् कृषि अभ्यासों (sustainable agriculture practices) को बढ़ावा देना चाहिये जो मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने और हानिकारक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग को कम करने में योगदान कर सकेंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. जल की कमी दुनिया भर में एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय एवं सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में उभरी है। जल की कमी के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें और भारत में इस समस्या के समाधान हेतु प्रभावी उपाय सुझाएँ।
2. वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिये जलवायु वित्त को जुटाने और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
3. छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सरकारी स्कूलों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करें और भारत में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार के उपायों के सुझाव दें।
4. भारत में ख़स्ताहाल कपास क्षेत्र को रूपांतरित करने की मार्ग की चुनौतियों एवं रणनीतियों की चर्चा करें और कपास किसानों के समक्ष विद्यमान समस्याओं के समाधान एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उपायों के सुझाव दें।
5. भारत की उभरती हुई गिग इकॉनमी में गिग वर्कर्स के लिये कौन-से चुनौतियाँ एवं अवसर मौजूद हैं? उनके साथ उचित उपचार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किन नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है?
6. भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) की अपर्याप्तता के मुख्य कारक क्या हैं एवं देश की नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?
7. भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) की अपर्याप्तता के मुख्य कारक क्या हैं एवं देश की नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?
8. संरक्षण प्रयासों के साथ पहुँच और पर्यटन की आवश्यकता को संतुलित करते हुए सांस्कृतिक विरासत स्थलों और कलाकृतियों को प्रभावी ढंग से संरक्षित एवं परिरक्षित करने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?
9. भारत में किसानों की आय दोगुनी करने की राह की प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं और इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कौन-से दृष्टिकोण अपनाये जाने आवश्यक हैं?
10. अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्त्व के बावजूद, भारत में आयुर्वेदिक पेशा विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है। चर्चा करें। आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच के अंतराल को भरने के लिये कुछ उपाय भी सुझाएँ।
11. भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और बाधाएँ कौन-सी हैं? देश के आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिये उन्हें संबोधित करने के उपाय सुझाएँ।
12. भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इन्हें नीतिगत हस्तक्षेपों एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से कैसे संबोधित किया जा सकता है?
13. भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बाधित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
14. देश में प्रभावी डेटा शासन और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-से उपाय किये हैं?
15. AUKUS समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित करता है और इस नई प्रगति के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिये?
16. ''वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप को एक खंडित वैश्वीकरण के रूप में सर्वोत्तम तरीके से वर्णित किया जा सकता है।'' टिप्पणी करें।
17. फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं; इन चुनौतियों के समाधान के लिये कौन-सी रणनीतियाँ और समाधान नियोजित किये जा सकते हैं?
18. विश्व के महासागरों के संरक्षण में व्याप्त प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इस महत्त्वपूर्ण वैश्विक संसाधन के सतत् उपयोग एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है?
19. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल/कवरेज की प्राप्ति से संलग्न प्रमुख रणनीतियाँ और चुनौतियाँ कौन-सी हैं तथा सभी व्यक्तियों के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है?

नोट :

20. भारत में बीमा क्षेत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इन्हें किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है?
21. मानव विकास प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति की राह में प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है?
22. लघु जल निकायों (SWBs) के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और इनके समाधान के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?
23. लोकतंत्र को बढ़ावा देने में प्रेस की क्या भूमिका है और इस भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने में प्रेस को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
24. संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न प्रयासों के बावजूद, भारत में लैंगिक वेतन अंतराल अभी भी बना हुआ है। लैंगिक वेतन अंतराल के लिये ज़िम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें और देश में इस मुद्दे को हल करने के लिये आवश्यक उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
25. डिजिटल युग में दूरस्थ कार्य को अपनाने में संगठनों एवं कर्मचारियों के समक्ष कौन-सी मुख्य चुनौतियाँ विद्यमान हैं और इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है?
26. हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा के एक आशाजनक स्रोत के रूप में उभर रहा है। भारत में हरित हाइड्रोजन से जुड़ी संभावनाओं और जलवायु परिवर्तन के शमन में इनकी क्षमता का विश्लेषण करें।
27. खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच क्या संबंध है? पर्याप्त और पौष्टिक खाद्य तक पहुँच सुनिश्चित करना राष्ट्र की समग्र सुरक्षा में कैसे योगदान कर सकता है?

दृष्टि The Vision

नोट :